



रिपब्लिक ऑफ फीजी का संविधान



रिपब्लिक ऑफ फीजी
का
संविधान

रिपब्लिक ऑफ फीजी का संविधान

विषय-सूची

प्रस्तावना

चैप्टर 1 - राज्य

1. रिपब्लिक ऑफ फीजी
2. संविधान की सर्वोच्चता
3. संवैधानिक व्याख्या के सिद्धांत
4. सेक्युलर राज्य
5. नागरिकता

चैप्टर 2 - अधिकारों का बिल

6. एप्लीकेशन
7. इस चैप्टर की व्याख्या
8. जीवन का अधिकार
9. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
10. गुलामी, दासता, बेगार और मानव तस्करी से स्वतंत्रता
11. कूर और अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता
12. अनुचित खोज और जब्ती से स्वतंत्रता
13. गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकार
14. अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार
15. कोर्ट या द्रायब्यूनल तक पहुँच
16. एग्जीक्यूटिव और प्रशासनिक जस्टिस
17. स्पीच, एक्सप्रेशन और प्रकाशन की स्वतंत्रता
18. एकत्र होने की स्वतंत्रता
19. संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता
20. रोज़गार के संबंध
21. मूवमेंट और निवास की स्वतंत्रता
22. धर्म, विवेक और विश्वास की स्वतंत्रता
23. राजनीतिक अधिकार
24. प्राइवेसी का अधिकार
25. जानकारी तक पहुँच
26. समानता का अधिकार और भेदभाव से स्वतंत्रता

27. संपत्ति के अनिवार्य या मनमाने अधिग्रहण से स्वतंत्रता
28. इतोकर्झ, रोतूमन और बानाबन जमीनों के स्वामित्व और सुरक्षा का अधिकार
29. जमीन के स्वामित्व और हितों की सुरक्षा
30. मिनरल्स को निकालने के लिए रॉयल्टी का उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए जमीन मालिकों का अधिकार
31. शिक्षा का अधिकार
32. आर्थिक भागीदारी का अधिकार
33. काम और एक उचित न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार
34. परिवहन के लिए उचित एक्सेस का अधिकार
35. आवास और स्वच्छता का अधिकार
36. पर्याप्त भोजन और पानी का अधिकार
37. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकार
38. स्वास्थ्य का अधिकार
39. मनमाने ढंग से बेदखली से स्वतंत्रता
40. वातावरण संबंधी अधिकार
41. बच्चों के अधिकार
42. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार
43. आपातकाल स्थितियों में अधिकारों की सीमा
44. एन्फोर्समेंट
45. ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन

चैप्टर 3 - संसद

पार्ट A - लैजिस्लेटिव अथॉरिटी

46. लैजिस्लेटिव अथॉरिटी और संसद की शक्ति
47. लैजिस्लेटिव शक्तियों का प्रयोग
48. राष्ट्रपति की सहमति
49. कानूनों का असर में आना
50. रेगुलेशन और समान कानून
51. अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कॉन्वेन्शन्स पर संसदीय अधिकार

पार्ट B - संरचना

52. संसद के सदस्य
53. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
54. संसद की संरचना
55. मतदाता योग्यता और रजिस्ट्रेशन

56. संसदीय चुनाव के लिए उम्मीदवार
57. उम्मीदवार जो पब्लिक अफ्सर हैं
58. संसद की अवधि
59. चुनाव के लिए रिट
60. नॉमिनेशन की तारीख
61. मतदान की तारीख
62. संसद का जल्द भंग होना
63. संसद सदस्य की सीट खाली होना
64. खाली सीट को भरने के लिए दूसरा उम्मीदवार
65. सदस्यता में रिक्तियाँ
66. कोटि ऑफ डिस्प्लॉटेड रिटर्न्स
67. संसद के सत्र
68. कोरम
69. मतदान
70. समितियाँ
71. स्टैंडिंग ऑर्डर्स
72. पेटिशन्स, पब्लिक एक्सेस और भागीदारी
73. शक्तियाँ, विशेषाधिकार, इम्प्युनिटी और अनुशासन
74. सबूत के लिए बुलाने की शक्ति

पार्ट C - इंस्टिट्यूशन्स और ऑफिसस

75. इलेक्टोरल कमीशन
76. सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शन्स
77. संसद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर
78. विपक्ष का नेता
79. संसद के सेक्रेटरी-जनरल
80. रिम्यूनरेशन

चैप्टर 4 - एग्जीक्यूटिव

पार्ट A - राष्ट्रपति

81. फीजी का राष्ट्रपति
82. राष्ट्रपति सलाह पर कार्य करते हैं
83. नियुक्ति की योग्यता
84. राष्ट्रपति की नियुक्ति

85. ऑफिस की अवधि और रिम्यूनरेशन
86. ऑफिस की शपथ
87. इस्तीफा
88. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में चीफ जस्टिस उनका कार्य करेंगे
89. ऑफिस से हटाया जाना

पार्ट B - मंत्रिमंडल

90. जिम्मेदार सरकार
91. मंत्रिमंडल
92. प्रधान मंत्री का ऑफिस
93. प्रधान मंत्री की नियुक्ति
94. अविश्वास का प्रस्ताव
95. मंत्रियों की नियुक्ति
96. अटॉनी-जनरल

चैप्टर 5 - जुडिशरी

पार्ट A - अदालतें और जुडिशल अफसर

97. जुडिशल अर्थारिटी और स्वतंत्रता
98. सुप्रीम कोर्ट
99. कोर्ट ऑफ अपील
100. हाई कोर्ट
101. मजिस्ट्रेट्स कोर्ट
102. अन्य कोर्ट
103. कोर्ट के नियम और प्रक्रियाएं
104. जुडिशल सर्विसेस कमीशन
105. नियुक्ति की योग्यता
106. जजों की नियुक्ति
107. अन्य नियुक्तियाँ
108. जुडिशल विभाग के कर्मचारी
109. ऑफिस की शपथ
110. ऑफिस की अवधि
111. चीफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष को किसी कारण से हटाना
112. जुडिशल अफसरों को किसी कारण से हटाना
113. जुडिशल अफसरों का रिम्यूनरेशन

पार्ट B - स्वतंत्र जुडिशल और कानूनी संस्थाएं

- 114. इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेस कमीशन
- 115. फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करण्शन
- 116. सोलिसिटर-जनरल
- 117. डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स
- 118. लीगल एड कमीशन
- 119. मेर्सी कमीशन
- 120. पब्लिक सर्विस डिसिप्लिनरी द्रायव्यनल
- 121. एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपरेंसी कमीशन
- 122. मौजूदा नियुक्तियाँ

चैप्टर 6 - राज्य सेवा

पार्ट A - पब्लिक सर्विस

- 123. मूल्य और सिद्धांत
- 124. पब्लिक अफसर देश के नागरिक होने चाहिए
- 125. पब्लिक सर्विस कमीशन
- 126. पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य
- 127. परमानेंट सेक्रेटरीस
- 128. राजदूतों की नियुक्ति

पार्ट B - डिसिप्लिन फोर्स

- 129. फीजी पुलिस फोर्स
- 130. फीजी कोर्टक्षन्स सर्विस
- 131. रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़

पार्ट C - कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन

- 132. कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन
- 133. कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन के कार्य

पार्ट D - पब्लिक ऑफिसेस से संबंधित सामान्य प्रावधान

- 134. एप्लीकेशन
- 135. ऑफिस के नियम और शर्तें

136. रिस्यूनरेशन और अलाउंसस
137. किसी कारण से पद से हटाया जाना
138. कमीशन्स और द्रायब्यूनल्स के कार्यों का किया जाना

चैप्टर 7 - रेवेन्यू और खर्च

139. रेवेन्यू को बढ़ाना
140. कंसॉलिडैटड फंड
141. कानून द्वारा प्राधिकृत किए जाने वाले अप्रोप्रिएशन्स
142. अप्रोप्रिएशन के एडवांस में खर्च की स्वीकृति
143. अप्रोप्रिएशन और टेक्सिंग कार्यवाहियों के लिए मंत्री की सहमति आवश्यक
144. वार्षिक बजट
145. सरकार द्वारा गारंटीस
146. पब्लिक धन का लेखा-जोखा ज़रूरी
147. निश्चित वेतन और अलाउंसस के पेमेंट के लिए कंसॉलिडैटड फंड के स्टेंडिंग अप्रोप्रिएशन
148. अन्य प्रयोजनों के लिए कंसॉलिडैटड फंड के स्टेंडिंग अप्रोप्रिएशन

चैप्टर 8 - जवाबदेही

पार्ट A - आचार संहिता

149. आचार संहिता

पार्ट B - जानकारी की स्वतंत्रता

150. जानकारी की स्वतंत्रता

पार्ट C-ऑडिटर-जनरल

151. ऑडिटर-जनरल
152. ऑडिटर-जनरल के कार्य

पार्ट D - रिज़ेर्व बैंक ऑफ फीजी

153. रिज़ेर्व बैंक ऑफ फीजी

चैप्टर 9 - आपातकालीन शक्तियाँ

154. आपात स्थिति

चैप्टर 10 - इम्युनिटी

- 155. 1990 के संविधान के नीचे दो गई इम्युनिटी जारी
- 156. लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर प्रिस्क्राइब्ड पोलिटिकल इवेंट्स डिक्री 2010 के नीचे दो गई इम्युनिटी जारी
- 157. अतिरिक्त इम्युनिटी
- 158. इम्युनिटी सुरक्षित

चैप्टर 11 - संविधान का संशोधन

- 159. संविधान का संशोधन
- 160. संशोधन की प्रक्रिया
- 161. 31 दिसम्बर 2013 से पहले संशोधन

चैप्टर 12 - प्रारंभ, व्याख्या, रिपील और संक्रमणकालीन

पार्ट A - संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

162. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

पार्ट B - व्याख्या

163. व्याख्या

पार्ट C - रिपील

164. रिपील

पार्ट D - संक्रमणकालीन

- 165. राष्ट्रपति का ऑफिस
- 166. प्रधान मंत्री और मंत्री
- 167. पब्लिक या कोन्स्ट्र्यूशनल अफसर
- 168. फाइनेंस

169. संसद और स्पीकर के कार्य
170. चुनाव
171. इंस्टिट्यूशन्स का उत्तराधिकारी
172. अधिकारों और दायित्वों का संरक्षण
173. कानूनों का संरक्षण
174. जूडिशल कार्यवाहियाँ

अनुसूची

प्रस्तावना

हम, फीजी निवासी,

आदिवासी लोग या इतोकर्ड, उनकी इतोकर्ड जमीनों के स्वामित्व, उनकी अनोखी संस्कृति, रिवाज़, परम्परा तथा भाषा को मान्यता देते हुए;

आदिवासी लोग या रोतूमा द्वीप से रोतूमन, उनकी रोतूमन जमीनों के स्वामित्व, उनकी अनोखी संस्कृति, रिवाज़, परम्परा तथा भाषा को मान्यता देते हुए;

ब्रिटिश इन्डिया और प्रशान्तीय द्वीपों से शर्तबद्ध मज़दूरों की संतानों, उनकी संस्कृति, रिवाज़, परम्परा तथा भाषा को मान्यता देते हुए; तथा

फीजी में इमिग्रेंट्स और उपनिवेशिकों की संतानों, उनकी संस्कृति, रिवाज़, परम्परा तथा भाषा को मान्यता देते हुए,

घोषित करते हैं कि हम सभी फीजियन्स सामान्य और समान नागरिकता से संयुक्त हैं;

मानते हैं कि संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार तथा सभी फीजियन्स के आचार-व्यवहार के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है;

अपने आपको मानवाधिकारों की मान्यता और सुरक्षा, तथा मानव मर्यादा के सम्मान के लिए वचनबद्ध करते हैं;

न्याय, राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक भलाई, और अपने वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपनी वचनबद्धता घोषित करते हैं,

इस तरह से रिपब्लिक ऑफ फीजी के लिए इस संविधान को स्थापित करते हैं।

चैप्टर 1 - राज्य

रिपब्लिक ऑफ फीजी

1. रिपब्लिक ऑफ फीजी एक प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतांत्रिक राज्य है जो इन मूल्यों पर आधारित है -

- (a) सामान्य और समान नागरिकता और राष्ट्रीय एकता;
- (b) मानवाधिकारों, स्वतंत्रता और कानून के आधिपत्य के लिए सम्मान;
- (c) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुयोग्य और सुलभ न्याय प्रणाली;
- (d) इस सेक्शन और चैप्टर 2 में शामिल अधिकारों के बिल में निहित मूल्यों के आधार पर सभी के लिए समानता और कम भाग्यशाली के लिए देखभाल;
- (e) मानव मर्यादा, हर व्यक्ति के लिए सम्मान, व्यक्तिगत ईमानदारी और जिम्मेदारी, नागरिक भागीदारी और पारस्परिक सहयोग;
- (f) अच्छी शासन-विधि, जिसमें शक्तियों का परिसीमन और पृथक्करण शामिल हैं;
- (g) पारदर्शिता और जवाबदेही; और
- (h) प्रकृति के साथ एक विवेकी, कार्यकुशल और स्थिर संबंध।

संविधान की सर्वांच्चता

2.- (1) यह संविधान राज्य का सर्वांच्च कानून है।

(2) इस संविधान के प्रावधानों के तहत, इस संविधान से असंगत कोई भी कानून असंगत की हट तक अमान्य है।

(3) इस संविधान का समर्थन और सम्मान सभी फीजियन्स और राज्य करेगा, पब्लिक ऑफिस में पद संभाल रहे सभी व्यक्ति सहित, और इस संविधान द्वारा लागू दायित्वों को पूरा करना होगा।

(4) यह संविधान अदालतों द्वारा लागू किया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि -

- (a) कानून और आचार-व्यवहार संविधान से सुसंगत हैं;
- (b) अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित हैं; और
- (c) संविधान के नीचे कर्तव्यों को पूरा किया जा रहा है।

(5) यह संविधान किसी व्यक्ति द्वारा रद्द या सम्पेंड नहीं किया जा सकता है, और चैप्टर 11 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही संशोधित किया जा सकता है।

(6) इस संविधान के अनुपालन को छोड़कर किसी सरकार को स्थापित करने की कोई भी कोशिश गैरकानूनी होगी, और -

- (a) उस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करना अमान्य होगा और लागू या असर में नहीं होगा; और
- (b) इस तरह की कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी कानून के नीचे कानूनी रूप से इम्फुनिटी नहीं दी जाएगी।

संवैधानिक व्याख्या के सिद्धांत

3.- (1) इस संविधान की व्याख्या करने वाले या इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति को सम्पूर्ण रूप से संविधान के मनोभाव, प्रयोजन और लक्ष्यों को तथा मानव मर्यादा, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित एक लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों को बढ़ावा देना होगा।

(2) यदि कोई कानून इस संविधान के किसी प्रावधान से अंसंगत है, तब अदालत को उस कानून के एक उचित अर्थ को अपनाना होगा जो इस संविधान के प्रावधानों से सुसंगत हो।

(3) यह संविधान अंग्रेजी भाषा में अपनाया जाएगा तथा इतोकर्फ्फ और हिन्दी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध होंगे।

(4) यदि इस संविधान के एक प्रावधान के अंग्रेजी रूपांतर के अर्थ तथा इतोकर्फ्फ और हिन्दी भाषाओं के रूपांतरों के अर्थ के बीच स्पष्ट अंतर है तब अंग्रेजी रूपांतर के अर्थ को मान्य स्वीकार किया जाएगा।

सेक्युलर राज्य

4.- (1) धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे अधिकारों के बिल में मान्यता दी गई है, इस राज्य का एक बुनियादी सिद्धांत है।

- (2) धार्मिक विश्वास व्यक्तिगत है।
- (3) धर्म और राज्य अलग-अलग हैं, जिसका मतलब है कि –
 - (a) राज्य और पब्लिक ऑफिस में पद संभाल रहे सभी व्यक्तियों को सभी धर्मों को समान मानना होगा;
 - (b) राज्य और पब्लिक ऑफिस में पद संभाल रहे सभी व्यक्तियों को किसी धार्मिक विश्वास का दबाव नहीं डालना होगा;
 - (c) राज्य और पब्लिक ऑफिस में पद संभाल रहे सभी व्यक्तियों को, किसी भी रूप से, किसी विशेष धर्म, धार्मिक वर्ग, धार्मिक विश्वास, या धार्मिक प्रचलन को किसी अन्य धार्मिक या गैर-धार्मिक विश्वास से प्रधानता नहीं देनी चाहिए या आगे नहीं बढ़ाना चाहिए; और
 - (d) कोई भी व्यक्ति इस संविधान या किसी भी अन्य कानून की उपेक्षा करने के लिए किसी धार्मिक विश्वास पर कानूनी तर्क देकर जोर नहीं डाल सकता है।

नागरिकता

- 5.- (1) फीजी के सभी नागरिकों को फीजियन्स के नाम से जाना जाएगा।
- (2) इस संविधान के प्रावधानों के तहत, सभी फीजियन्स को समान दर्जा और पहचान मिलेगी, जिसका मतलब है कि वे समान रूप से –
- (a) नागरिकता के सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और लाभों के हकदार होंगे; और
 - (b) नागरिकता के कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों के अधीन रहेंगे।
- (3) फीजी की नागरिकता केवल जन्म, रजिस्ट्रेशन या देशीकरण से प्राप्त होगी।

(4) फीजी के नागरिक बहुल नागरिकता रख सकते हैं, जिसका मतलब है कि -

- (a) किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता स्वीकार करने पर, एक व्यक्ति फीजी का नागरिक बना रहता है जब तक कि वह स्वयं इस दर्जे का त्याग न करे;
- (b) फीजी का एक भूतपूर्व नागरिक, जो विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर फीजी की नागरिकता खो देता है, पुनः फीजी की नागरिकता पा सकता है, उस विदेशी नागरिकता को रखते हुए जब तक कि उस विदेशी राष्ट्र का कानून कुछ और न कहे; और
- (c) फीजी का एक नागरिक बनने पर, एक विदेशी व्यक्ति अपनी मौजूदा नागरिकता रख सकता है जब तक कि उस विदेशी राष्ट्र का कानून कुछ और न कहे ।

(5) एक लिखित कानून निर्धारित करेगा कि -

- (a) फीजी की नागरिकता किन शर्तों पर प्राप्त होगी और किन शर्तों पर एक व्यक्ति फीजी का नागरिक बन सकता है;
- (b) रजिस्ट्रेशन या देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए अर्जियों को भरने से संबंधित प्रक्रियाएं क्या होंगी;
- (c) फीजी में आने और रहने के अधिकार से संबंधित शर्तें क्या होंगी;
- (d) नागरिकताहीन की अवस्था को रोकने के लिए क्या प्रावधान होंगे;
- (e) नागरिकता तय करने के प्रयोजनों के लिए फीजी में एक व्यक्ति की कानूनी उपस्थिति की अवधियों के हिसाब के लिए नियम क्या होंगे;
- (f) नागरिकता को त्यागने और न देने से संबंधित प्रावधान क्या होंगे; और
- (g) नागरिकता के देने को विनियमित करने के लिए ऐसे अन्य आवश्यक मामले क्या होंगे ।

चैप्टर 2-अधिकारों का बिल

एप्लीकेशन

6.- (1) यह चैप्टर सरकार के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल विभागों को सभी स्तरों पर, और किसी पब्लिक ऑफिस के कार्य को करने वाले हर एक व्यक्ति को बाँधता है।

(2) राज्य और पब्लिक ऑफिस में पद संभाल रहे हर एक व्यक्ति को इस चैप्टर में स्वीकृत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान, संरक्षण, प्रोत्साहन और पालन करना होगा।

(3) इस चैप्टर का एक प्रावधान एक नैसर्गिक या कानूनी व्यक्ति को बाँधता है, यह ध्यान में रखते हुए -

(a) उस प्रावधान में स्वीकृत अधिकार या स्वतंत्रता के स्वरूप को; और

(b) उस प्रावधान द्वारा लागू किसी नियंत्रण या कर्तव्य के स्वरूप को।

(4) इस चैप्टर में एक कानूनी व्यक्ति के लिए अधिकार और स्वतंत्रताएँ स्वीकृत हैं, अधिकार या स्वतंत्रता के स्वरूप और विशेष कानूनी व्यक्ति के स्वरूप के अनुसार आवश्यक हृद तक।

(5) इस चैप्टर में निहित अधिकार और स्वतंत्रताएँ अपने आशय के अनुसार लागू हैं और सीमित हो सकते हैं -

(a) इस चैप्टर में एक विशेष अधिकार या स्वतंत्रता के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्धारित, प्राधिकृत या स्वीकृत (चाहे एक लिखित कानून के द्वारा या नीचे) सीमाओं द्वारा;

(b) इस संविधान के अन्य प्रावधानों में निर्धारित या निहित, या प्राधिकृत या स्वीकृत सीमाओं द्वारा; या

(c) इस चैप्टर में एक विशेष अधिकार या स्वतंत्रता के संबंध में अस्पष्ट रूप से निहित या प्राधिकृत (चाहे एक लिखित कानून के द्वारा या नीचे) सीमाओं द्वारा; लेकिन जो ज़रूरी हैं और एक कानून द्वारा निर्धारित हैं या एक कानून द्वारा प्रदान की गई हैं या कानून द्वारा प्राधिकृत या स्वीकृत हैं या एक कानून की अर्थारिटी के नीचे लिए गए कदमों द्वारा निर्धारित हैं।

(6) इस संविधान के प्रावधानों के तहत, यह चेप्टर इस संविधान के प्रारंभ के समय असर में आए सभी कानूनों पर लागू होता है।

(7) इस संविधान के प्रावधानों के तहत, बनाए गए कानून, और लिए गए प्रशासनिक और जुडिशल कदम, इस संविधान के प्रारंभ के बाद, इस चेप्टर के प्रावधानों के अधीन हैं।

(8) एक हद तक, जो यह करने में सक्षम है, यह चेप्टर फीजी से बाहर किए गए कार्य या लिए गए कदमों पर लागू है।

इस चेप्टर की व्याख्या

7.-(1) सेक्षन 3 का पालन करने के साथ, इस चेप्टर की व्याख्या करते समय और लागू करते समय, एक कोर्ट, द्रायब्यूनल या अन्य अधृति -

(a) मानव मर्यादा, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित एक लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों को बढ़ावा देगी; और

(b) यदि प्रासंगिक हो, इस चेप्टर में शामिल अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संरक्षण से लागू, अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर ध्यान दे सकती है।

(2) यह चेप्टर सामान्य कानून या लिखित कानून द्वारा स्वीकृत या प्रदत्त किसी अन्य अधिकार या स्वतंत्रता को इनकार नहीं करता है, या मान्यता देने से नहीं रोकता है, इस को छोड़कर कि यह इस चेप्टर से असंगत है।

(3) एक कानून जो इस चेप्टर में निहित एक अधिकार या स्वतंत्रता को सीमित करता है अमान्य नहीं है सिर्फ इसलिए कि यह कानून इस चेप्टर द्वारा लागू सीमाओं को पार करता है अगर कानून एक अधिक नियंत्रित व्याख्या के लिए यथोचित योग्य है जो उन सीमाओं को पार नहीं करता है, और उस मामले में, कानून को अधिक नियंत्रित व्याख्या के अनुसार समझा जाना चाहिए।

(4) सामान्य कानून के अनुसार जब किसी मामले पर निर्णय लिया जाता है, एक अदालत को सामान्य कानून को इस तरह से लागू, जहाँ आवश्यक हो, और विकसित करना होगा जिसमें इस चेप्टर में स्वीकृत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान हो।

(5) किसी विशेष कानून पर इस चेप्टर को लागू करते समय, एक कोर्ट को इस चेप्टर की व्याख्या संदर्भ सहित करनी होगी, कानून की विषयवस्तु और परिणामों को ध्यान में रखकर, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर प्रभाव सहित।

जीवन का अधिकार

8. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, और एक व्यक्ति को मनमाने ढंग से जीवन से वंचित नहीं करना चाहिए ।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

9.- (1) एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए सिवाय -

- (a) कोर्ट का दण्डादेश या आदेश कार्यान्वित करने हेतु, यदि फीजी में या अन्यत्र मिला हो, किसी अपराध के संबंध में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो;
- (b) कोर्ट का आदेश कार्यान्वित करने हेतु एक व्यक्ति जिसने कोर्ट या अन्य कोर्ट या द्रायब्यूनल का तिरस्कार किया हो;
- (c) कोर्ट का आदेश कार्यान्वित करने हेतु एक व्यक्ति पर किसी दायित्व को पूरा करने के लिए मजबूत/सुरक्षित करने के लिए लागू किया गया हो;
- (d) कोर्ट का आदेश कार्यान्वित करने हेतु व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाने का आदेश हो;
- (e) यदि व्यक्ति पर तर्कसंगति से किसी अपराध के लिए संदेह किया गया हो;
- (f) व्यक्ति के माता-पिता या कानूनी अभिभावक या कोर्ट के आदेश देने पर, व्यक्ति के शिक्षण या कल्याण हेतु उस अवधि तक के लिए जब तक उसका 18 जन्मदिन पूरा न हो;
- (g) किसी संक्रामक या छूतहा रोग को फैलने से रोकने हेतु;
- (h) व्यक्ति की देखभाल या इलाज हेतु, या जिस समाज में वह रह रहा है उसकी सुरक्षा हेतु, या मानसिक रूप से अस्वस्थ; ड्रग्स या शराब का आदी, या एक आवारा होने का संदेह है; या
- (i) फीजी में गैरकानूनी ढंग से प्रवेश लेने को रोकने के लिए या फीजी से व्यक्ति को बहिष्कार, वापस भेजने या कानूनी तौर पर बरखास्त करने के प्रयोजनों के लिए ।

(2) सब्सेक्शन (1)(c) यह इजाजत नहीं देता कि एक कोर्ट किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बचित करे इस बुनियाद पर कि वह मेंटेनेंस, कर्ज, जुरमाना या टैक्स भरने में असमर्थ है, जब तक कोर्ट यह नहीं विचार करता कि व्यक्ति ने अपने पास सभी साधन मौजूद होते हुए भी जान-बूझकर ऐसा करने से इनकार कर दिया है ।

(3) यदि एक व्यक्ति को आपातकाल के नीचे रोका गया है -

- (a) व्यक्ति को, जितनी जल्दी साध्य हो, 7 दिनों के अन्दर, ऐसी भाषा में जिसे वह खुद समझता है, लिखकर हवालात में रखे जाने के कारण को समझाना होगा;
- (b) व्यक्ति को अवश्य मौका देना चाहिए ताकि वह अपने मिलने वालों और मुलाकातियों से सम्पर्क कर सके -
 - (i) व्यक्ति का पति या पत्नी, साथी या सगा-संबंधी;
 - (ii) एक लीगल प्रैक्टिशनर;
 - (iii) एक धार्मिक सलाहकार या सामाजिक कार्यकर्ता; और
 - (iv) एक मेडिकल प्रैक्टिशनर;
- (c) व्यक्ति को अपनी प्रसन्न के लीगल प्रैक्टिशनर से सलाह लेने के लिए सभी सुविधाएँ अवश्य देनी चाहिए;
- (d) हवालात में रखे जाने के कदम पर, एक महीने के अन्दर और उस के बाद एक महीने के अन्तराल से ज्यादा नहीं, एक कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए; और
- (e) कोर्ट द्वारा पुनर्विचार के वक्त व्यक्ति खुद उपस्थित हो सकता है या उसका लीगल प्रैक्टिशनर उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है ।

(4) सब्सेक्शन (3) के नीचे डिटेंशन पर पुनर्विचार के वक्त, एक कोर्ट आदेश दे सकता है कि क्या व्यक्ति के डिटेंशन को जारी रखा जाए ।

गुलामी, दासता, बेगार और मानव तस्करी से स्वतंत्रता

10.-(1) एक व्यक्ति को गुलामी या दासता, या बलपूर्वक श्रम या मानव तस्करी के लिए पकड़ कर नहीं रखना चाहिए ।

(2) इस सेक्षण में, “बलपूर्वक श्रम” में शामिल नहीं हैं –

- (a) एक कोर्ट के आदेश या दण्डादेश के परिणाम स्वरूप किया गया श्रम;
 - (b) व्यक्ति जब जेल में सज़ा काट रहा है तो उस समय किया गया यथोचित श्रम, चाहे जेल के स्वास्थ्य या रखरखाव के लिए किया गया श्रम हो; या
 - (c) डिसिप्लीन फोर्स के सदस्य द्वारा किया गया श्रम जो उसकी इयूटी का हिस्सा है।

कूर और अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता

11.- (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि उसके साथ किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या भावात्मक अत्याचार नहीं किया जाए, और उसे कूर, अमानवीय, अपमानजनक या असंगतिपूर्ण कठोर व्यवहार या दण्ड से दूर रखा जाए।

(2) प्रत्येक व्यक्ति के पास सुरक्षा-संबंधी अधिकार है, जिसमें किसी भी स्रोत, घर, पाठशाला, काम या किसी अन्य स्थान से, किसी भी प्रकार की हिंसा से मुक्त रखा जाए।

(3) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि एक कोर्ट के आदेश के बिना या उसकी सहमति के बिना या अगर वो सहमति न दे सके तो उसके कानूनी गार्डियन की सहमति के बिना वह वैज्ञानिक या डाक्टरी चिकित्सा या इलाज से स्वतंत्र है।

अनुचित खोज और जब्ती से स्वतंत्रता

12.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि उसे सुरक्षा प्राप्त हो ताकि उसकी या उसकी संपत्ति की अनुचित जाँच या उसकी संपत्ति की अनुचित जब्ती न हो ।

(2) जाँच या जब्ती की इज़ाजत नहीं है जब तक कानून की अर्थारिटी न हो ।

गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकार

13.-(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या हवालात में रखा गया है के पास अधिकार है कि -

(a) उसे ऐसी भाषा में तुरंत सूचित किया जाए जिसे व्यक्ति समझता है –

- (i) कि क्यों उसे गिरफ्तार किया गया है या हवालात में रखा गया है या उस पर जो आरोप लगाए जा सकते हैं;
 - (ii) कि उसके पास मौन रहने का अधिकार है; और
 - (iii) कि मौन न रहने के परिणाम क्या हो सकते हैं;

- (b) वह मौन रहें;
- (c) वह अपनी पसन्द के लीगल प्रैक्टिशनर से उस स्थान पर एकांत में सम्पर्क करें जहाँ उसे हिरासत में रखा गया है, उसे उस अधिकार के बारे में तुरन्त सूचित किया जाए, और यदि कानूनी सलाह लेने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं तो लीगल एड कमीशन द्वारा स्थापित लीगल एड स्कीम के तहत एक लीगल प्रैक्टिशनर की सेवाएं प्राप्त करें;
- (d) किसी बात को मानने के लिए बाध्य न किया जाए या ऐसा स्वीकरण लिया जाए जो सबूत के तौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ में इस्तेमाल हो;
- (e) अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाए जिन्हें दण्डादेश मिला हो, और एक बच्चे के मामले में, वयस्क लोगों से अलग रखा जाए जब तक कि उस बच्चे के हित में न हो;
- (f) जैसे ही संभव हो, जल्द से जल्द कोर्ट के सामने पेश किया जाए, लेकिन किसी भी हालत में गिरफ्तारी के 48 घण्टों के बाद नहीं, या यदि किसी कारण यथोचित संभव न हो सके तो उसके बाद जल्द से जल्द;
- (g) कोर्ट की पहली पेशगी में, डिटेंशन के कारणों के बारे में बताया जाए या आरोप लगने के बारे में बताया जाए कि क्या डिटेंशन जारी रहेगा या उसे छोड़ दिया जाएगा;
- (h) उचित निबंधनों और शर्तों पर छोड़ दिया जाए, चार्ज या मुकदमे के इंतजार में, अन्यथा न्याय के हित में न हो;
- (i) कोर्ट में व्यक्ति को हवालात में रखने के कानून को चुनौती देना और, यदि हवालात में रखना गैरकानूनी हो, तो छोड़ दिया जाए;
- (j) हवालात में रखने के हालात मानव मर्यादा से सुसंगत हो, और राज्य के खर्च पर रहने के लिए पर्याप्त जगह, भोजन, और डाक्टरी इलाज उपलब्ध हो; और
- (k) सम्पर्क कर सके, और मिलने वाले आ सके, -
 - (i) उसका पति या पत्नी, साथी या रिश्तेदार; और
 - (ii) एक सामाजिक कार्यकर्ता या एक धार्मिक सलाहकार।

(2) जब भी इस सेक्शन की जानकारी व्यक्ति को चाहिए होगी उसे जानकारी उस भाषा में सरलता और स्पष्टता से दी जानी चाहिए जिसे व्यक्ति समझता हो ।

(3) एक व्यक्ति जिसकी स्वतंत्रता हिरासत में रखे जाने या एक कानून के नीचे जेल की सज़ा मिलने के कारण वंचित है, को इस चेप्टर में निर्धारित सभी अधिकार और स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं, केवल उस सीमा तक कि कोई विशेष अधिकार या स्वतंत्रता उसे स्वतंत्रता से वंचित रखने से असंगत न हो ।

अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार

14.- (1) एक व्यक्ति पर इसलिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है -

- (a) क्योंकि किया गया काम या व्यवहार चाहे घरेलू या अंतरराष्ट्रीय कानून के नीचे एक अपराध नहीं है; या
- (b) क्योंकि अपराध के लिए व्यक्ति को पहले से दोषी पाया गया है या बाइज्जत बरी कर दिया गया है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा हो के पास अधिकार है कि -

- (a) तब तक निर्दोष माना जाए जब तक उसे कानूनी तौर पर दोषी नहीं साबित किया जाता;
- (b) किए गए अपराध और उसके तत्वों के बारे में उस भाषा में लिखित रूप से स्पष्ट समझाया जाए जिसे व्यक्ति समझता है;
- (c) उसके बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय और सुविधाएँ दी जाएं, और अगर वह चाहता हो तो गवाहों के बयान भी देखने दिया जाए;
- (d) अपने बचाव के लिए स्वयं डिफेंड करे या उसके खर्च पर उसकी पसंद का लीगल प्रैक्टिशनर उसका प्रतिनिधित्व करे और उसे इस अधिकार के बारे में तुरंत सूचित किया जाए, और यदि कानूनी मदद लेने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं तो लीगल एड कमीशन द्वारा स्थापित लीगल एड स्कीम के तहत एक लीगल प्रैक्टिशनर की सेवाएं प्राप्त करे और इस अधिकार के बारे में उसे तुरंत सूचित किया जाए;
- (e) पहले से ही सूचित किया जाए कि किस सबूत पर अभियोग-पक्ष निर्भर है और उस सबूत तक उसकी उचित पहुँच रहे;

- (f) एक कोर्ट में सार्वजनिक मुकदमा चलाए जाए, जब तक न्याय के हित के लिए कुछ और आवश्यक न हो;
- (g) बिना किसी अनुचित विलम्ब के मुकदमा शुरू और समाप्त किया जाए;
- (h) मुकदमा चलने पर उपस्थित रहना, जब तक कि -

 - (i) कोर्ट संतुष्ट न हो कि व्यक्ति को मुकदमे में उसकी उपस्थिति के लिए सम्मन मिल चुका है या इस जैसी प्रक्रिया का पालन हुआ है और उसने स्वयं न आने का फैसला किया हो; या
 - (ii) व्यक्ति का व्यवहार ऐसा हो कि कार्यवाही को जारी रखने में अव्यावहारिक हो और कार्ट ने उसे हटाने का आदेश दिया हो और मुकदमा उस की अनुपस्थिति में जारी हो;

- (i) ऐसी भाषा में मुकदमा चलाया जाए जिसकी समझ व्यक्ति को हो, या यदि ऐसा न हो तो कार्यवाही का अनुवाद राज्य के खर्च पर हो;
- (j) मौन रहना, कार्यवाही के दैरेन बयान न देना, और खुद दोष स्वीकार करने के लिए बाध्य न किया जाना, और इन अधिकारों के प्रयोग में कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाना;
- (k) गैरकानूनी तौर पर उस के खिलाफ सबूत प्रस्तुत नहीं किया जाए जब तक कि न्याय के हित के लिए ज़रूरी न हो;
- (l) गवाहों को बुलाना, और सबूत पेश करना, और उपस्थित सबूत को उस के खिलाफ चुनौती देना;
- (m) संगतिपूर्ण समय में कार्यवाही के रिकोर्ड की एक प्रतिलिपि प्राप्त करना और संगतिपूर्ण फीस जो निर्धारित की गई हो का भुगतान करना;
- (n) हित के लिए कम से कम निर्धारित दण्ड को काटने में यदि आरोप के लिए निर्धारित दण्ड को आरोप के समय से दण्डादेश देते समय तक बदल दिया गया हो; और
- (o) अपील के लिए, या पुनर्विचार के लिए, एक उच्च कोर्ट।

(3) जब भी इस सेवकशन की जानकारी की जरूरत हो व्यक्ति को देनी चाहिए, वह जानकारी सरल और स्पष्ट व्यावहारिक भाषा में हो, जिसे व्यक्ति समझ सकता है ।

(4) एक कानून असंगतिपूर्ण नहीं है इस सबसेक्शन (1)(b) से इस सीमा तक कि -

(a) एक कोर्ट को अधिकार है कि अनुशासित सेना का एक सदस्य किसी अपराधी के दोषी होते हुए भी मुकदमा चलाए और आरोप लगाए या मुक्ति दिलाए एक अनुशासित कानून के नीचे; और

(b) कोर्ट को चाहिए कि, दण्डादेश देते समय, किसी भी दण्ड का निर्णय लेने से पहले इस बात को ध्यान में रखें कि अनुशासित कानून के नीचे उसे कोई दण्ड मिल चुका हो ।

कोर्ट या द्रायव्यूनल तक पहुँच

15.-(1) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर किसी अपराध के लिए आरोप लगा हो के पास अधिकार है कि कोर्ट में उस पर न्यायोचित मुकदमा हो ।

(2) सिविल झागड़े में प्रत्येक पार्टी के पास अधिकार है कि मामला कानूनी कोर्ट में निर्णय लिया जाए, या यदि उचित हो तो, किसी स्वतंत्रता और निष्पक्ष द्रिव्यूनल द्वारा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर किसी अपराध के लिए आरोप लगा हो और प्रत्येक पार्टी जिस पर सिविल झागड़े का आरोप लगा हो के पास अधिकार है कि निर्धारित समय में जो संगतिपूर्ण हो में निर्णय हो ।

(4) कोर्ट की सुनवाई (मिलिट्री कोर्ट के अलावा) और द्रिव्यूनल जो कानूनी तौर पर स्थापित की गई हैं को जनता के लिए खुली रहनी चाहिए जब तक कि न्याय की मँग हो या वह ऐसा ठीक न समझे ।

(5) सबसेक्शन (4) रोक नहीं लगाती -

(a) किशोर अपराधियों के मुकदमों से संबंधित कानूनों को बनाने में, या परिवार घरेलु झागड़ों के फैसले लेने में, एक बन्द कोर्ट में; या

(b) एक कोर्ट या द्रिव्यूनल को विशेष कार्यवाही से बेदखल करना (कोर्ट या द्रिव्यूनल के फैसले की घोषणा के अलावा)पार्टी के अलावा एक व्यक्ति और उन के कानूनी प्रतिनिधियों यदि एक कानून ऐसा करने के लिए अधिकार देता है तो न्याय के हित के लिए, जनता की नैतिकता, बच्चों की भलाई, व्यक्तिगत प्राइवेसी, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनता की सुरक्षा या पब्लिक व्यवस्था के लिये ।

(6) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर किसी अपराध के लिए आरोप लगा हो और प्रत्येक पार्टी सिविल कार्यवाहियों में, और प्रत्येक गवाह क्रिमिनल या सिविल कार्यवाहियों के पास गवाह पेश करने का अधिकार है और प्रश्न पूछे जाएँ जिस भाषा में वह समझ सके का अधिकार है।

(7) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर किसी अपराध के लिए आरोप लगा हो और प्रत्येक पार्टी उस सिविल कार्यवाहियों में जो समिल है के पास अधिकार है कि वह इन कार्यवाहियों को अपनी समझ में आने वाली भाषा में सुने।

(8) सब्सेक्शन (6) और (7) को प्रभाव देने के लिए अधिकार है कि, कोर्ट या दिव्यूनल जो इस से संबंध रखते हैं, जब न्याय के हित की माँग हो, प्रप्त हो, संबंधित व्यक्ति को बिना किसी खर्च के, दुष्प्राप्ति या व्याख्याता की सेवाएँ, या एक योग्य इंगित भाषाकार (इशारों की भाषा) की सेवाएँ प्राप्त हो।

(9) यदि एक बच्चे को अपराधी के मुकदमे की कार्यवाही में गवाही के लिए बुलाया गया, बच्चे की गवाही लेते समय उस की उम्र को ध्यान में रखना चाहिए।

(10) राज्य को, कानून और अन्य तरीकों द्वारा, उन व्यक्तियों को कानूनी सहायता लीगल ऐड क्रिमिशन द्वारा अवश्य देनी चाहिए जो स्वयं के साधनों की ताकत पर न्याय की कार्यवाही जारी रखने के लिए असमर्थ हो, यदि अन्याय इसका परिणाम न हो।

(11) कोर्ट या दिव्यूनल के लिए यदि कोई फीस की जरूरत हो तो, उसे अवश्य संगतिपूर्ण और किसी न्याय में बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए।

(12) किसी भी कार्यवाही में, सबूत प्राप्त करने में जिस में इस चेप्टर का या किसी अन्य कानून का उल्लंघन होता हो, को अस्वीकार किया जाये जब तक कि न्याय के हित के लिये ज़रूरी न हो।

एग्जीक्यूटिव और प्रशासनिक जस्टिस

16.-(1) इस संविधान की प्रावधानों के नीचे और ऐसी अन्य सीमाएँ जो संभवतः कानून द्वारा निर्धारित की गई हो -

(a) प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रशासक और प्रशासनिक कार्य का कानूनी अधिकार है जो विवेकपूर्ण, यथानुपात, न्यायोचित कार्यवाही, और संगतिपूर्ण तात्कालिक हो;

(b) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी प्रशासक और प्रशासनिक कार्य से विपरीत रूप से प्रभावित हुआ हो के पास अधिकार है कि उसे इस कार्य के लिए लिखित रूप में दिया जाए; और

(c) सम्भवतः एक कोर्ट द्वारा किसी प्रशासक और प्रशासनिक कार्य पर पुनर्विचार हो, या यदि उचित हो, अन्य स्वतंत्रत और निष्पक्ष दिव्युनल, कानून के अनुसार हो।

(2) सब्सेक्शन (1) किसी कम्पनी जो एक कानून द्वारा संचालित शासकीय कम्पनियों के नीचे रेजिस्टर्ड हो के ऊपर नहीं लागू होता।

(3) इस सेक्शन का रेट्रोस्पैक्टीव या अनुदर्शी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इस संविधान के नीचे केवल प्रशासक और प्रशासनिक कार्यों के लिए संसद की पहली बैठक के बाद लिया गया हो।

स्पीच, एक्सप्रेशन और प्रकाशन की स्वतंत्रता

17.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास स्पीच, एक्सप्रेशन, विचार, राय और प्रकाशन की स्वतंत्रता है, जिस में शामिल है -

(a) खोजने, प्राप्त करने, जानकारी देने, ज्ञान और विचार देने की स्वतंत्रता;

(b) प्रेस, प्रकाशन, ऐलेक्ट्रोनिक और अन्य मीडिया की स्वतंत्रता;

(c) कल्पना और सर्जनात्मक स्वतंत्रता; और

(d) शैक्षिक और वैज्ञानिक शोध-खोज की स्वतंत्रता।

(2) स्पीच एक्स्प्रेशन और प्रकाशन की स्वतंत्रता में ये सुरक्षित नहीं है -

(a) युद्ध के लिए प्रचार करना;

(b) हिंसा के लिए उकसाना, या संविधान के खिलाफ विद्रोह करना; या

(c) नफरत का समर्थन करना कि -

(i) सेक्शन 26 के नीचे निर्धारित है कि भेदभाव करना मना; और

(ii) संघटित कर के चोट पहुँचाने के लिए उकसाना।

(3) एक कानून सम्भवतः सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सब्सेक्शन (1) में अंकित हैं, परन्तु केवल इस की जरूरत और भलाई के लिए -

(a) राष्ट्रीय सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, जनता की व्यवस्था, जनता की नैतिकता, जनता के स्वास्थ्य या व्यवस्थित चुनावों के व्यवहार के लिए;

(b) प्रतिष्ठा, गोपनियता, मान-मर्यादा, अधिकार या अन्य लोगों की स्वतंत्रताओं की सुरक्षा या रखाव के लिए, जिस में शामिल है -

- (i) नफरत भरी बोली से स्वतंत्र होने का अधिकार, चाहे वह सीधे रूप से व्यक्तियों पर या समूह पर हो; और
 - (ii) अयथार्थ या असंगति रूप से धायल व्यक्ति या आरोपित प्रकाशित मीडीय रिपोर्टों को सुधार कर के सुसंगति रूप से कानून द्वारा प्रकाशित करवाने का अधिकार;
- (c) प्राप्त गुप्त जानकारी को प्रकट करने से संगतिपूर्ण रोकना;
- (d) व्यक्तियों की मान-मर्यादा पर हमला होने से रोकना, व्यक्तियों के समूह या संबंधित कार्यालयों या संस्थाओं में व्यवहार से अवनति फैलाना जिस से जातीय या धार्मिक समूहों में, या अत्याचार, या भेदभाव किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ़;
- (e) कोर्ट के अधिकार और स्वतंत्रता को कायम रखते हुए;
- (f) पब्लिक ऑफिसो के पद अधिकारियों पर प्रतिबन्ध लागू करना;
- (g) टेलेकम्युनिकेशन के टेक्निकल प्रशासनिक पर नियंत्रण रखना; या
- (h) मिडिया के स्तर की प्रावधानो के बाध्यकरण के लिए व्यवस्था करना और मिडिया की संस्थाओं के लिए नियंत्रण, पंजीकरण और व्यवहार की व्यवस्था करवाना ।

(4) इस सेक्षण में “नफरत की बोली” का अर्थ है कोई भी रूप जो उत्साह दिलाती हो, या भेदभाव को बढ़ावा देने का प्रभाव हो अंकित किसी भी पृष्ठभूमि पर हो या, धारा 26 के नीचे अंकित हो ।

एकत्र होने की स्वतंत्रता

18.- (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह शांतिपूर्वक और निरस्त्र हो कर सभा के लिए एकत्र हो, प्रदर्शित करे, धरना दे और पिटिशन दे ।

(2) एक कानून सम्भवतः सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सबसेक्षन (1) में अंकित हैं, परन्तु केवल उस जरूरी सीमा तक के लिए ही -

- (a) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा, जनता की व्यवस्था, जनता की नैतिकता, जनता के स्वास्थ्य या व्यवस्थित चुनावों के व्यवहार के लिए;

- (b) अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के हेतु; या
- (c) पब्लिक ऑफिस के पदाधिकारियों पर प्रतिबन्ध लागू करने के हेतु ।

संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता

19.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता है ।

(2) एक कानून सम्भवतः सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सम्बोधन (1) में अंकित हैं, को सीनित करे -

- (a) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा, जनता की व्यवस्था, जनता की नैतिकता, जनता के स्वास्थ्य या व्यवस्थित चुनावों के व्यवहार के लिए;
- (b) अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के हेतु;
- (c) पब्लिक ऑफिस के पदाधिकारियों पर प्रतिबन्ध लागू करने के हेतु;
- (d) ट्रेड युनियनों के नियंत्रण के प्रयोजन के लिए, या किसी फेडरेशन, कोंग्रेस, काउंसल या ट्रेड युनियनों के अफिलिएशन या कोई फेडरेशन, कोंग्रेस, काउंसल या मालिकों का अफिलिएशन;
- (e) सामूहिक सौदाकारी की प्रक्रियाओं के नियंत्रण के हेतु, नौकरी से संबंधित विवादों और शिकायतों के प्रस्ताव की क्रियाविधियों को उपलब्ध करवाने के, और हड़ताल और तालाबन्दियों; या
- (f) अत्यावश्यक सेवाओं और उद्योगों के नियंत्रण के हेतु, फीजीयन एक्नोमी और फीजी के नागरिकों के समस्त हित के लिए ।

रोज़गार के संबंध

20.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास उचित रोज़गार की प्रक्रियाओं का अधिकार है, इन में शामिल हैं मानवीय व्यवहार और उचित रोज़गार के हालात ।

(2) प्रत्येक कर्मचारी के पास ट्रेड युनियन संगठित करने और शामिल होने का और इन के कार्यों और प्रोग्रामों में भाग लेने का अधिकार है ।

(3) प्रत्येक मालिक के पास मालिकों की संस्थाओं को संगठित करने और शामिल होने का और इन के कार्यों और प्रोग्रामों में भाग लेने का अधिकार है ।

(4) ट्रेड युनियन और मालिकों के पास सामूहिक सौदाकारी का अधिकार है।

(5) एक कानून सम्भवतः सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सेवशन में अंकित हैं, को सीनित करे -

- (a) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा, जनता की व्यवस्था, जनता की नैतिकता, जनता के स्वास्थ्य या व्यवस्थित चुनावों के व्यवहार के लिए;
- (b) अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के हेतु;
- (c) पब्लिक ऑफिस के पदाधिकारियों पर प्रतिबन्ध लागू करने के हेतु;
- (d) ट्रेड युनियन के पंजीकरण को नियंत्रण करने के हेतु, या किसी फेडरेशन, कोंग्रेस, काउन्सल या मालिकों का अफिलिएशन;
- (e) सामूहिक सौदाकारी की प्रक्रियाओं के नियंत्रण के हेतु, नौकरी से संबंधित विवादों और शिकायतों के प्रस्ताव की क्रियाविधियों को उपलब्ध करवाने के और हड़ताल और तालाबन्दियों; या
- (f) अत्यावश्यक सेवाओं और उद्योगों के नियंत्रण के हेतु, फीजीयन एक्नोमी और फीजी के नागरिकों के समस्त हित के लिए।

मूवमेंट और निवास की स्वतंत्रता

21.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास घूमने-चलने-फिरने की स्वतंत्रता है।

(2) प्रत्येक नागरिक के पास पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का और इस्यू या जारी करने या ऐसे ही यात्रा संबंधी कागजात, जो किसी शर्त के साथ जो लिखे हुए निर्धारित कानून के अनुसार हो।

(3) प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक वह व्यक्ति जो फीजी में कानूनी तौर पर है, के पास फीजी भर में घूमने-चलने-फिरने और फीजी को छोड़ने का अधिकार है।

(4) प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास फीजी में कानूनी तौर पर निवास करने का अधिकार है, वह फीजी के किसी भी भाग में निवास कर सकता है।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जो फीजी का नागरिक नहीं है परन्तु कानूनी तौर पर फीजी में है के पास अधिकार है कि फीजी से नहीं निकाला जाए सिवाये कोर्ट के ऑर्डर या निर्धारित कानून के अनुसार जो मिनिस्टर ऑफ इम्प्रीगेशन की जिम्मेदारी है के फैसले पर हो।

(6) एक कानून, या कुछ भी जो कानून के अधिकार के नीचे किया गया हो, इस सेवन के नीचे अधिकार असंगतिपूर्ण नहीं है -

- (a) कोर्ट के सामने लाने को निश्चित करना या व्यक्ति के घूमने-चलने-फिरने पर प्रतिबन्ध लगा जा सकता है, यदि -
 - (i) कोर्ट में मुकदमे के दौरान और अन्य कार्यवाहियों में उपस्थित होना निश्चित करने के हेतु;
 - (ii) किसी एक अपराध के लिए आरोपित होने के परिणामों में; या
 - (iii) किसी अन्य व्यक्ति को आशंकित हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के हेतु;
- (b) एक व्यक्ति जो फीजी का नागरिक नहीं है लेकिन फीजी में प्रवेश करता है, बिना प्रवेश पाने के कागज़ात के, को कारावास में रखने या प्रतिबंध लगाने का अधिकार है;
- (c) हाई कोर्ट के आदेश पर फीजी के एक व्यक्ति को वापसी के लिए प्राप्त करवाना;
- (d) हाई कोर्ट से फीजी से निकलवाने का आदेश प्राप्त करवाना, किसी बच्चे को जो पहले किसी अन्य देश से निकाला गया हो, बच्चे को कानूनी हिरासत से उस के माता-पिता या कानूनी गार्डियन को लौटाना;
- (e) फीजी से निकलवाना उस व्यक्ति को जो फीजी का नागरिक नहीं है क्योंकि वह अपने फीजी में किए गए अपराध को अपने नागरिकता वाले देश में रह कर उस अपराध की सज़ा काट सके; या
- (f) किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन, जायदाद, या अधिकार प्राप्त स्थान पर नियंत्रण करना, व्यवस्था करना, या मना करना ।

(7) एक कानून सम्भवतः सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस धारा में अंकित हैं, परन्तु केवल इस की जरूरत के लिए -

- (a) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा, जनता की व्यवस्था, जनता की नैतिकता, जनता के स्वास्थ्य या व्यवस्थित चुनावों के व्यवहार के लिए;

- (b) अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के हेतु;
- (c) किसी भी इलाके की परिस्थितिकी या इकॉलजी की सुरक्षा हेतु;
- (d) किसी व्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु जिस से उस पर संगतिपूर्ण कानून के दायित्व की पूर्ति के लिए; या
- (e) पब्लिक ऑफिस के पदाधिकारियों पर जो नौकरी की शर्तों का एक हिस्सा हो पर संगतिपूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु ।

(8) सेक्षण 9(3) और (4) एक व्यक्ति पर लागू होते हैं जिस के घूमने-चलने-फिरने के अधिकार पर आपातकालीन स्थिति में प्रतिबन्ध हो, ठीक उसी तरह जिस तरह एक रोके हुए व्यक्ति पर लागू होते हैं ।

धर्म, विवेक और विश्वास की स्वतंत्रता

22.- (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास धार्मिक, अन्तःकरण या विवेक और विश्वास करने की स्वतंत्रता है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि, चाहे व्यक्तिगत या दूसरों के साथ सामूहिक, किसी अलग स्थान पर, अपने धर्म को व्यक्त करे और आचरण करे या पूजा-उपासना, रिवाज का पालन और शिक्षण का अभ्यास करे ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि उसे मजबूर न किया जाए -

- (a) अपने धर्म या विश्वासों पर आचरण करने के लिए;
- (b) शपथ ले, या इस प्रकार शपथ ले जिस से -
 - (i) व्यक्ति के अपने धर्म या विश्वास के खिलाफ हो; या
 - (ii) व्यक्ति ऐसे विश्वास को व्यक्त करे जिसे वह नहीं मानता ।

(4) प्रत्येक समाज या सम्प्रदाय, और हर सांस्कृतिक या सामाजिक समुदाय के पास अधिकार है कि वह स्थापित करे, जारी रखे, शिक्षण-केन्द्रों को सम्भाले या राज्य से आर्थिक सहायता मिले या नहीं, इस शर्त पर कि वह शिक्षण संस्था कानून द्वारा निर्धारित मानक का समर्थन करे ।

(5) सब्सेक्शन (4) के पालन करते समय, एक धार्मिक समाज या समप्रदाय, के पास अधिकार है कि वह धार्मिक उपदेश किसी भी शिक्षण का अंग बना सकता है, चाहे या उसे इस के लिए राज्य से आर्थिक सहायता मिले या नहीं ।

(6) केवल उस की सहमति से, या एक बच्चे के मामले में उसके माता-पिता या कानूनी गार्डियन की सहमति से, एक व्यक्ति को अपने शिक्षण स्थान पर प्राप्त धार्मिक उपदेश या भाग लेने या उपस्थित होने या उपदेश-पालन करने, समारोह, रिवास-प्रथा जो धर्म से संबंधित हो और उस की मान्यता की न हो में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है ।

(7) एक कानून सम्भवतः सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस धारा में अंकित हैं, परन्तु केवल इसकी जरूरत -

(a) सुरक्षा के लिए -

- (i) अन्य व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रताओं; या
- (ii) पब्लिक सुरक्षा, पब्लिक व्यवस्था, पब्लिक नैतिकता, और पब्लिक स्वास्थ्य; या

(b) पब्लिक उपद्रव को शोकने के लिए ।

राजनीतिक अधिकार

23.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास राजनीतिक चुनाव करने का अधिकार है और अधिकार है कि -

(a) राजनीतिक पार्टी को बनाना या संगठित करना या शामिल होना;

(b) राजनीतिक पार्टी के कार्यों में शामिल होना, सदस्यों को शामिल करना; और

(c) राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार या कारण का प्रचार करना ।

(2) प्रत्येक नागरिक के पास स्वतंत्रत, न्यायोचित, और नियमित तौर किसी चुनावी संस्था या ऑफिस के लिए इस संविधान के नीचे चुनाव करने का अधिकार है ।

(3) प्रत्येक नागरिक जिस की उम्र 18 वर्ष की है के पास अधिकार है कि -

(a) वह एक रेजिस्टर्ड मतदाता रहे;

- (b) इस संविधान के नीचे सिक्करेट बैलट द्वारा किसी भी चुनाव में वोट करे, या रेफरेन्डम द्वारा;
- (c) पब्लिक ऑफिस का उम्मीदवार बन सके, या राजनीतिक पार्टी के ऑफिस का सदस्य बन सके जिस का वह सदस्य हो, इस शर्त पर कि वह ऑफिस की योग्यताओं की पूर्ति कर सके; और
- (d) यदि चुन लिया जाए तो ऑफिस को सम्भाले ।

(4) एक कानून सम्भवतः सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस धारा में अंकित हैं, परन्तु केवल इस की जरूरत के लिए -

- (a) मतदाताओं के पंजीकरण को नियंत्रण में रखने के हेतु, और निर्धारित व्यक्ति जिनके पास रेजिस्टर्ड होने का अधिकार नहीं है या अधिकार खो चुका है;
- (b) राजनीतिक पार्टी के पंजीकरण को नियंत्रण में रखने के हेतु, और निर्धारित व्यक्ति जिनके पास इस सब्सेक्शन (1) और सबसेक्शन (3)(c) और (d) के नीचे अधिकार न हो;
- (c) जिन व्यक्तियों के पास संसद में स्थान पाने के लिए या पब्लिक ऑफिस में, या किसी राजनीतिक पार्टी में उम्मीदवारी के लिए योग्य नहीं है पर नियंत्रण में रखने के हेतु; या
- (d) पब्लिक ऑफिस के पदाधिकारियों पर नियंत्रण में रखने के हेतु, (जैसा कि ऐसे किसी कानून में परिभाषित है) इस धारा में अधिकारों में अंकित है ।

प्राइवेसी का अधिकार

24.- (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास व्यक्तिगत प्राइवेसी का अधिकार है, जिसमें शामिल है -

- (a) निजी जानकारी की गोपनीयता;
- (b) सूचना सम्पर्क या सम्प्रेषण की गोपनीयता; और
- (c) उन की निजी और परिवारिक जिन्दगी का आदर-सम्मान करना ।

(2) एक कानून सम्भवतः सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सब्सेक्शन (1) में अंकित हैं, परन्तु केवल इस की जरूरत के लिए ।

जानकारी तक पहुँच

25.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास जानकारी प्राप्त करने के अधिकार है -

(a) किसी भी पब्लिक ऑफिस की जानकारी; और

(b) किसी अन्य व्यक्ति के पास की जानकारी, और किसी कानूनी अधिकार को पालन करने या उस की सुरक्षा के लिए ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति के पास असत्य या भ्रम में डालने वाली जानकारी जो उस पर असर करे को सुधारने या निकाल देने का अधिकार है ।

(3) एक कानून सम्भवतः सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सब्सेक्शन (1) में अंकित हैं, और सम्भवतः नियंत्रण करने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जानकारी एक पब्लिक ऑफिस से प्राप्त हो परन्तु केवल इस की जरूरत के लिए ।

समानता का अधिकार और भेदभाव से स्वतंत्रता

26.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास कानून के सामने बराबरी का और समानता से सुरक्षा पाने का, व्यवहार और कानूनी लाभ का अधिकार है ।

(2) बराबरी में पूर्ण और समान अधिकार का आनन्द उठाना शामिल है और स्वतंत्रताएँ जो इस चेप्टर में या किसी अन्य लिखित कानून में अंकित हैं ।

(3) एक व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अनुचित भेदभाव का व्यवहार नहीं होना चाहिए इस कारण से कि वह -

(a) वास्तव में, कल्पित व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताओं या हालातों में, जाति, संस्कृति, प्रजाति या सामाजिक स्रोत, रंग, जन्म का स्थान, सेक्स, जेन्डा, सेक्सुल ओरियेंटेशन, जेन्डा पहचान और एक्स्प्रेशन, जन्म, प्राथमिक भाषा, आर्थिक या सामाजिक या स्वास्थ्य की स्थिति, असमर्थता, उम्र, धर्म, अन्तःकरण या विवेक, वैवाहिक स्थिति या गर्भावस्था; या

(b) राय या विश्वासों, केवल उस सीमा तक कि वे राय या विश्वासों से किसी अन्य को हानि या चोट नहीं पहुँचती हो का अधिकार और स्वतंत्रताएँ हैं,

या किसी अन्य कारण से इस संविधान द्वारा वर्जित है।

(4) एक कानून के नीचे एक कानून या प्रशासनिक कार्यवाही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध आधार पर एक व्यक्ति पर सीमा या पाबन्दी नहीं लागू कर सकती है।

(5) प्रत्येक व्यक्ति के पास बिना भेदभाव के सदस्यता या प्रवेश के, दुकान, होटल, लोजिंग-हाऊस, पब्लिक रेस्टौरेंट्स, पब्लिक एंटर्टमेंट की जगहों, क्लूब्स, शैक्षिक संस्थानों, पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन की सर्विसेस और पब्लिक स्थानों की प्राप्ति या आगमन का अधिकार है।

(6) एक स्थान के मालिक को या सेवाएँ जो सब्सेक्शन (5) में अंकित हैं को विकलांग लोगों के लिए संगतिपूर्ण उपलब्धि करवानी चाहिए जैसा कि निर्धारित कानून में है।

(7) सब्सेक्शन (3) के नीचे अंकित आधार पर एक व्यक्ति को किसी अन्य से भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए, जब तक कि यह भेदभाव का व्यवहार उन हालातों में उचित न हो।

(8) इस सेक्शन में उस सीमा तक जरूरी है कि, एक कानूनी या प्रशासनिक कार्य किसी एक कानून के नीचे, अधिकारों के साथ असंगतिपूर्ण नहीं है कि वह -

- (a) उचित आय या राजस्व या धन, विशेष कारणों के लिए;
- (b) एक व्यक्ति पर रिटायरमेंट उम्र लागू करना;
- (c) एक व्यक्ति पर नौकरी की पाबन्धी लागू करना या राज्य सेवा में कार्यरत होना, या विशेष अधिकार या लाभ जो अन्य व्यक्तियों पे लागु या प्रदान नहीं होता;
- (d) जो व्यक्ति फीजी के नागरिक नहीं है उन पर प्रतिबन्द लागू करना या विशेष अधिकार या लाभ प्रदान करना, जो नागरिकों पर लागू न हो या उन्हें प्रदान नहीं किए गए हैं;
- (e) गोद लेने या दत्तक ग्रहण करने, विवाह, मृत्यु होने पर जायदाद सुपुर्द करने की या पेंशन की व्यवस्था प्रदान करना;
- (f) विशेष ऑफिस के पदाधिकारियों को छोड़ कर; या

- (g) आवश्यक होने पर और इस चैप्टर के किसी सेक्शन में निहित अधिकारों या स्वतंत्रता का उल्लंघन न करते हुए, इतोकई, रोतूमन और बानाबन ज़मीन की सांप्रदायिक स्वामित्व को स्वीकार करता है और समुद्री संसाधनों के लिए एक्सेस देता है, या इतोकई, रोतूमन और बानाबन चीफली टाइटल या रैक को प्रदान करता है।

संपत्ति के अनिवार्य या मनमाने अधिग्रहण से स्वतंत्रता

27.- (1) प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि लिखित कानून सबसेक्शन (2) के अनुसार राज्य की निजी सम्पत्ति से वंचित न हो, और कानून इच्छाधीन अर्जित करने की अनुमति हो या जायदाद में किसी तरह का सम्पत्तिहरण हो।

(2) लिखित कानून जायदाद अर्जित करने का सम्भवतः अनिवार्य अधिकार दे सकता है -

(a) पब्लिक कारणों के लिए जब जरूरी हो; और

(b) इस आधार पर कि मालिक को संपत्ति के लिए निर्धारित हरजाना तुरन्त भरने के लिए हो, या अगरीमन्ट असफल होने पर, न्यायोचित और न्यायसंगत हरजाना जैसा कि कोर्ट या द्रायब्यूनल निर्धारित करे, सभी प्रासंगिक तत्वों को मध्यनजर रखते हुए जिस में शामिल हैं -

(i) पब्लिक कारण जिस के लिए जायदाद हासिल की गई हो;

(ii) मालिक द्वारा जायदाद-प्राप्ति का इतिहास हासिल करने;

(iii) जायदाद का बाज़ार में मूल्य;

(iv) किसी व्यक्ति पर उस जायदाद को हासिल करने पर प्रभाव; और

(v) मालिक को कोई कष्ट।

(3) जिस में कुछ शामिल न हो, या एक अधिकार के नीचे, इस धारा में एक असंगति पूर्ण कानून की व्यवस्था में जायदाद हासिल करने का अवसर देना -

(a) टैक्सेशन;

(b) बैंकरप्ट स्टेट्स का पृथक्करण या जब्ती (सिक्वेस्ट्रेशन);

(c) अपराध उत्पन्न होने की जब्ती;

- (d) कानून भंग करने के लिए दण्ड;
- (e) गिरवी रखने की संतुष्टि, आरोप या ग्रहणाधिकार; या
- (f) कोर्ट या द्रायब्यूनल द्वारा प्रशासकीय निर्णय ।

इतोकई, रोतूमन और बानाबन जमीनों के स्वामित्व और सुरक्षा का अधिकार

28.-**(1)** इतोकई जमीन का स्वामित्व प्रथागत यानी कस्टमरी मालिकों के पास ही रहेगी और इतोकई जमीन को स्थायी रूप से निकाला नहीं जाएगा, चाहे सेल या बिक्री करके, अनुदान या ग्रान्ट, बदल कर या ट्रांसफर कर के या अदला-बदली कर के, केवल राज्य की सेक्शन 27 के अनुसार ही होगी ।

(2) इस संविधान के लागू होने पर सेक्शन 27 के नीचे राज्य द्वारा कोई भी प्राप्त की हुई इतोकई जमीन को प्रथागत मालिकों को लौटानी पड़ेगी यदि राज्य को इस की जरूरत नहीं हुई तो ।

(3) रोतूमन जमीन का स्वामित्व प्रथागत यानी कस्टमरी मालिकों के पास ही रहेगी और रोतूमन जमीन को स्थायी रूप से निकाला नहीं जाएगा, चाहे सेल या बिक्री कर के, अनुदान या ग्रान्ट, बदल कर या ट्रांसफर कर के या अदला-बदली कर के, केवल राज्य की सेक्शन 27 के अनुसार ही होगी ।

(4) इस संविधान के लागू होने पर सेक्शन 27 के नीचे राज्य द्वारा कोई भी प्राप्त की हुई रोतूमन जमीन को प्रथागत मालिकों को लौटानी पड़ेगी यदि राज्य को इस की जरूरत नहीं हुई तो ।

(5) बानाबन जमीन का स्वामित्व प्रथागत यानी कस्टमरी मालिकों के पास ही रहेगी और बानाबन जमीन को स्थायी रूप से निकाला नहीं जाएगा, चाहे सेल या बिक्री कर के, अनुदान या ग्रान्ट, बदल कर या ट्रांसफर कर के या अदला-बदली कर के, केवल राज्य की सेक्शन 27 के अनुसार ही होगी ।

(6) इस संविधान के लागू होने पर सेक्शन 27 के नीचे राज्य द्वारा कोई भी प्राप्त की हुई बानाबन जमीन को प्रथागत मालिकों को लौटानी पड़ेगी यदि राज्य को इस की जरूरत नहीं हुई तो ।

जमीन के स्वामित्व और हितों की सुरक्षा

29.-**(1)** इस संविधान से पूर्व जमीन के सभी स्वामित्व, और जमीन संबंधी सभी अधिकार और हित, जिसमें शामिल हैं जमीन की किरायेदारी और लीसें, इस संविधान के नीचे भी उसी तरह जारी रहेंगी ।

(2) जमीन लीसों और जमीन की किरायेदारी के अधिकारों और हितों को कम करने या उन पर विपरीत रूप से असर डालने के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा, चाहे इस संविधान के प्रारंभ से पहले या प्रारंभ के बाद में ।

(3) जमीन लीसों और जमीन की किरायेदारी के आधार को छोड़कर जमीन मालिकों और किरायेदारों के पास यह अधिकार है कि उनकी लीसें और किरायेदारी को रद्द नहीं की जाए ।

(4) संसद और मंत्रिमंडल, लेजिस्लेटिव और अन्य माध्यमों से सुनिश्चित करेंगे कि सभी जमीन लीसें और जमीन की किरायेदारी पर जमीन मालिकों को, जमीन मालिकों और किरायेदारों की सुरक्षा करते हुए, निष्पक्ष और न्यायसंगत रिटर्न प्राप्त हो, जिसमें शामिल हैं लीस की अवधि और जमीन की किरायेदारी की सुरक्षा और जमीन लीसों और जमीन की किरायेदारी के नियम और शर्तें जो उचित, न्यायसंगत और सही हों ।

(5) इस संविधान के लागू होने से पहले जितनी फिहोल्ड जमीनें थीं वे उसी तरह फिहोल्ड ही रहेंगी जब तक कि सेक्षण 27 के नीचे वह राज्य द्वारा पब्लिक कारण के लिए बेची या हासिल नहीं की गई हो ।

(6) इस सेक्षण के प्रयोजनों के लिए -

“जमीन की लीसें” या “जमीन की किरायेदारी” में सब-लीसें, सब-टेनेंसी, और टेनेंसिस-एट-विल शामिल हैं, लेकिन किसी बिल्डिंग, इमारत या मकान, चाहे निवास, व्यापार, व्यावसायिक या पर्यटन के प्रयोजनों के लिए, की लीसें, अग्रिमंट या टेनेंसिस शामिल नहीं हैं, और किसी जमीन पर किसी तरह के फिक्स्चर, उपकरण, संयंत्र या फिटिंग की लीसें, अग्रिमंट या किरायेदारी शामिल नहीं हैं; और

“जमीन मालिकों” या “जमीन के किरायेदारों” में सब-लेसीस, सब-टेनेंट्स, जमीन लीसों या जमीन की किरायेदारी के टेनेट्स-एट-विल शामिल हैं ।

मिनरल्स को निकालने के लिए रॉयल्टी का उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए जमीन मालिकों का अधिकार

30.- (1) सभी जमीन या पानी के नीचे के खनिज पदार्थ या मिनरैल राज्य की सम्पत्ति है, बशर्ते कि, फिर भी, किसी विशेष जमीन के मालिक को (चाहे कस्टमारी या फिहोल्ड जमीन), या कोई विशेष रजिस्टर्ड कस्टमारी फिशिंग राइट्स हो तो रॉयल्टी या राज्य को ग्रान्ट के रूप में जो धन मिलता है उस अधिकार के संबंध में जिस में वे फिशिंग राइट्स राज्य द्वारा जमीन या सीबेड के खनिज पदार्थ निकालने के हैं में से उचित हिस्सा मिलने का अधिकार है ।

(2) सब्सेक्शन (1) के नीचे सम्भवतः एक फेमवर्क का एक लिखित कानून उचित हिस्सों का हिसाब लगाने में निर्णायक हो सकता है, सभी संगतिपूर्ण तत्वों को ध्यान में रखते हुए जिन में शामिल है -

- (a) कोई भी लाभ जो मालिकों को खनिज निकालने से या सम्भवतः निकाले जाने से प्राप्त हो;
- (b) पर्यावरण को क्षति पहुँचाने का खतरा;
- (c) किसी एक फन्ड का मूल्य चुकाने या पूर्ति के लिए योगदान देने में राज्य को किसी कानूनी अधिकार को रोकना, किसी भी पर्यावरण क्षति को मरम्मत करवाने, क्षतिपूर्ति करने में;
- (d) राज्य को मूल्य चुकाने की व्यवस्था करना शोषण अधिकार को लागू करने के लिए; और
- (e) किसी व्यक्ति को अन्वेषण या शोषण अधिकार प्रदान करना राज्य की सार्वजनिक आय में उचित योगदान देना ।

शिक्षा का अधिकार

31.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि -

- (a) प्रारम्भिक बालपन शिक्षण;
- (b) प्राइमरी और सेकेंड्री शिक्षण; और
- (c) उच्च स्तर का शिक्षण ।

(2) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि -

- (a) मुफ्त प्रारम्भिक बालपन शिक्षण, प्राइमरी और सेकेंड्री शिक्षण, और उच्च स्तर का शिक्षण; और
- (b) उन व्यक्तियों के लिए जो अपनी प्राइमरी और सेकेंड्री शिक्षण पूरी नहीं कर पाए ।

(3) कोन्वेर्शनल और कोटेम्परी इतोकर्ड और फीजी हिन्दी भाषाएं सभी प्राइमरी कक्षाओं में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएंगी।

(4) राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्था को आदेश से सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी विषयों को, नागरिक शास्त्र और राष्ट्र हित के विषयों को पढ़ाए, और प्रत्येक शैक्षणिक संस्था को राज्य के इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।

(5) इस सेक्षण के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि कोई अधिकार पूरा करने के लिये रिसौर्सेस नहीं हैं तो राज्य को यह दिखाने की जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नहीं हैं।

आर्थिक भागीदारी का अधिकार

32.- (1) राष्ट्र के आर्थिक जीवन में पूर्ण और निस्संकोच योगदान देने में प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है, जिस में शामिल है अपनी जीविका, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय या जीविका का अन्य कोई साधन चुनना।

(2) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो जो स्वेक्षण (1) में निर्धारित है।

(3) एक कानून सम्भवतः सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस उपधारा (1) में अंकित हैं, परन्तु केवल इस की जरूरत के लिए।

काम और एक उचित न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार

33.- (1) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगारी और एक न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार है।

(2) इस सेक्षण के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि वह कोई अधिकार को पूरा करने के लिये रिसौर्सेस नहीं हैं तो राज्य को यह दिखाने की जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नहीं हैं।

परिवहन के लिए उचित एक्सेस का अधिकार

34.- (1) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उचित परिवहन प्राप्त करने का अधिकार है।

(2) इस सेक्षन के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि वह कोई अधिकार को पूरा करने के लिये रिसौर्सेस नहीं हैं तो राज्य को यह दिखाने की जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नहीं हैं।

आवास और स्वच्छता का अधिकार

35.- (1) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उचित आश्रय या घर का प्रबन्ध और स्वास्थ्य रक्षा का अधिकार है।

(2) इस सेक्षन के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि वह कोई अधिकार को पूरा करने के लिये रिसौर्सेस नहीं हैं तो राज्य को यह दिखाने की जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नहीं हैं।

पर्याप्त भोजन और पानी का अधिकार

36.- (1) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उचित भोजन और पानी का अधिकार है।

(2) इस सेक्षन के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि वह कोई अधिकार को पूरा करने के लिये रिसौर्सेस नहीं हैं तो राज्य को यह दिखाने की जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नहीं है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकार

37.- (1) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक सुरक्षा योजना का अधिकार है और ज़रूरत के समय में सहारा हो चाहे निजी या पब्लिक, जिसमें पब्लिक रिसौर्सेस से सहारे का अधिकार हो जब वे अपने आप को या अपने डिपेंडंस को सहारा नहीं दे सकते।

(2) इस सेक्षन के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि वह कोई अधिकार को पूरा करने के लिए रिसौर्सेस नहीं हैं तो राज्य को यह दिखाने की जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नहीं हैं।

स्वास्थ्य का अधिकार

38.- (1) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वास्थ्य का अधिकार, और स्वास्थ्य संबंधी सभी आवश्यक हालातों और साधनों, और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा सेवाओं का, जिस में शामिल है प्रजनक या शिप्रोडक्टिव कैयर या स्वास्थ्य है।

(2) एक व्यक्ति को आकस्मिक या इमर्जेन्सी स्वास्थ्य इलाज से बचित नहीं करना चाहिए ।

(3) इस सेक्षण के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि वह कोई अधिकार को पूरा करने के लिए रिसौर्स स नहीं है तो राज्य को यह दिखाने की जिम्मेदारी है कि रिसौर्स स नहीं है ।

मनमाने ढंग से बेदखली से स्वतंत्रता

39.- (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि उसे मनमानी ढंग से उसके घर से निकाला न जाए या उसके घर को गिराया न जाए, बिना कोर्ट के आदेश के जो हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर आदेश देगा ।

(2) कोई कानून मनमानी बेदखली की इजाजत नहीं दे सकता ।

वातावरण संबंधी अधिकार

40.- (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास साफ और स्वस्थ परियावरण संबंधी अधिकार है, जिस में शामिल है प्रशासनिक और अन्य तरीकों से एक नैसर्गिक संसार जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो ।

(2) एक कानून सम्भवतः सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सेक्षण में अंकित हैं, परन्तु केवल इस की जरूरत के लिए एक कानून या कानून के नीचे प्रशासनिक कार्य के लिए ।

बच्चों के अधिकार

41.- (1) प्रत्येक बच्चे के पास अधिकार है -

(a) जन्म पर या जन्म के तुरन्त बाद रजिस्टर होने का, और एक नाम और नागरिकता का;

(b) मूल पोषण, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी ध्यान का;

(c) परिवार का ध्यान, सुरक्षा, मार्गदर्शन का, जिस में शामिल है बच्चे के माता-पिता की बराबरी की जिम्मेदारी है बच्चे के लिए उपलब्ध करवाएँ -

(i) चाहे माता-पिता शादी-शुदा हैं या कभी थे; और

(ii) चाहे माता-पिता साथ में रहते हैं या नहीं या अलग रहते हैं;

- (d) दुरुपयोग, अपेक्षा, हानिकारक सांस्कृतिक प्रथाओं से, किसी भी प्रकार की हिंसा, अमानवीय व्यवहार और दण्ड, और संकटमय या अनुचित मजदूरी से सुरक्षा; और
- (e) रोका नहीं जाए जब तक कि वह आखिरी रास्ता न हो, और जब रोका जाए तो -
- (i) केवल उस समय तक के लिए जब तक जरूरी हो; और
 - (ii) बूढ़े लोगों से अलग, और बच्चे की उम्र और लिंग को ध्यान में रखकर ।
- (2) हर मामले में बच्चे को प्रधानता देते हुए उस के हित को ध्यान में रख कर ।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार

42.- (1) एक व्यक्ति जो किसी प्रकार से विकलांग हो के पास अधिकार है -

- (a) सभी जगहों पर जाने के लिए उचित व्यवस्था, पब्लिक वाहन और जानकारी;
 - (b) साईन या सांकेतिक भाषा, ब्रैल या अन्य उचित प्रकार के सम्पर्क के साधन; और
 - (c) उचित जरूरी सामानों की, वस्तुओं और विकांग संबंधी यंत्रों की प्राप्ति ।
- (2) एक विकलांग व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह मकानों, इमारतों, वाहनों, रोजगारी की व्यवस्था, नियमों, रिवाजों, या प्रक्रियाओं, अपने पूर्ण रूप से समाज में हिस्सा लेने के लिए और अधिकार को प्रभावशाली रूप दे सके ।
- (3) आवश्यक होने की हद तक, एक कानून या एक कानून के तहत लिया गया एक प्रशासनिक कदम इस सेवान में निहित अधिकारों को सीमित, या सीमित करने की अर्थात् दे सकता है ।

आपातकाल स्थितियों में अधिकारों की सीमा

43.- (1) इस संविधान के नीचे आपातकाल स्थिति की घोषणा जारी किए जाने के कारण कोई भी कानून -

- (a) इस सेवान में अंकित (सेवान 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22, और 26 के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को छोड़कर) अधिकार या स्वतंत्रता को सीमित करेगा कि -

 - (i) सीमा सख्त जरूरी है और आपातकाल के लिए आवश्यक है; और

(ii) कानून आपातकालीन स्थिति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत फीजी के कर्तव्यों से सुसंगत; और

(b) प्रकाशित होने पर ही लागू होता है।

(2) इस सब्सेक्शन (1) के कानून के नीचे एक व्यक्ति के पास सभी अधिकार हैं जो इस चेप्टर में अंकित हैं बशर्ते कि सीमाएँ जो सब्सेक्शन (1) में अंकित हैं।

एन्फोर्मेंट

44.- (1) यदि एक व्यक्ति समझाता है कि इस चेप्टर की किसी व्यवस्था से या सम्भवतः किसी तरह से उसे (या, एक व्यक्ति जिसे रोका गया है, यदि कोई और समझाता है कि ऐसा हुआ है, या ऐसा सम्भव है कि उसे रोका गया है) तब वह व्यक्ति (या कोई अन्य व्यक्ति) हाई कोर्ट को रीड्रेस के लिए आवेदन-पत्र लिख सकता है।

(2) सब्सेक्शन (1) के नीचे हाई कोर्ट में आवेदन-पत्र की याचना करने का अधिकार है उस व्यक्ति के संबंध में किसी पूर्वधारणा के बिना कोई भी कार्य को ले कर।

(3) हाई कोर्ट के पास मूल या प्रारंभिक अधिकार है कि -

(a) सब्सेक्शन (1) के नीचे सुनवाई करना और निर्णय लेना को लागू करना; और

(b) सब्सेक्शन (5) से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेना,

और सम्भवतः ऐसे आदेश बनाए या दे जिसे वह उचित समझे।

(4) इस सेक्शन के नीचे कोई भी अर्जी या रेफेरल को हाई कोर्ट राहत प्रदान करने से मना कर सकता है अगर उस के विचार में उस व्यक्ति के पास दूसरा पर्याप्त विकल्प उपलब्ध है।

(5) यदि सबोर्डिनेट कोर्ट की किसी कार्यवाही में इस चेप्टर के प्रावधानों के उल्लंघन का प्रश्न उठता है, तो सम्भवतः एक सदस्य जो कार्यवाही की अधिष्ठाता संभाल रहा है, और यदि एक पार्टी अगर निवेदन करती है तो अवश्य, हाई कोर्ट के प्रश्न से संबंध रखता है जब तक, सदस्य की राय में (जो कि अन्तिम है और अपील पर आधारित नहीं है), प्रश्न का उठाना तुच्छ या अफसोसनाक दायक हो।

(6) इस धारा के नीचे जब हाई कोर्ट अपना निर्णय देता है और कोई प्रश्न उठता है जिस में उठे हुए प्रश्न को निपटाना हो तो यथोचित -

(a) निर्णय; या

(b) यदि निर्णय कोर्ट ऑफ अपील या सुप्रीम कोर्ट में अपील का सवाल है -
निर्णय कोर्ट ऑफ अपील या सुप्रीम कोर्ट पर आधारित है, जो भी उपयुक्त हो ।

(7) राज्य की ओर से सम्भवतः अटॉनी-जनरल, इस चेप्टर की व्यवस्था के किसी मामले से जुड़ी बात पर हाई कोर्ट की कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप कर सकता है ।

(8) यदि हाई कोर्ट की कार्यवाही हुई तो, हाई कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह संतुष्ट नहीं हो जाता कि इस कार्यवाही की जानकारी अटॉनी-जनरल को दी गई है और नोटिस देने के बाद पर्याप्त समय बीत चुका है जिस से कि अटॉनी-जनरल ने इस प्रश्न से होने वाली बाधा पर गौर कर लिया है ।

(9) सम्भवतः (8) के नीचे एक नोटिस यह आवश्यक नहीं है कि अटॉनी-जनरल को दे यदि अटॉनी-जनरल या राज्य इस कार्यवाही के हिस्से हैं ।

(10) सम्भवतः चीफ जस्टिस इस धारा को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट की प्रक्रियाओं और कार्यवाही के कुछ नियम बनाए (जिस में समय संबंधी नियम शामिल हो जो हाई कोर्ट पर लागू हो)।

ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन

45.- (1) ह्यूमन राइट्स कमीशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन डिक्री 2009 के नीचे स्थापित हुआ है वह जारी रहेगा जब तक ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन रहेगा ।

(2) कमीशन में -

(a) अध्यक्ष, जो एक ऐसा व्यक्ति जो जज है या जज एप्पोइंट होने की योग्य है;
और

(b) अन्य चार सदस्य,

कोन्सटिट्यूशनल ऑफिसस कमिशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा एप्पोइंट हो ।

(3) राष्ट्रपति को सलाह देने में कि कौन अध्यक्ष के लिए नियुक्त होगा, या कमीशन के अन्य सदस्य, कोन्सटिट्यूशनल ऑफिसर्स कमिशन के पास इन व्यक्तियों के व्यक्तिगत विशेषताओं का होना आवश्यक ही नहीं बल्कि उन के ज्ञान या अनुभव जो अनेक तत्वों और मामलों पर हों कमीशन के सामने होने चाहिए ।

(4) कमीशन की जिम्मेदारी है कि -

- (a) पब्लिक और निजी संस्थाओं में मानवीय अधिकारों का प्रचार और सुरक्षा और पालन, और आदर हो और मानवीय अधिकारों की संस्कृति फीजी में विकसित हो;
- (b) इस चेप्टर में अंकित अधिकारों और स्वतंत्रताओं के शिक्षण को मान्यता प्राप्त हो, और साथ में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार और स्वतंत्रताएँ;
- (c) मानवीय अधिकारों को मॉनिटर करना या अनुश्रवण करना, छान-बीन करना, और रिपोर्ट करना कि उन का पालन जीवन के हर क्षेत्र में हो रहे हैं;
- (d) सरकार को सिफारिश करना उन सभी मामलों के बारे में जो अधिकार और स्वतंत्रताओं को मान्यता देते हैं जो इस चेप्टर में अंकित हैं, इस में जारी किए गए या प्रस्तावित कानूनों की सिफारिशें शामिल हैं;
- (e) शिकायतों को प्राप्त करना और छानबीन करना मानवीय अधिकारों के आरोपित दुर्घटनाओं के और उचित कदम उठाने या रिड्रेस करने के लिए जब मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, जिसमें शामिल है कोर्ट को रिड्रेस के लिए अर्जी लगाना या अन्य राहत कार्यों या उपचारों के लिए;
- (f) छान-बीन करना या शाध करना, अपने आप पहल करना या नेतृत्व करना या किसी शिकायत के आधार पर मानव अधिकारों और सिफारिशों को सार्वजनिक या निजी कार्यों के लिए सुधारना;
- (g) मॉनिटर करना कि राज्य जिम्मेदारियों के नीचे ट्रीटीस और कोनवेनशनस मानव अधिकार के अनुसार लागू हैं; और
- (h) कोई अन्य कार्य को करना, या किसी ताकत का प्रयोग जो कमिशन द्वारा लिखित रूप में हो ।

(5) कमीशन के पास शिकायत करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पास है, आरोप करने का जो इस चैप्टर में वंचित है, भंग किया गया या उल्लंघन किया गया, या धमकाया गया हो ।

(6) कमीशन के पास ऐसी और ताकत या अधिकार है, जो मानव अधिकार कमीशन डिक्री 2009 या अन्य लिखित कानून में हो ।

(7) कमीशन अपने कार्य को करते समय या अपने प्राधिकरण को इस्तेमाल करते समय स्वतंत्र रहेगा और किसी भी व्यक्ति या अर्थात् इसी के दिशा या नियंत्रण के अधीन में नहीं होगा सिर्फ एक कानून की कोर्ट या लिखित कानून को छोड़ कर ।

(8) कमीशन के पास नियुक्त, हटाने की और सभी कर्मचारियों की अनुशासन (प्रशासनिक कर्मचारी भी) की प्राधिकरण है ।

(9) कमीशन के पास यह अर्थात् है कि सभी मामलों पर सभी कर्मचारियों जो काम करते हैं उनके लिए निर्धारित करे -

(a) नौकरी के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरत और नियुक्ति के लिए ऐसी प्रक्रिया की अनुवर्ती करे जो खुली, पारदशी और प्रतिस्पर्धी हो;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत किए हुए अपने बजट के मुताबिक वेतन, लाभ और अलाउंस दें; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत किए हुए बजट के मुताबिक पूरे संगठन के कर्मचारियों को ज़रूरत के मुताबिक नियुक्त करे ।

(10) कमीशन के कर्मचारियों के वेतन, लाभ और अलाउंस जो दिया जाएगा उसको कॉसोलीडटेड फंड पर चार्ज किया जाएगा ।

(11) संसद कमीशन के लिए यह सुनिश्चित करे कि उन्हें पर्याप्त अनुदान और संसाधनों की प्राप्ति हो जिससे वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, और अपने कार्य और जिम्मेदारियों को निभाए ।

(12) संसद की स्वीकृति से, कमीशन अपने बजट और फाइनेंस को अपने आप नियंत्रित करेगी ।

चैप्टर 3 - संसद

पार्ट A - लैजिस्लेटिव अथॉरिटी

लैजिस्लेटिव अथॉरिटी और संसद की शक्ति

46.- (1) राज्य के लिए कानून तैयार करने का अधिकार और ताकत संसद जिस में संसद सदस्य और राष्ट्रपति है के निहित है और इस का प्रयोग अधिनियम विधि के बिल पास होने के लिए संसद और राष्ट्रपति की सहमति द्वारा होती है ।

(2) संसद के अलावा किसी व्यक्ति या संस्था के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन केवल इस संविधान द्वारा या किसी लिखित कानून द्वारा ही हो सकता है ।

लैजिस्लेटिव शक्तियों का प्रयोग

47.- (1) कोई भी सदस्य संसद एक बिल का परिचय प्रस्तावना दे सकता है या प्रस्तावित कर सकता है, लेकिन केवल फाईनैन्स मंत्री, या अन्य कोई मंत्री जिसे कैबिनेट ने अधिकार दिया हो, सम्भवतः एक मीनी बिल, जैसा कि सब्सेक्शन (4) में वर्णन किया गया है ।

(2) स्टैंडिंग ओर्डर्स के अनुसार किसी बिल पर चर्चा करने के लिए संसद की कार्यवाही आगे बढ़ सकती है, परन्तु यह व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए -

- (a) परिचय या प्रस्तावना देने के लिए एक ढाँचा, विचार-विमर्श, सुधार-कार्य और बिलों को लागू करना; और
- (b) प्रक्रिया के चरणों के बीच पर्याप्त समय सदस्यों को दिया जाना चाहिए और कमीटियों को हर बिल पर पूरी तरह से गैर करना चाहिए ।

(3) स्टैंडिंग ओर्डर्स से बेहतर है कि एक बिल की कार्यवाही सम्भवतः जल्द ही आगे बढ़ सकती है यदि -

- (a) जब एक बिल प्रस्तावित किया गया हो, जो मूवर है वह संसद से निवेदन करे कि बिना विलंब बिल को स्वीकृति मिले; और
- (b) संसद में अधिकांश सदस्य इस निवेदन को अपना समर्थन दे ।

(4) इस सेक्शन में, एक मीनी बिल कोई बिल है जो -

- (a) लागू करता है, बढ़ाता है, हेर-फेर करता है, रेमिट करता है, एक्जेम्शन फॉर्म प्रदान करता है, टैक्स या कर कम या रद्द करता है;
- (b) पब्लिक फण्ड पर चर्जों को लागू कर सकता है, या उन चारजों पर रिपील कर सकता है;
- (c) उचित पब्लिक धन या अन्यथा पब्लिक धन से संबंधित;
- (d) किसी लोन पर से गारंटीस उठाता है, या उस के रिपैमन्ट पर;
- (e) रिसीट से उचित कार्यवाही करता है यानी डील करता है, कस्टोडी, इन्वैस्टमेन्ट, इश्यू या मनी का ओडिट करता है; या
- (f) किसी भी आपतन मामले में उचित व्यवहार करता है।

राष्ट्रपति की सहमति

48.- (1) जब एक बिल संसद में पास हो जाता है, तो स्पीकर को राष्ट्रपति की सहमति के लिए अवश्य भेजना चाहिए ।

(2) बिल मिलने के बाद 7 दिनों के अंदर, राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान करनी चाहिए ।

(3) जैसा कि सब्सेक्शन (2) में अंकित है दिए गए समय में यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं प्रदान करता, तो बिल की सहमति अवधि समाप्त होने पर मानी जानी चाहिए ।

कानूनों का असर में आना

49.- (1) एक बिल की सहमति के मिलने के बाद 7 दिनों के अंदर, अटॉनी-जनरल को संसद के एक एक्ट के रूप में राजपत्र में प्रकाशित करवाना चाहिए ।

(2) संसद का एक एक्ट लागू होता है तब -

- (a) निर्धारित तारीख पर या एक्ट के अनुसार; या
- (b) राजपत्र में प्रकाशित करवाने के 7 दिनों पर, यदि एक्ट तारीख निर्धारित नहीं करता या तारीख निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं प्रदान करता ।

रेगुलेशन और समान कानून

50.- (1) कोई भी व्यक्ति किसी रेगुलेशन को नहीं बना सकता, या किसी अन्य ताकत या जबरदस्ती से कानून नहीं लागू कर सकता, केवल इस संविधान या लिखित कानून द्वारा ही अधिकार प्राप्त है।

(2) एक व्यक्ति जो रेगुलेशन बनाता है या कोई कानूनी ताकत प्रदान करता है, अब तक जो व्यवहारिक रूप में है, कानून बनने से पूर्व उस के विकास में और सर्वेक्षण करने में सार्वजनिक भागीदारी के लिए संगतिपूर्ण उचित अवसर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संघियों और कॉन्वेन्शन्स पर संसदीय अधिकार

51. केवल संसद की सहमति पर एक अंतर्राष्ट्रीय अग्रीमेन्ट राज्य को बाध्य करता है।

पार्ट B - संरचना

संसद के सदस्य

52. संसदीय सदस्यों को सिकरेट बैलट द्वारा चुना जाएगा जो स्वतंत्र और न्यायसंगत चुनावों के द्वारा इलैक्ट्रोल कमीशन करेगा, इस संविधान के अनुसार और किसी लिखित कानून जो चुनाव संबंधित होगा।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

53.- (1) संसद के सदस्यों का चुनाव बहु-सदस्य या मल्टी-मैमबर ओपन लिस्ट प्रणाली द्वारा समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा, जिसमें एक मतदाता या वोटर के पास एक वोट होगा जिस में प्रत्येक वोट का मूल्य बराबर का होगा, एक सिंगल नैशनल इलेक्टोरल रोल में सभी रेजिस्टर्ड वोट होंगे।

(2) सब्सेक्शन (3) और (4) के अनुसार संसद के प्रत्येक आम चुनाव में, उम्मीदवारों को संसद में समानुपाती सीटें अवश्य देनी चाहिए जो -

- (a) प्रत्येक पार्टी आम चुनाव के लिए कोन्टेस्ट करती है के प्राप्त वोटों की कुल संख्या, जो उस पार्टी के हर उम्मीदवार के वोट को जोड़ कर होती है, निर्धारित करती है; और
- (b) प्रत्येक स्वतंत्र उम्मीदवार के प्राप्त वोटों की कुल संख्या, यदि कोई हो तो, फिर भी एक स्वतंत्र उम्मीदवार को एक ही सीट संसद में प्राप्त होने को समर्थ है।

(3) बशर्ते, एक राजनीतिक पार्टी या एक स्वतंत्र उम्मीदवार को संसद में कोई सीट तब तक नहीं प्राप्त है जब तक कि एक राजनीतिक पार्टी या एक स्वतंत्र उम्मीदवार को पूर्ण संख्या में से 5% वोट प्राप्त हैं ।

(4) एक लिखित कानून संसद के सदस्यों के चुनाव संबंधी व्यवस्था बना सकता है जिसमें शामिल है वह नियम जो संसद की सब्सेक्शन (2) के नीचे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के तौर पर स्वीकृति प्राप्त हो जिसमें समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली हो ।

संसद की संरचना

54.- (1) इस संविधान के नीचे संसद के सदस्यों के पहले आम चुनाव में 50 सदस्य होंगे, जिन्हें संविधान के अनुसार नियुक्त किया जाएगा ।

(2) पहले आम चुनाव के बाद संसद के सदस्यों के प्रत्येक पहले आम चुनाव को इस संविधान के नीचे आयोजित किया जाएगा, जिसमें इलेक्टोरल कमीशन कम से कम एक वर्ष से पहले, संसद की रचना पर पुनर्विचार और सम्भवतः, यदि जरूरी हुई तो, कुल मिला कर संसद के सदस्यों को बढ़ाने या घटाने में, जहाँ तक व्यावहारिक हो, ऐसे किसी सर्वेक्षण की तारीख पर, फीजी की आबादी और संसद की कुल संख्या का रेश्यो उसी रेश्यो की कुल संख्या की हो जो पहले आम चुनाव पर थी इस संविधान के नीचे ।

(3) सब्सेक्शन (2) के नीचे सर्वेक्षण के दौरान, इलेक्टोरल कमीशन फीजी की जनसंख्या पर ध्यान देगा जो हाल में की गई जनगणना द्वारा निर्धारित होगी, नैशनल रेजिस्टर ऑफ वोटर्स या अन्य उपलब्ध औपचारिक जानकारी ।

(4) यदि इलेक्टोरल कमीशन निर्णय लेता है कि संसद की रचना में और इस के अधिकारों में हेर-फेर हो सब्सेक्शन (2) के नीचे, तब संसद की रचना, संसद के सदस्यों के आम चुनाव की तारीख को निर्धारित करने के बाद इस हेतु, तो मान लिया जाएगा कि इलेक्टोरल कमीशन का निर्णय सदस्यों की संख्या पर सुधार होगा ।

(5) एक लिखित कानून आगे की व्यवस्था करेगा जो सर्वेक्षण को अंजाम देगा सब्सेक्शन (2) के नीचे ।

मतदाता योग्यता और रजिस्ट्रेशन

55.- (1) 18 वर्ष की उम्र से ऊपर या अगले चुनाव की तारीख से 18 वर्ष की उम्र से ऊपर होने वाले फीजी के प्रत्येक नागरिक के पास वोटर की हैसियत से रेजिस्टर होने का अधिकार है, लिखित कानून के अनुसार जो चुनाव या वोटर्स के रेजिस्ट्रेशन पर निर्धारित है ।

(2) एक व्यक्ति जो -

- (a) फीजी में कानून द्वारा निर्धारित एक व्यक्ति फीजी में या किसी अन्य देश के कोर्ट द्वारा निर्धारित 12 महीने या उससे अधिक की सज़ा काट रहा है;
- (b) फीजी में लागू कानून के अनुसार मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो; या
- (c) इलेक्ट्रोल अपराधों के नीचे एक वोटर के रूप में कुछ समय तक रेजिस्ट्रेशन करने से वंचित है,

के पास एक वोटर के रूप में रेजिस्ट्रेर होने का अधिकार नहीं है।

(3) एक व्यक्ति जो वोटर के रूप में रेजिस्टर हुआ है, वोटर रेजिस्ट्रेशन के बाद -

- (a) फीजी में कानून द्वारा निर्धारित एक व्यक्ति फीजी में या किसी अन्य देश के कोर्ट द्वारा निर्धारित 12 महीने या उससे अधिक की सज़ा काट रहा है;
- (b) फीजी में लागू कानून के अनुसार मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो; या
- (c) इलेक्ट्रोल अपराधों के नीचे एक वोटर के रूप में कुछ समय तक रेजिस्ट्रेशन करने से वंचित है,

एक रेजिस्टर्ड वोटर होने का अधिकार खो देता है।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो रजिस्टर्ड वोटर है को अधिकार है कि संसद के सदस्यों के चुनाव में वोट कर सकता है।

(5) इलेक्टोरल कमीशन को एक इकहरा, नैशनल सामान्य रेजिस्टर ऑफ वोटर्स कायम करना चाहिए।

(6) प्रत्येक नागरिक जो वोटर के रूप में रेजिस्टर्ड है और वह -

- (a) फीजी में निवास करता है और चुनाव के दिन फीजी में है को चुनाव में वोट देने का अधिकार है; या

- (b) फीजी में निवास नहीं करता या चुनाव के दिन फीजी में नहीं है, लेकिन उस को पास फीजी का वैध पासपोर्ट है, को वोट देने का अधिकार है यदि चुनाव के कानून के अनुसार लिखित कानून है।

संसदीय चुनाव के लिए उम्मीदवार

56.- (1) संसद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को चाहिए कि वह एक रेजिस्टर्ड पार्टी द्वारा नोमिनेट हो या एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नोमिनेट हो जो चुनाव के कानून के आधार पर हो।

(2) संसद के चुनाव के लिए एक व्यक्ति सम्भवतः उम्मीदवारी तभी कर सकता है जब वह -

- (a) केवल फीजी का नागरिक हो, और किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है;
- (b) रेजिस्टर ऑफ वोटर्स में रेजिस्टर्ड है;
- (c) नोमिनेट होने से पूर्व कम से कम फीजी में 2 सालों से निवास करता है;
- (d) एक अंडिस्चार्ड बैंकरप्ट नहीं है;
- (e) इलेक्टोरल कमीशन का सदस्य नहीं है, और उस कमीशन का सदस्य किसी भी नियुक्ति के समय में 4 वर्ष पूर्व तक नहीं था;
- (f) नोमिनेट होने के समय किसी आरोप में सज़ा नहीं काट रहा हो;
- (g) नोमिनेट होने के समय से 8 साल पहले तक कोई भी कानून के नीचे किसी आरोप के लिए जिस की सज़ा 12 महीने या उस से ज़्यादा की हो के लिए दोषी न पाया गया हो; और
- (h) चुनाव संबंधी कानून के नीचे राजनीतिक पार्टियों या वोटर रेजिस्ट्रेशन के संबंध में दोषी ठहराया नहीं गया हो।

(3) एक राजनीतिक पार्टी संसद में टी गई कुल सीटों से ज़्यादा उम्मीदवारों को आम चुनाव में नोमिनेट नहीं कर सकती है, और एक राजनीतिक पार्टी संसद में जिन खाली सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है उससे ज़्यादा उम्मीदवारों को उपचुनाव में नोमिनेट नहीं कर सकती है।

(4) संसद में एक लिखित कानून संसद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नोमिनेशन के प्रावधान बना सकता है।

(5) हर उम्मीदवार, और एक उम्मीदवार को नोमिनेट करने वाली हर राजनीतिक पार्टी, को चुनाव से संबंधित लिखित कानून का पालन करना होगा।

उम्मीदवार जो पब्लिक अफ्सर हैं

57.- (1) यह माना जाएगा कि एक व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिस में काम करता हो संसद चुनाव के लिए हस्ताक्षर किया हुआ उसका नोमिनेशन सही रिटर्निंग अफ्सर या वो व्यक्ति जो चुनाव कानून के अनुसार नोमिनेशन को ले सकता है के पास पहुँच जाता है ने ऑफिस को खाली कर दिया है।

(2) एक व्यक्ति जो इलेक्टोरल कमीशन का सदस्य रह चुका हो या जो चुनाव का सुपर्वाइजर रह चुका हो वो ऑफिस को 4 साल छोड़ने के बाद तक संसद चुनाव के लिए नोमिनेट नहीं हो सकता।

(3) चुनाव के उद्देश्य के लिए “पब्लिक ऑफिस” का मतलब है -

- (a) कोई ऑफिस में, या सदस्य के रूप में, एक सांविधिक प्रधिकारी, एक कमीशन या, एक बोर्ड जो इस संविधान या लिखित कानून से शुरू या स्थापित किया गया हो;
- (b) एक ऑफिस जिसके लिए यह संविधान प्रावधान बनाता हो;
- (c) एक ऑफिस जो लिखित कानून से शुरू किया गया हो;
- (d) एक न्यायिक अधिकारी का ऑफिस या कोई कोर्ट का ऑफिस या इस संविधान या लिखित कानून से स्थापित किया गया ट्रायब्यूनल;
- (e) राज्य सेवा में कोई ऑफिस, पब्लिक सेर्विस सहित, फीजी पुलिस फोर्स, फीजी कोरेक्शन्स सेर्विस, या तो रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्स; या
- (f) ट्रेड यूनियन में कोई ऑफिस जो 2007 एम्प्लॉयमेंट रिलईशंस प्रोमल्गइशंस के नीचे रेजिस्टर्ड है (चाहे उस ऑफिस में चुने या नियुक्त किए गए, और कोई भी स्थान या समझौता जिस के लिए एक व्यक्ति को रिस्यूनरेशन, वेतन, अलाउंस या फीस ट्रेड यूनियन से मिलता हो);

- (g) किसी फेडरेशन, कोंग्रेस, परिषद् या व्यापार संघ के संबंध (चाहे उस ऑफिस में चुने या नियुक्त किए गए हो, और कोई भी स्थान या समझौता जिसके लिए एक व्यक्ति को रिम्यूनरेशन, वेतन, अलाउंस या फीस कोई फेडरेशन, कोंग्रेस, परिषद् या ट्रेड यूनियन के संबंध से मिलता हो); या
- (h) कोई फेडरेशन, कोंग्रेस, परिषद् या नियोक्ताओं के संबंध चाहे उस ऑफिस में चुने या नियुक्त किए गए, और कोई भी स्थान या समझौता जिसके लिए एक व्यक्ति को रिम्यूनरेशन, वेतन, अलाउंस या फीस कोई फेडरेशन, कोंग्रेस, परिषद् या नियोक्ता के संबंध से मिलता हो।

(4) कुछ भी सब्सेक्शन (3) में होते हुए भी इस सेक्शन के उद्देश्य के लिए पब्लिक ऑफिस प्रधान मंत्री के ऑफिस, मंत्री का ऑफिस, डिप्टी स्पीकर का ऑफिस, विपक्ष के नेता का ऑफिस या वो ऑफिस जो एक मंत्री अपनी नियुक्ति के कारण सम्भालता है उन्हें शामिल नहीं किया जाता है।

संसद की अवधि

58.- (1) इस सेक्शन के नीचे, संसद, संसद सदस्यों के आम चुनाव की पहली बैठक की तारीख से 4 साल तक चलती रहेगी जब तक कि इस संविधान के अनुसार संसद जल्दी भंग न की जाए।

(2) प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति घोषणा के द्वारा समय-समय पर संसद को सलाह के अनुसार बंद कर सकते हैं।

(3) प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति घोषणा के द्वारा संसद को भंग कर सकते हैं लेकिन सिर्फ संसद सदस्यों के चुनाव की पहली बैठक की तारीख से 3 साल 6 महीने बीत जाने के बाद।

चुनाव के लिए रिट्रैट

59.- (1) प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चुनाव के रिट्रैट जारी करेंगे।

(2) चुनाव के रिट्रैट संसद की समाप्ति या भंग होने से घोषणा के द्वारा 7 दिनों के बीच में जारी हो जानी चाहिए।

(3) संसद में सीट के खाली होने पर 7 दिनों के अंदर उपचुनाव के लिए रिट जारी होना चाहिए या कोर्ट ऑफ डिस्प्यूटड रिटर्न्स के निर्णय की तारीख से 7 दिनों के अंदर अगर सेक्शन 63(5) या सेक्शन 66 के नीचे अर्जी की गई हो।

नोमिनेशन की तारीख

60. चुनाव के रिट्रैट जारी करने के 14 दिन बाद संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नोमिनेशन लेने का अंतिम दिन होगा ।

मतदान की तारीख

61. नोमिनेशन के मिलने के अंतिम दिन के बाद 30 दिन से पहले चुनाव शुरू हो जाएगा ।

संसद का जल्द भंग होना

62.- (1) सेक्षण 58(3) में कुछ होते हुए भी, अगर कम से कम दो तिहाई संसद सदस्यों ने संसद भंग करने के प्रस्ताव को समर्थन दे दिया हो तो राष्ट्रपति को घोषणा कर देनी चाहिए कि संसद जल्द भंग हो गई है ।

(2) सब्सेक्षन (1) के नीचे संसद भंग करने का प्रस्ताव ले जाया सकता है -

- (a) केवल इस आधार पर कि सरकार के पास संसद का विश्वास नहीं है;
- (b) केवल विपक्ष के नेता के द्वारा; और
- (c) अगर संसद ने सेक्षण 94 के आधार पर प्रधान मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर दिया हो ।

(3) इन समय के अन्दर संसद जल्द भंग करने के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता -

- (a) 18 महीने संसद तुरन्त शुरू होने के बाद; या
- (b) 6 महीने संसद के सामान्य 4 साल समाप्त होने से पहले ।

संसद सदस्य की सीट खाली होना

63.- (1) एक संसद सदस्य की सीट खाली हो जाती है अगर -

- (a) वह मर जाता है या हस्ताक्षर किया हुआ इस्तीफा स्पीकर को देता है;
- (b) सदस्यों की सहमति से, किसी सरकारी कार्यालय (जैसे सेक्षण 57 में परिभाषित किया गया है) में पद धारण करता है;
- (c) संसद चुनाव में एक रैजिस्टर्ड मतदाता होने का अधिकार समाप्त हो जाए;

- (d) सेक्शन 56 के आधार पर संसद चुनावों में मनोनित होने का अधिकार समाप्त हो जाए;
- (e) वह एक ऑडिस्चार्ड बैंकरप्ट है;
- (f) स्पीकर से अनुमति लिए बिना संसद की 2 सभाओं से लगातार अनुपस्थित रहे;
- (g) उस राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देता है जिसका संसद में चुने जाने के समय वह एक उम्मीदवार था;
- (h) संसद में चुने जाने के समय जिस राजनीतिक पार्टी का वह एक उम्मीदवार था, उसके आदेश के विरुद्ध संसद में मत देता है या मत में भाग नहीं लेता है; या
- (i) संसद में चुने जाने के समय जिस राजनीतिक पार्टी का वह एक उम्मीदवार था, से निकाल दिया जाता है -
- (i) पार्टी अनुशासन के संबंध में राजनीतिक पार्टी के नियमों के अनुसार निकाला गया है; और
 - (ii) पार्टी से निकाले जाने का संबंध उस सदस्य का एक संसदीय समिति के सदस्य के रूप में लिए गए कटम से नहीं है।
- (2) सब्सेक्शन (1)(g) के प्रयोजनों के लिए, संसद के सदस्य की सीट तभी खाली होती है जब राजनीतिक पार्टी के नेता और सेक्रेटरी से स्पीकर को लिखित सूचना मिलती है कि सदस्य ने राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
- (3) सब्सेक्शन (1)(h) के प्रयोजनों के लिए, संसद के सदस्य की सीट तभी खाली होती है जब राजनीतिक पार्टी के नेता और सेक्रेटरी से स्पीकर को लिखित सूचना मिलती है कि सदस्य ने राजनीतिक पार्टी के आदेश के विरुद्ध संसद में मत दिया है या मत में भाग नहीं लिया है।
- (4) सब्सेक्शन (1)(i) के प्रयोजनों के लिए, संसद के सदस्य की सीट तभी खाली होती है जब राजनीतिक पार्टी के नेता और सेक्रेटरी से स्पीकर को लिखित सूचना मिलती है कि सदस्य को राजनीतिक पार्टी से निकाल दिया गया है।

(5) अगर सब्सेक्शन (1) के नीचे जिस संसद सदस्य की सीट खाली होती है अपनी संसदीय सीट के खाली होने की वैधता को चुनौती देता है, तब सदस्य को, सीट के खाली होने के 7 दिनों के अन्दर, कोर्ट ऑफ अंडिस्प्लूटड रिटेन्स में एक घोषणा के लिए अर्जी देना होगा कि क्या उसकी सीट खाली हुई है या नहीं ।

(6) कोर्ट ऑफ अंडिस्प्लूटड रिटेन्स को दी गई अर्जी पर कोर्ट ऑफ अंडिस्प्लूटड रिटेन्स को अर्जी प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों के अन्दर निर्णय ले लेना चाहिए ।

(7) कोर्ट ऑफ अंडिस्प्लूटड रिटेन्स का निर्णय अंतिम है और उसकी अपील नहीं हो सकती है ।

(8) अगर सब्सेक्शन (1) के नीचे जिस संसद सदस्य की सीट खाली होती है सब्सेक्शन (5) के नीचे कोर्ट ऑफ अंडिस्प्लूटड रिटेन्स में अर्जी डालता है, तब कोर्ट ऑफ अंडिस्प्लूटड रिटेन्स के निर्णय तक सदस्य को संसद से संसपेंड माना जाएगा ।

खाली सीट को भरने के लिए दूसरा उम्मीदवार

64.- (1) सब्सेक्शन (3) के तहत, अगर एक संसद सदस्य जो एक पार्टी का सदस्य है और उसकी सीट खाली होती है, तब एलेक्टोरल कमीशन को चाहिए कि उसी पार्टी के उस उम्मीदवार को वह सीट दे जो पिछले आम चुनाव के समय सब उम्मीदवारों से सबसे बड़े ओहटे पर था पर चुना नहीं गया था और अभी भी सेवा के लिए उपलब्ध है (चुनाव के कानूनों द्वारा निर्धारित किया जाएगा), हालांकि अगर उसी पार्टी का पिछले आम चुनाव में से कोई भी उम्मीदवार नहीं है तो उस स्थान के लिए उपचुनाव करना होगा ।

(2) सब्सेक्शन (3) के तहत, अगर एक संसद सदस्य की सीट संसद की अवधि के समय खाली हो जाती है और वह स्वतंत्र रूप से संसद में निर्वाचित हुआ था तो उस सीट के लिए दुबारा चुनाव करना होगा ।

(3) अगर एक संसद सदस्य का स्थान संसद की पहली बैठक के पिछले आम चुनाव के 3 साल 6 महीने बाद खाली होती है तो वह सीट अगले चुनाव तक खाली ही रहेगी ।

सदस्यता में रिक्तियाँ

65. सदस्यता में रिक्तियाँ होते हुए भी संसद जारी रहेगी, और उसकी कार्यवाही में एक व्यक्ति जो सदस्य नहीं हो सकता अगर उपस्थित हो भी तो कार्यवाही अमान्य नहीं होगी ।

कोर्ट ऑफ डिस्प्लॉटेड रिटर्न्स

66.- (1) हाई कोर्ट ही विवादित रिटर्न्स को सुनने और निर्णय लेने का अधिकार रखता है -

(a) एक पेटिशन से, यह सवाल कि एक व्यक्ति क्या सही तरीके से संसद सदस्य चुना गया है; और

(b) एक कार्यवाही द्वारा, एक अर्जी से घोषणा करने के लिए कि एक संसद सदस्य की सीट खाली हो गई है।

(2) एक व्यक्ति का संसद सदस्य के रूप में चुनाव की वैधता पर विवाद सिर्फ पेटिशन से कोर्ट ऑफ डिस्प्लॉटेड रिटर्न्स द्वारा ही किया जा सकता है या नहीं।

(3) सब्सेक्शन (1)(a) के नीचे पेटिशन -

(a) सिर्फ इनके द्वारा लाया जा सकता है -

(i) एक व्यक्ति जिस के पास संबंधित चुनाव में मत देने का अधिकार था;

(ii) एक व्यक्ति जो संबंधित चुनाव में उम्मीदवार था; या

(iii) अटार्नी-जनरल; और

(b) आरोपित भ्रष्ट अभ्यास को छोड़कर, चुनाव के घोषित होने के 21 दिनों के अंदर लाना चाहिए।

(4) अगर सब्सेक्शन (1)(a) के नीचे पेटिशन निकालने वाला अटार्नी-जनरल नहीं है तो वह पेटिशन में हस्तक्षेप कर सकता है।

(5) सब्सेक्शन (1)(b) के आधार पर कार्यवाही सिर्फ इनके द्वारा की जा सकती है -

(a) एक संसद सदस्य;

(b) एक रेजिस्टर्ड मतदाता; या

(c) अटार्नी-जनरल।

(6) अगर सब्सेक्शन (1)(b) के नीचे कार्यवाही करने वाला अटार्नी-जनरल नहीं है तो वह कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है।

(7) सब्सेक्शन (5) को ध्यान में रखते हुए, सब्सेक्शन (1)(b) के तहत वह संसद सदस्य जिसकी सीट खाली है इस सेक्शन के नीचे कार्यवाहियों को नहीं ला सकता, और किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी कार्यवाही अपनी संसदीय सीट के खाली होने की वैधता को चुनौती देने के लिए सिर्फ सेक्शन 63 के तहत कर सकता है।

(8) कोर्ट ऑफ डिस्प्यूटेड रिटर्न्सकोर्ट को किसी पेटिशन पर उस पेटिशन को प्राप्त करने की तारीख से 21 दिनों के अन्दर निर्णय करना होगा।

(9) इस सेक्शन के तहत कोर्ट ऑफ डिस्प्यूटेड रिटर्न्सकोर्ट का निर्णय अंतिम रहेगा और किसी तरह की अपील नहीं की जा सकती है।

संसद के सत्र

67.- (1) संसद सदस्यों के चुनाव के बाद में, राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद 14 दिनों से पहले संसद को बैठने के लिए आदेश देंगे।

(2) पहली बैठक के एजेंडा में होगा -

- (a) संसद के सेक्रेटरी जनरल की निगरानी में सदस्यों का शपथ ग्रहण करना;
- (b) सेक्शन 77 के मुताबिक संसद के सेक्रेटरी जनरल की निगरानी में स्पीकर का चुनाव करना;
- (c) संसद के सेक्रेटरी-जनरल की निगरानी में स्पीकर का शपथ ग्रहण करना;
- (d) स्पीकर की निगरानी में डिप्टी स्पीकर का चुनाव और शपथ ग्रहण करना;
- (e) अगर सेक्शन 93(2) के नीचे प्रधान मंत्री ने ऑफिस को ग्रहण नहीं किया है तो सेक्शन 93(3) के अनुसार प्रधान मंत्री की नियुक्ति संसद सदस्यों द्वारा होगी और राष्ट्रपति की निगरानी में शपथ ग्रहण किया जाएगा; और
- (f) सेक्शन 78 के अनुसार स्पीकर की निगरानी में विपक्ष के नेता का चुनाव होगा।

(3) प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद की अन्य बैठकों की तारीख निर्धारित करेंगे लेकिन दो बैठकों के बीच में 6 महीनों से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए।

(4) अगर -

- (a) संसद् सत्र में नहीं है; और
- (b) एक तिहाई या उस से ज्यादा संसद् सदस्यों की लिखित माँग राष्ट्रपति को मिले कि पब्लिक महत्व के विचार के लिए संसद् को मिलने का आदेश दिया जाए,

राष्ट्रपति संसद् को मिलने का आदेश दे सकते हैं।

(5) अगर -

- (a) संसद् सत्र में है लेकिन बैठक के बीच में 2 महीने बीत गए हैं; और
- (b) प्रधान मंत्री या एक तिहाई या उस से ज्यादा संसद् सदस्यों की लिखित माँग स्पीकर को मिले कि पब्लिक महत्व के विचार के लिए संसद् को मिलने का आदेश दिया जाए,

माँग मिलने के समय से एक सप्ताह के अन्दर स्पीकर को संसद् की बैठक बुलानी चाहिए।

(6) इस सेवन के आधार पर संसद् की बैठक उस समय और स्थान पर होगी जैसे संसद् अपने नियम और ओडर्स के अनुसार निर्णय करेगी।

कोरम

68.- (1) संसद् की बैठक तब तक शुरू या जारी नहीं हो सकती जब तक कि एक तिहाई संसद् सदस्य मौजूद न हो।

(2) एक बिल पर मत नहीं किया जा सकता जब तक संसद् में सदस्यों की बहुमत की मौजूदगी न हो।

(3) अगर कोरम नहीं है तो स्पीकर को बैठक स्थगित कर देनी चाहिए।

मतदान

69.- (1) अगर किसी सवाल पर फैसले के लिए संसद् में प्रस्ताव रखा जाए तो उस सवाल का निर्णय बहुमत सदस्यों की मौजूदगी और मत से होगा।

(2) संसद में प्रस्तावित सवाल पर निर्णय -

(a) जिस व्यक्ति की निगरानी में हो रहा है वह मत न दे; और

(b) बराबरी के मत से प्रस्तावित सवाल की हार हो जाती है।

(3) जिस व्यक्ति की निगरानी में मत हो रहा है उसको मत देने वाले सदस्यों में या कोरम के लिए नहीं गिनना चाहिए।

समितियाँ

70. संसद के लिए अनिवार्य है कि वह अपनी नीति और आदेश के नीचे सरकार के प्रशासन की छानबीन, बिल्स और सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन की जाँच के लिए सैक्टर स्टैडिंग समितियों की स्थापना समय-समय पर करे।

स्टैडिंग ओर्डर्स

71.- (1) संसद अपने संचालन और कार्यवाही और उसकी समितियाँ और जिस प्रकार से उनकी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और इम्युनिटी उपयोग की जाती है उस के लिए स्टैडिंग ओर्डर्स बना सकती है।

(2) पहली चुनी हुई संसद इस संविधान के नीचे की पहली बैठक से पहले प्रधान मंत्री अटॉनी-जनरल के साथ परामर्श कर के संसद की स्टैडिंग ओर्डर्स को तैयार कर के राजपत्र में छाप दे ताकि संसद अपनी पहली बैठक के तुरंत बाद उसे स्वीकार कर ले।

पेटिशन्स, पब्लिक एक्सेस और भागीदारी

72.- (1) संसद के लिए अनिवार्य है -

(a) अपना संचालन खुले रूप से करे और अपनी समितियों की बैठक पब्लिक में करे; और

(b) संसद और समितियों के लेजिस्लेटिव और अन्य कार्यों में पब्लिक की भागीदारी की सुविधा करे।

(2) संसद और उसकी समितियाँ, पब्लिक और किसी भी मीडिया को किसी भी बैठक से बेदखल नहीं कर सकती जब तक कि कोई विशेष और उचित कारण से स्पीकर यह आदेश न दे कि पब्लिक को बाहर रखा जाए।

शक्तियाँ, विशेषाधिकार, इम्युनिटी और अनुशासन

73.-**(1)** संसद के हर सदस्य और जो कोई भी संसद में बौलता है, उसके पास है -

- (a) स्टैडिंग ओर्डर्स के अतिरिक्त संसद या उसकी समितियों में भाषण और बहस की स्वतंत्रता; और
- (b) संसद या उसकी समितियों में कुछ भी कहने का विशेषाधिकार और इम्युनिटी ।

(2) संसद, संसद सदस्यों के लिए उनकी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और इम्युनिटी लिख सकती है और उनके अनुशासन के लिए नियम और आदेश बना सकती है ।

सबूत के लिए बुलाने की शक्ति

74.-**(1)** संसद और उसकी समितियाँ किसी भी व्यक्ति को सबूत और जानकारी देने के लिए बुला सकती है ।

(2) सेक्षण (1) के लिए संसद और उसकी समितियों के पास हाई कोर्ट के बराबर शक्ति है कि -

- (a) गवाहों की हाज़री लागू करे और शपथ या प्रतिज्ञा के तहत उनकी जाँच करे; और
- (b) कार्यवाहियों की ज़रूरत के लिए दस्तावेज़ और अन्य सामग्रियाँ या जानकारी को पेश करने के लिए मजबूर करे ।

पार्ट C – ईस्टट्यूशन्स और ऑफिसस

इलेक्ट्रोल कमीशन

75.-**(1)** स्टेट सर्विसस डिक्री 2009 के नीचे स्थापित एलेक्ट्रोल कमीशन अस्तित्व में जारी है ।

(2) कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि चुनाव के लिखित कानून और अन्य प्रासंगिक कानून के अनुसार मतदाताओं के रेजिस्ट्रेशन और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करे और खासकर के -

- (a) नागरिकों के मतदाताओं के रूप में रेजिस्ट्रेशन करे और मतदाता रेजिस्टर का नियमित रूप से संशोधन करें;

- (b) मतदाताओं की शिक्षा;
 - (c) संसद के उम्मीदवारों को रेजिस्टर करें;
 - (d) चुनाव विवादों का निपटाव करें, विवाद नोमिनेशन से या उससे जुड़ी हुई बातें लेकिन चुनाव पेटिशन और चुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद के विवाद को छोड़कर; और
 - (e) लिखित कानून से चुनाव और राजनीतिक पार्टी की निगरानी और मॉनिटरिंग लागू करें।
- (3) कमीशन को ऐसे और कार्य इस संविधान और लिखित कानून से प्रदत्त होंगे।
- (4) कमीशन के लिए यह अनिवार्य है कि वह सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे और संसद को उसकी कोपी दे।
- (5) कमीशन ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति और संसद के लिए जब भी ठीक समझे बना सकती है।
- (6) कमीशन में एक अध्यक्ष जो जज बनने के योग्य है और 6 सदस्य शामिल है।
- (7) कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक ऑफिसस कमीशन की सलाह पर नियुक्त किए जाएंगे।
- (8) एक व्यक्ति सदस्य नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं है अगर -
- (a) संसद सदस्य है;
 - (b) सरकारी ऑफिस का पदाधिकारी है (जज के ऑफिस को छोड़कर);
 - (c) स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य है; या
 - (d) संसदीय चुनाव के लिए उम्मीदवार है।

सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शन्स

76.- (1) स्टेट सर्विसस डिक्री 2009 के नीचे स्थापित चुनाव के सूपरवाइजर का ऑफिस अस्तित्व में जारी है।

(2) एलेक्टोरल कमीशन की अगवाई के नीचे चुनाव के सूपरवाइज़र -

(a) मतदाताओं को संसदीय चुनाव के लिए रेजिस्टर करें;

(b) आयोजित करें -

(i) संसद सदस्यों का चुनाव; और

(ii) अन्य चुनाव जिसकी संसद आज्ञा दे; और

(c) और कोई कार्य कर सकती है जो लिखित कानून बताए।

(3) चुनाव के सूपरवाइज़र को अपने कार्य के लिए कमीशन के द्वारा हुए दिशा-निर्देश का पालन करना पड़ेगा।

(4) चुनाव के सूपरवाइज़र की नियुक्ति राष्ट्रपति संवैधानिक ऑफिसस कमीशन की सलाह पर करते हैं जो पहले एलेक्टोरल कमीशन से परामर्श कर लेते हैं।

संसद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर

77.- (1) आम चुनाव के बाद अपनी पहली बैठक या जब भी जरूरत हो स्थान को भरने के लिए संसद को बहुमत से चुनना चाहिए -

(a) एक स्पीकर जो संसद सदस्य ना हो लेकिन संसद सदस्य बनने के लिए चुनाव में खड़े होने का योग्य हो; और

(b) एक डिप्टी स्पीकर जो संसद सदस्यों में से हो (मंत्री को छोड़कर)।

(2) स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अनुसूची में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञा को संसद के सेक्रेटरी-जनरल की निगरानी में लेते हुए ऑफिस को ग्रहण करते हैं।

(3) संसद की सभी बैठकें स्पीकर की अध्यक्षता में होगी।

(4) डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के सभी कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं अगर स्पीकर ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है, या किसी और कारण से अपना कार्य नहीं कर सकते।

(5) अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के कर्तव्यों को नहीं कर सकते तो संसद् सदस्यों को अपने सदस्यों में से एक का चुनाव करना होगा जो संसद् की बैठक की अध्यक्षता करे ।

(6) स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अध्यक्षता करते हुए स्पीकर के कार्यों को प्रदर्शित करते हुए -

(a) स्वतंत्र है और सिर्फ इस संविधान और लिखित कानून के अधीन है;

(b) संसद् के सम्मान और गरिमा के लिए सेवा करे;

(c) सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी -

(i) सभी सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार; और

(ii) संसद् और उसकी समितियों की कार्यवाहियों की सार्वजनिक उपलब्धि;

(d) अधिकार है कि स्टौडिंग ओर्डर्स और संसद् परंपराओं के अनुसार संसद् के मान और मर्यादा को जारी रखे; और

(e) बिना डर, पक्ष या पूर्वाग्रह के कार्य करे ।

(7) स्पीकर का ऑफिस खाली हो जाता है -

(a) एक आम चुनाव के बाद संसद् के पहले दिन की बैठक से तुरंत पहले; या

(b) अगर स्पीकर उस दिन से पहले -

(i) राष्ट्रपति को इस्तीफा पत्र द्वारा अपना इस्तीफा दे;

(ii) किसी और सरकारी ऑफिस की पदवी लेले;

(iii) संसद् के चुनाव में एक रैजिस्टर्ड मतदाता का हक खत्म हो जाए;

(iv) संसद् की 2 बैठकों में से लगातार अनुपस्थित हो; या

(v) दो तिहाई या उस से ज्यादा संसद् सदस्य ऑफिस से निकलने के प्रस्ताव को समर्थन दे ।

(8) डिप्टी स्पीकर का ऑफिस खाली हो जाता है जब-

- (a) स्पीकर को लिखित इस्तीफा पत्र देता है;
- (b) संसद् सदस्य अपनी सीट छोड़ देता है;
- (c) एक मंत्री नियुक्त हो जाए; या
- (d) दो तिहाई या उस से ज्यादा संसद् सदस्य ऑफिस से निकलने के प्रस्ताव को समर्थन दे।

विपक्ष का नेता

78.- (1) संसद् सदस्य जो -

- (a) प्रधान मंत्री की राजनीतिक पार्टी का सदस्य न हो और विपक्ष पार्टी का या उनकी गठबंधन पार्टी का सदस्य हो;
- (b) कोई भी पार्टी जो प्रधान मंत्री की पार्टी के साथ गठबंधन में हो या समर्थन देता हो उनका सदस्य ना हो; या
- (c) स्वतंत्र उम्मीदवार जो प्रधान मंत्री को समर्थन न देता हो,

इस सेव्सन के आधार पर एक व्यक्ति को अपने बीच में से चुनाव द्वारा चुने जो विपक्ष का नेता होगा।

(2) एक आम चुनाव के बाद संसद की पहली बैठक में, स्पीकर उन सदस्यों से जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं उनसे नोमिनेशन माँगे और अगर एक ही व्यक्ति का नोमिनेशन और सहमति होती है तो स्पीकर उस को विपक्ष का नेता घोषित कर देगा लेकिन अगर एक से ज्यादा व्यक्ति का नोमिनेशन मिले और सहमति होती है तो स्पीकर को इन तरीकों से चुनाव कराना चाहिए -

- (a) अगर पहले मतदान के बाद पद के उम्मीदवार को संसद् सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं उनकी बहुमति मिले तो स्पीकर उस को विपक्ष का नेता घोषित कर देगा; और
- (b) अगर कोई भी पद के उम्मीदवार को पहले मतदान संसद् सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं उनकी बहुमति ना मिले तो पहले मतदान के 24 घंटे के अंदर दूसरा मतदान होना चाहिए और जिस पद

के उम्मीदवार को संसद सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं उनकी बहुमत मिले तो स्पीकर उस को विपक्ष का नेता घोषित कर देगा ।

(3) अगर सब्सेक्शन (2) के नीचे मतदान के बाद कोई भी व्यक्ति को संसद सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं उनकी बहुमत ना मिले तो विपक्ष के नेता का स्थान उस समय तक खाली रहेगा जब तक बहुमत संसद सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं स्पीकर के पास लिख कर उन से अनुरोध करे कि सब्सेक्शन (2) के दिए गए आधार पर विपक्ष के नेता के चुनाव के लिए ताज़ा नोमिनेशन बुलाए ।

(4) अगर बहुमत संसद सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं ये विचार करते हैं कि जो व्यक्ति विपक्ष का नेता है वह विपक्ष के नेता को स्थान पर नहीं रहे तो वह स्पीकर को अपने विचार के बारे में बता कर संसद सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं उनमें सेसब्सेक्शन (2) के दिए गए आधार पर दूसरे विपक्ष के नेता का चुनाव कर सकते हैं ।

(5) संसद के अंत या भंग होने तक विपक्ष का नेता अगले प्रधान मंत्री की नियुक्ति तक ऑफिस में ही रहेंगे ।

(6) अगर इस सेक्शन के आधार पर विपक्ष के नेता का चुनाव नहीं हुआ तो इस संविधान में जो कार्य विपक्ष के नेता को सौंपा गया है जिसमें सलाह, नोमिनेशन या परामर्श शामिल है का कोई असर नहीं होगा और इस संविधान के प्रावधानों के नीचे एक नियुक्ति या कोई भी कार्य विपक्ष के नेता के जिक्र के बिना ही किया जाएगा ।

संसद के सेक्रेटरी-जनरल

79.- (1) यह सेक्शन संसद के सेक्रेटरी-जनरल के ऑफिस की स्थापना करता है ।

(2) संवैधानिक ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के सचिव की नियुक्ति करते हैं ।

(3) संसद के सेक्रेटरी-जनरल की अवधि परमानेंट सेक्रेटरी के समान है और वह स्पीकर के लिए यह जिम्मेदारी देखें कि संसद कुशल, प्रभावी और किफायती रूप से चल रही है ।

(4) संसद के सेक्रेटरी-जनरल स्पीकर और सभी संसद सदस्यों और समितियों के मुख्य प्रक्रियात्मक सलाहकार हैं ।

(5) संसद के सेक्रेटरी-जनरल सभी कार्य जो संसद के स्टैडिंग ओर्डर्स से उन पर लागू होता है के लिए जिम्मेदार हैं ।

(6) संसद के सेक्रेटरी-जनरल अपने कार्य को करते समय या अपनी अर्थाँरिटी को इस्तेमाल करते समय स्वतंत्र रहेंगे और किसी भी व्यक्ति या अर्थाँरिटी के आदेश या नियंत्रण के अधीन में नहीं होंगे सिर्फ स्पीकर, एक कानूनी कोर्ट या लिखित कानून को छोड़कर ।

(7) संसद के सेक्रेटरी-जनरल के पास नियुक्त करने, हटाने और संसद के सभी कर्मचारियों (प्रशासनिक कर्मचारी भी) के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने की अर्थाँरिटी है ।

(8) संसद के सेक्रेटरी-जनरल के पास यह अर्थाँरिटी है कि सभी मामलों पर संसद के सभी कर्मचारियों जो काम करते हैं उनके लिए निर्धारित करे -

(a) नौकरी के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरत और नियुक्ति के लिए ऐसी प्रक्रिया की अनुवर्ती करे जो खुली, पारदशी और प्रतिस्पर्धी हो;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत किए गए अपने बजट के मुताबिक वेतन, लाभ और अलाउंस दें; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत किए गए बजट के मुताबिक आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या निर्धारित करे ।

(9) संसद के सेक्रेटरी-जनरल और संसद के हर एक कर्मचारी को जो वेतन, लाभ और अलाउंस दिया जाएगा उसको कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा ।

(10) संसद, संसद के सेक्रेटरी-जनरल के लिए यह सुनिश्चित करे कि उन्हें पर्याप्त अनुदान और संसाधन की प्राप्ति हो जिससे वह अपनी शक्तियों के इस्तेमाल, और संसद के सेक्रेटरी-जनरल के कार्य और जिम्मेदारियों को निभाए ।

रिम्यूनरेशन

80. रिम्यूनरेशन जिसमें वेतन, अलाउंस और लाभ जो राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, और मंत्रियों, विपक्ष के नेता, संसद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और संसद सदस्यों को मिलेगा वह लिखित कनून द्वारा निर्धारित किया जाएगा और किसी भी तरह से उनकी हानि के लिए बदला नहीं जाएगा, जब तक कि राज्य के सारे अधिकारियों के वेतन में बदलाव नहीं आएगा ।

चैप्टर 4 - एग्जीक्यूटिव

पार्ट A - राष्ट्रपति

फीजी का राष्ट्रपति

- 81.-⁽¹⁾ यह सेक्शन राष्ट्रपति के ऑफिस की स्थापना करता है।
- ⁽²⁾ राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं और राज्य की एग्जीक्यूटिव अर्थारिटी उनके हाथों में है।
- ⁽³⁾ राष्ट्रपति रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर-इन-चीफ के रूप में औपचारिक कार्यों और जिम्मेदारियों को निभाएंगे।
- ⁽⁴⁾ राष्ट्रपति हर सालाना सत्र का उद्घाटन करते समय सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे।

राष्ट्रपति सलाह पर कार्य करते हैं

82. अपनी शक्तियों और एग्जीक्यूटिव अर्थारिटी का इस्तेमाल करने में, राष्ट्रपति सिर्फ मंत्रिमण्डल या एक मंत्री या संविधान द्वारा निर्धारित किसी अन्य बोडी या अर्थारिटी जिसको किसी विशेष कार्य के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए तैयार किया है उनकी सलाह पर कार्य करेंगे।

नियुक्ति की योग्यता

- 83.-⁽¹⁾ एक व्यक्ति राष्ट्रपति के ऑफिस के लिए नोमिनेट होने के योग्य नहीं है अगर -
- (a)* उसके पास राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जीवन के किसी एक पहलू में एक प्रतिष्ठित कैरियर रह चुका हो, चाहे पब्लिक या प्राइवेट क्षेत्र में;
 - (b)* को पास सिर्फ फीजियन नागरिकता हो;
 - (c)* किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य या पदाधिकारी हो;
 - (d)* राज्य के किसी अन्य ऑफिस के चुनाव का उम्मीदवार हो; और
 - (e)* नोमिनेट होने के दिन से 6 वर्ष पहले तक किसी भी कानून के नीचे किसी भी अपराध के लिए दोषी पाया गया हो।

(2) एक व्यक्ति जो सरकारी ऑफिस में नियुक्त है उसे राष्ट्रपति का नोमिनेशन स्वीकार करते समय इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा लेकिन राष्ट्रपति नियुक्त होते ही उसका उस ऑफिस से इस्तीफा लागू हो जाएगा ।

(3) इस सेवकशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राष्ट्रपति को लिखित कानून के नीचे राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के बाद पब्लिक ऑफिस में पद धारण करने से रोकता है ।

राष्ट्रपति की नियुक्ति

84.-**(1) संसद राष्ट्रपति की नियुक्ति करेगी ।**

(2) जब भी राष्ट्रपति के ऑफिस में रिक्ति होगी तब प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता स्पीकर के पास एक-एक नाम नोमिनेट करेंगे जो दोनों नामों को संसद में संसद सदस्यों के बीच में चुनाव के लिए रखेंगे ।

(3) जिस व्यक्ति को संसद सदस्यों की बहुमति प्राप्त हो उसे राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाएगा और स्पीकर राष्ट्रपति का नाम सार्वजनिक रूप से घोषित करेंगे ।

(4) अगर नोमिनेट किए गए दोनों व्यक्तियों को बराबर मत मिलते हैं तो स्पीकर 24 घंटे बाद दोबारा चुनाव कराएंगे और जब तक एक व्यक्ति को संसद सदस्यों की बहुमति प्राप्त न हो तब तक चुनाव चलता रहेगा; हालांकि अगर 3 बार चुनाव के बाद किसी को भी संसद सदस्यों की बहुमति प्राप्त न हो तो स्पीकर यह घोषणा कर देंगे कि प्रधान मंत्री ने जिसको नोमिनेट किया था उसे संसद ने राष्ट्रपति नियुक्त कर दी है ।

(5) अगर प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता एक ही व्यक्ति का नाम नोमिनेट करते हैं तो चुनाव नहीं होगा और स्पीकर यह घोषणा कर देंगे कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त हो गया है ।

ऑफिस की अवधि और रिम्यूनरेशन

85.-**(1) राष्ट्रपति 3 सालों के लिए ऑफिस संभाल सकते हैं, और फिर 3 सालों की एक अतिरिक्त अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के योग्य हैं लेकिन उस के बाद पुनः नियुक्ति नहीं होगी ।**

(2) सब्सेक्शन (1) के लिए, यह विचार करने के लिए कि क्या एक व्यक्ति नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के योग्य हैं या नहीं, इस संविधान के प्रारंभ से पहले की नियुक्ति अवधि को ध्यान में रखा जाएगा ।

(3) सेवकशन 80 के नीचे लिखे कानून के अनुसार राष्ट्रपति को रिम्यूनरेशन, अलाउंस और लाभ मिलेगा ।

ऑफिस की शपथ

86. ऑफिस को लेने से पहले राष्ट्रपति चीफ जस्टिस के सामने एक पब्लिक समारोह में अनुसूची के मुताबिक शपथ लेंगे ।

इस्तीफा

87. राष्ट्रपति एक लिखित इस्तीफा प्रधान मंत्री को भेजकर अपने ऑफिस से इस्तीफा दे सकते हैं और प्रधान मंत्री नोटिस संसद के समक्ष रखेंगे ।

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में चीफ जस्टिस उनका कार्य करेंगे

88. अगर राष्ट्रपति ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है, या किसी कारण से राष्ट्रपति के कार्य को नहीं कर सकते हैं या राष्ट्रपति का ऑफिस किसी कारण से खाली हो जाए, तो चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के ऑफिस के कार्य को करेंगे ।

ऑफिस से हटाया जाना

89.- (1) ऑफिस का काम करने में असमर्थ होने के कारण (शारीरिक, मानसिक या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली दुर्बलता) या दुर्व्यवहार के लिए राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है ।

(2) राष्ट्रपति को ऑफिस से सिर्फ इस सेक्शन के आधार पर हटाया जा सकता है ।

(3) अगर प्रधान मंत्री के विचार में राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाने वाले सवाल की जांच की जानी चाहिए तो -

(a) प्रधान मंत्री चीफ जस्टिस को अनुरोध करें कि वो -

- (i) दुर्व्यवहार के मामले के लिए - एक द्रायव्यूनल की स्थापना करे जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे जो जज हों या बनने के योग्य हों; या
- (ii) ऑफिस का काम करने में असमर्थ होने के मामले के लिए - एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना करे जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे जो योग्य चिकित्सक हों,

और प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को इस अनुरोध की सूचना देंगे ।

(b) चीफ जस्टिस, जो अनुरोध पर काम करेंगे, एक द्रायव्यूनल या मेडिकल बोर्ड (जैसी स्थिति हो) की स्थापना करेंगे; और

- (c) द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड मामले की छानबीन करके चीफ जस्टिस को एक लिखित रिपोर्ट टेकर सलाह देंगे कि क्या राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जाए या नहीं और चीफ जस्टिस रिपोर्ट प्रधान मंत्री को देंगे जो वे संसद में रखेंगे ।
- (4) क्या राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जाए या नहीं इस पर निर्णय लेने के लिए प्रधान मंत्री द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड (जैसी स्थिति हो) की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे ।
- (5) सब्सेक्शन (3)(a) के नीचे जिस दिन से राष्ट्रपति को अधिसूचना मिलती है और सब्सेक्शन (4) के नीचे जिस दिन तक निर्णय बनता है राष्ट्रपति अपने ऑफिस के कार्य को नहीं कर सकते हैं ।
- (6) सब्सेक्शन (3) के तहत द्रायब्यूनल की रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड की सिफारिशें (जैसी स्थिति हो) आम की जानी चाहिए ।
- ### पार्ट B – मंत्रिमंडल
- जिम्मेदार सरकार**
90. सरकारों को संसद पर भरोसा होना चाहिए ।
- मंत्रिमंडल**
- 91.- (1) संसद में प्रधान मंत्री अध्यक्ष के रूप में और अन्य मंत्री जिनको प्रधान मंत्री नियुक्त करते हैं रहते हैं ।
- (2) मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी शक्तियों का उपयोग करने में और अपने कायों को करने के लिए संसद को जवाबदेह हैं ।
- (3) एक मंत्री को संसद या संसद समिति के सामने आना होगा अगर उस मामले पर उठे प्रश्न का जवाब देना है जिसके लिए मंत्री जिम्मेदार है ।
- (4) मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों की पूरी और नियमित रूप से रिपोर्ट देनी होगी ।
- (5) मंत्रिमंडल इस संविधान की व्याख्या या उपयोग से संबंधित किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकता है ।

प्रधान मंत्री का ऑफिस

92.-**(1) प्रधान मंत्री सरकार का मुखिया है।**

(2) प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को फीजी के शासन के बारे में जानकारी देते रहेंगे।

(3) प्रधान मंत्री -

(a) समय-समय पर मंत्रियों को अलग-अलग जिम्मेदारियों के लिए नियुक्त करेंगे;

(b) मंत्रियों को बरखास्त करेंगे; और

(c) राजपत्र में नोटिस प्रकाशित कर के किसी मंत्री या अपने आप को सरकार के निर्दिष्ट भाग की बागडौर की जिम्मेदारी सौंपेंगे जिसमें सामान्य दिशा और नियंत्रण के लिए पब्लिक सर्विस के विभाग और अनुशासित बलों की जिम्मेदारी, और हर एक्ट के कार्यान्वयन और प्रशासन की जिम्मेदारी शामिल है; हालांकि सरकार के किसी विभाग की जिम्मेदारी अगर किसी को नहीं सौंपी गई है तो वह प्रधान मंत्री के पास रहेगी।

(4) प्रधान मंत्री एक मंत्री को स्थानापन्न रूप से प्रधान मंत्री दफ्तर में नियुक्त करेंगे अगर प्रधान मंत्री ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है या किसी कारण से प्रधान मंत्री के कार्य को नहीं कर सकते हैं, और स्थानापन्न प्रधान मंत्री की नियुक्ति की सूचना राजपत्र में प्रकाशित होनी चाहिए।

प्रधान मंत्री की नियुक्ति

93.-**(1) प्रधान मंत्री संसद सदस्य होना चाहिए।**

(2) एक आम चुनाव के बाद, संसद में चुना गया वह सदस्य जो एक राजनीतिक पार्टी का नेता है जिसने संसद में 50% से ज़्यादा सीटें जीती है राष्ट्रपति के सामने अनुसूची में निहित निष्ठा और ऑफिस की शपथ या प्रतिज्ञान करते हुए (जो राष्ट्रपति दिलाएंगे) प्रधान मंत्री का ऑफिस ग्रहण करता है।

(3) एक आम चुनाव के बाद अगर कोई एक राजनीतिक पार्टी संसद में 50% से ज़्यादा सीटें नहीं जीतती है तब संसद की पहली बैठक में स्पीकर संसद सदस्यों से नोमिनेशन की माँग करेंगे और अगर एक ही व्यक्ति को नोमिनेशन और सहमति मिलती है तो वह

राष्ट्रपति के सामने अनुसूची के मुताबिक निष्ठा और ऑफिस की शपथ या प्रतिज्ञान करता है (जो राष्ट्रपति दिलाएंगे) और प्रधान मंत्री का ऑफिस ग्रहण करता है लेकिन अगर एक से ज़्यादा नामों को नोमिनेशन और सहमति मिलती है तो स्पीकर को इस तरह मतदान करवाना पड़ेगा -

- (a) अगर पहले चुनाव के बाद जो व्यक्ति नोमिनेट हुआ था उस को 50% से ज़्यादा संसद सदस्यों की सहमति है तो वह राष्ट्रपति के सामने अनुसूची के मुताबिक निष्ठा और ऑफिस की शपथ या प्रतिज्ञा लेता है (जो राष्ट्रपति दिलाएंगे);
- (b) अगर पहले चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनेट हुए थे उन को 50% संसद सदस्यों की सहमति नहीं मिलती है तो 24 घंटों के अंदर दूसरा मतदान होना चाहिए और अगर दूसरे मतदान के बाद जो व्यक्ति नोमिनेट हुआ था उस को 50% से ज़्यादा संसद सदस्यों की सहमति है तो वह राष्ट्रपति के सामने अनुसूची के मुताबिक निष्ठा और ऑफिस की शपथ या प्रतिज्ञा लेता है (जो राष्ट्रपति दिलाएंगे);
- (c) अगर दूसरे चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनेट हुए थे उन को 50% संसद सदस्यों की सहमति नहीं मिलती है तो 24 घंटों के अंदर तीसरा मतदान होना चाहिए और अगर तीसरे मतदान के बाद जो व्यक्ति नोमिनेट हुआ था उस को 50% से ज़्यादा संसद सदस्यों की सहमति है तो वह राष्ट्रपति के सामने अनुसूची के मुताबिक निष्ठा और ऑफिस की शपथ या प्रतिज्ञा लेता है (जो राष्ट्रपति दिलाएंगे); और
- (d) अगर तीसरे चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनेट हुए थे उन को 50% संसद सदस्यों की सहमति नहीं मिलती है तो स्पीकर राष्ट्रपति को लिखित में सूचित करे कि संसद प्रधान मंत्री की नियुक्ति नहीं कर पा रही है और राष्ट्रपति 24 घंटों के अन्दर संसद को भंग करके इस संविधान के मुताबिक चुनाव का रिट जारी करेंगे ।

(4) प्रधान मंत्री का स्थान खाली होता है जब प्रधान मंत्री -

- (a) राष्ट्रपति के पास लिखकर इस्तीफा देता है;
- (b) संसद का सदस्य नहीं रहता है या सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता है; या
- (c) उनका देहान्त हो जाता है ।

(5) सब्सेक्शन (4) के नीचे अगर प्रधान मंत्री के ऑफिस में रिक्त हुई तो स्पीकर तुरंत संसद को बुलाएंगे और संसद सदस्यों से प्रधान मंत्री के ऑफिस के लिए नोमिनेशन की माँग करेंगे और अगर एक ही व्यक्ति को नोमिनेशन और सहमति मिलती है तो वह राष्ट्रपति के सामने अनुसूची के मुताबिक प्रधान मंत्री होने की शपथ लेगा (जो राष्ट्रपति दिलाएंगे) लेकिन अगर एक से ज्यादा नामों को नोमिनेशन और सहमति मिलती है तो स्पीकर को इस तरह से चुनाव करना पड़ेगा -

- (a) अगर पहले चुनाव के बाद जो व्यक्ति नोमिनेट हुआ था उस को 50% से ज्यादा संसद सदस्यों की सहमति है तो वह राष्ट्रपति के सामने अनुसूची के मुताबिक प्रधान मंत्री होने का शपथ लेता है (जो राष्ट्रपति को ही करवाना पड़ेगा);
- (b) अगर पहले चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनेट हुए थे उन को 50% संसद सदस्यों की सहमति नहीं मिलती है तो 24 घंटों के अंदर दूसरा मतदान होना चाहिए और अगर दूसरे मतदान के बाद जो व्यक्ति नोमिनेट हुआ था उस को 50% से ज्यादा संसद सदस्यों की सहमति है तो वह राष्ट्रपति के सामने अनुसूची के मुताबिक प्रधान मंत्री होने की शपथ लेता है (जो राष्ट्रपति दिलाएंगे);
- (c) अगर दूसरे चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनेट हुए थे उन को 50% संसद सदस्यों की सहमति नहीं मिलती है तो 24 घंटों के अंदर तीसरा मतदान होना चाहिए और अगर तीसरे मतदान के बाद जो व्यक्ति नोमिनेट हुआ था उस को 50% से ज्यादा संसद सदस्यों की सहमति है तो वह राष्ट्रपति के सामने अनुसूची के मुताबिक प्रधान मंत्री होने की शपथ लेता है (जो राष्ट्रपति दिलाएंगे); और
- (d) अगर तीसरे चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनेट हुए थे उन को 50% संसद सदस्यों की सहमति नहीं मिलती है तो स्पीकर राष्ट्रपति को लिखित में सूचित करे कि संसद प्रधान मंत्री की नियुक्ति नहीं कर पा रही है और राष्ट्रपति 24 घंटों के अंदर संसद को भंग करके इस संविधान के मुताबिक चुनाव का रिट जारी करेंगे ।

(6) प्रधान मंत्री संसद की पूरी अवधि तक सेवा प्रदान करेंगे और किसी प्रकार से बरखास्त नहीं होंगे, जब तक कि सेवक्षण 94 के तहत अविश्वास के प्रस्ताव के बोट से बरखास्त नहीं होंगे ।

(7) प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक कि दूसरा प्रधान मंत्री इस सेवक्षण के मुताबिक हुए चुनाव के बाद प्रधान मंत्री ऑफिस को नहीं संभालेंगे ।

अविश्वास का प्रस्ताव

94.- (1) प्रधान मंत्री सिर्फ अविश्वास के प्रस्ताव के कारण ही बरखास्त होंगे, और इस प्रस्ताव में प्रधान मंत्री पद के लिए किसी दूसरे संसद सदस्य का नाम भी होगा ।

(2) अविश्वास के प्रस्ताव पर 24 घटों के अन्दर वोट होगा ।

(3) अविश्वास का प्रस्ताव पास होगा अगर कम से कम बहुमत से संसद सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा ।

(4) अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास होगा तो -

(a) वर्तमान प्रधान मंत्री ऑफिस तुरन्त छोड़ेंगे;

(b) समझ लिया जाएगा कि मंत्रीमंडल के हर एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है; और

(c) जिस व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाने के तुरन्त बाद ऑफिस संभालेंगे ।

(5) अगर वर्तमान प्रधान मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव विफल होगा तो कम से कम 6 महीनों तक उनके खिलाफ अविश्वास का कोई अतिरिक्त प्रस्ताव नहीं रखा जा सकेगा ।

मंत्रियों की नियुक्ति

95.- (1) सेक्शन 96(3) के तहत, एक मंत्री संसद सदस्य होगा ।

(2) मंत्रीमंडल का हर एक सदस्य अनुसूची के मुताबिक राष्ट्रपति के सामने निष्ठा की शपथ लेकर ऑफिस संभालेगा ।

(3) हर मंत्री तब तक ऑफिस में रहेगा है जब तक -

(a) प्रधान मंत्री द्वारा हटाया नहीं जाएगा;

(b) संसद सदस्य नहीं रहेगा या संसद सदस्य बनने की योग्यता नहीं रहेगी; या

(c) प्रधान मंत्री को लिखित रूप में इस्तीफा नहीं देगा ।

(4) प्रधान मंत्री एक मंत्री को किसी भी अवधि या सभी अवधियों के लिए किसी दूसरे मंत्री की जगह स्थानापन्न रूप से नियुक्त करेंगे जब दूसरा मंत्री ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है, या किसी भी कारण से मंत्री के कार्य को नहीं कर सकता, और स्थानापन्न मंत्री की नियुक्ति की सूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी।

अटोर्नी-जनरल

96.- (1) अटोर्नी-जनरल के रूप में नियुक्त मंत्री सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होगा।

(2) एक व्यक्ति अटोर्नी-जनरल नियुक्त होने के योग्य है अगर -

- (a) वह फीजी में लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में दाखिल है और दाखिला के बाद 15 सालों से ज्यादा फीजी में या विदेश में लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में कार्य कर चुका है; और
- (b) फीजी या विदेश में किसी अनुशासनिक कार्रवाई जिसमें लीगल प्रैक्टिशनर शामिल थे, इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेज़ कमीशन द्वारा किसी भी कार्रवाई, या इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेज़ कमीशन की स्थापना से पहले किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर, बैरिस्टर और सॉलिसिटर के कानून के तहत दोषी नहीं है।

(3) अगर प्रधान मंत्री के विचार में संसद सदस्यों में ऐसा कोई नहीं है जो -

- (a) प्रधान मंत्री की राजनीतिक पार्टी का हो;
- (b) प्रधान मंत्री की राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ी किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी का हो; या
- (c) प्रधान मंत्री का समर्थन करने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार हो,

जो अटोर्नी-जनरल नियुक्त होने के लिए योग्य, उपयुक्त या उपलब्ध हैं, तो प्रधान मंत्री एक व्यक्ति को, जो संसद सदस्य नहीं है, अटोर्नी-जनरल नियुक्त करेंगे अगर वह व्यक्ति -

- (i) लीगल प्रैक्टिशनर है और सब्सेक्शन (2) के तहत अटोर्नी-जनरल नियुक्त होने के लिए योग्य है; और
- (ii) सेक्शन 56 के तहत संसदीय चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के लिए योग्य है।

(4) सब्सेक्शन (3) के तहत जिस व्यक्ति को अटोर्नी-जनरल नियुक्त किया गया है एक मंत्री के रूप में मंत्रिमण्डल में भाग ले सकेगा, और संसद में बैठ सकेगा, लैकिन संसद में वोट नहीं डाल सकेगा ।

(5) जिस व्यक्ति को अटोर्नी-जनरल नियुक्त किया गया है, अटोर्नी-जनरल के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान, एक लौ फेर्म में लीगल प्रैक्टिशना के रूप में काम नहीं कर सकता या एक लौ फेर्म में किसी भी तरह की भागीदारी नहीं हो सकती या उसके नाम से कोई भी लौ फेर्म नहीं हो सकता है ।

(6) प्रधान मंत्री एक मंत्री या एक संसद सदस्य या किसी व्यक्ति को (सब्सेक्शन (3) के तहत) जो अटोर्नी-जनरल नियुक्त होने के योग्य है, किसी भी अवधि या सभी अवधियों के लिए स्थानापन्न रूप से अटोर्नी-जनरल नियुक्त करेंगे जब अटोर्नी-जनरल ॲफिस से या फीजी से अनुपस्थित है, या किसी भी कारण से अटोर्नी-जनरल के कार्य को नहीं कर सकता, और स्थानापन्न अटोर्नी-जनरल की नियुक्ति की सूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी ।

(7) सब्सेक्शन (5) उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो सब्सेक्शन (6) के तहत अटोर्नी-जनरल नियुक्त किया गया है ।

चैप्टर 5 - जुडिशरी

पार्ट A - अदालतें और जुडिशल अफसर

जुडिशल अर्थार्टी और स्वतंत्रता

97.- (1) राज्य की जुडिशल शक्ति और अर्थार्टी सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, और कानून द्वारा स्थापित इस तरह की अन्य अदालतें और द्रायब्यूनल्स में निहित हैं।

(2) अदालतें और सभी जुडिशल अफसर सरकार की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भागों से स्वतंत्र हैं, और सिर्फ इस संविधान और कानून के अधीन हैं, जिन्हें वे बिना डर, पक्षपात या पूर्वाग्रह के लागू करेंगे।

(3) कोई व्यक्ति अदालतों की जुडिशल कार्यवाहियों में दखल नहीं दे सकेगा, या अदालतों की प्रशासनिक कार्यवाहियों में बिना कारण दखल नहीं दे सकेगा।

(4) संसद और मंत्रिमंडल, लेजिस्लेटिव और अन्य तरीकों से, अदालतों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, पहुँच और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सहायता और सुरक्षा प्रदान करेंगे।

(5) संसद यह सुनिश्चित करेगा कि जुडिशरी के पास पर्याप्त धन और अन्य संसाधन हैं ताकि वह अपने कार्य को अच्छी तरह से करे और शक्तियों का अच्छी तरह से प्रयोग करे।

(6) जुडिशरी अपने बजट और फाइनेंस का नियंत्रण खुद करेगी जिसकी स्वीकृति संसद ने दी है।

सुप्रीम कोर्ट

98.- (1) सुप्रीम कोर्ट में -

(a) चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष है; और

(b) अवसर की आवश्यकता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए अन्य जज शामिल हैं।

(2) अगर चीफ जस्टिस ज़रूरी समझता है तो कोर्ट ऑफ अपील का कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बैठ सकेंगा।

(3) सुप्रीम कोर्ट -

- (a) आखिरी अपील कोर्ट है;
- (b) के पास एकमात्र जुरिस्डिक्शन है कि वह, लिखित कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के तहत, कोर्ट ऑफ अपील के अंतिम निर्णयों पर अपील की सुनवाई और फैसला करें; और
- (c) के पास मूल जुरिस्डिक्शन है कि वह सेवक्षण 91(5) में ज़िक्र किए गए संवैधानिक प्रश्नों को सुनें और फैसला करें।

(4) कोर्ट ऑफ अपील के एक आखिरी निर्णय को अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सकेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अनुमति नहीं दे।

(5) अपने अपील जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते समय सुप्रीम कोर्ट शायद -

- (a) कोर्ट ऑफ अपील के निर्णयों या आदेशों पर पुनर्विचार करेगा, बदलेगा, रद्द करेगा या समर्थन करेगा; या
- (b) न्याय-प्रशासन के लिए ज़रूरी कोई अन्य आदेश देगा, जिसमें नए द्रायल या खर्चों को देने का आदेश होगा।

(6) सब्सेक्षन (7) के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन राज्य की सभी अन्य अदालतों को करना होगा।

(7) सुप्रीम कोर्ट अपने बनाए हुए किसी भी निर्णय, घोषणा या आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है।

कोर्ट ऑफ अपील

99.- (1) कोर्ट ऑफ अपील में -

- (a) एक जज, चीफ जस्टिस को छोड़कर, जिसे कोर्ट ऑफ अपील का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है; और
- (b) अपील जज नियुक्त किए जाने वाले अन्य जज शामिल हैं।

(2) अगर कोर्ट ऑफ अपील का अध्यक्ष ज़रूरी समझता है तो हाई कोर्ट का कोई भी जज, चीफ जस्टिस को छोड़कर, कोर्ट ऑफ अपील की एक सुनवाई में बैठ सकेगा।

(3) कोर्ट ऑफ अपील के पास जुरिस्डिक्शन है, इस संविधान और लिखित कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के तहत, कि वह हाई कोर्ट के सभी निर्णयों पर अपील की सुनवाई और फैसला करे, और लिखित कानून द्वारा प्रदत्त इस तरह के अन्य जुरिस्डिक्शन है।

(4) इस संविधान या इसकी व्याख्या के तहत हाई कोर्ट के एक आखिरी निर्णय पर कोर्ट ऑफ अपील में अपील करने का अधिकार है।

(5) एक लिखित कानून यह बताएगा कि हाई कोर्ट के अन्य निर्णयों से लिखित कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार अपील कोर्ट ऑफ अपील में होगा।

हाई कोर्ट

100.- (1) हाई कोर्ट में होता है -

(a) चीफ जस्टिस;

(b) और ऐसे जज जो हाई कोर्ट में जज नियुक्त किए जाते हैं;

(c) हाई कोर्ट के मास्टर्स; और

(d) हाई कोर्ट के चीफ रेजिस्ट्रार।

(2) हाई कोर्ट के मास्टर्ज़ और हाई कोर्ट के चीफ रेजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ लिखित कानून से या चीफ जस्टिस द्वारा बनाए गए कोर्ट के कानून से निर्धारित की जाएंगी।

(3) हाई कोर्ट के पास असीमित मूल क्षेत्राधिकार है कि कोई भी सिविल या अपराधिक कार्यवाही किसी भी कानून के तहत सुने और निर्धारित करे और ऐसा और मूल क्षेत्राधिकार इस संविधान और लिखित कानून से उस को मिलती है।

(4) और हाई कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार है कि इस संविधान या इस के कोई भी व्याख्या के बारे में कोई भी बात सुने।

(5) हाई कोर्ट के पास लिखित कानून के अनुसार अपील के अधिकार की आवश्यकताएँ उसके अधीन में क्षेत्राधिकार है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और अन्य सबोर्डिनेट कोर्टों के निर्णय की अपील को सुने और निर्धारित करे।

(6) हाई कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और अन्य सबोर्डिनेट कोर्टों में कोई भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही की निगरानी करे और अगर उसके पास आवेदन आए तो मजिस्ट्रेट कोर्ट और अन्य सबोर्डिनेट कोर्टों के लिए आदेश जारी करे, रिट्रैट दे और ऐसा निर्देश दे जिससे उसके विचार में न्याय का प्रशासन हो ।

(7) अगर किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट कोर्ट या अन्य सबोर्डिनेट कोर्ट में इस संविधान की व्याख्या पर सवाल उठे तो मजिस्ट्रेट कोर्ट या अन्य सबोर्डिनेट कोर्ट उस मामले पर फैसला कर सकते हैं और उसकी अपील हाई कोर्ट में करने का अधिकार है ।

मजिस्ट्रेटस कोर्ट

101.- (1) मजिस्ट्रेट कोर्ट में शामिल हैं -

(a) मजिस्ट्रेट; और

(b) जुडिशल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त अन्य मजिस्ट्रेट ।

(2) मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास लिखित कानून द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार है ।

अन्य कोर्ट

102. एक लिखित कानून अन्य कोर्ट, द्रायव्यूनल या कमीशन जो हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट या अन्य सबोर्डिनेट कोर्ट की तरह स्थिति हो की स्थापना और निर्धारण करेगा ।

कोर्ट के नियम और प्रक्रियाएँ

103.- (1) इस संविधान के या लिखित कानून के सुसंगत सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष कोर्ट के लिए नियम बनाएंगे और दिशा-निर्देश देंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट के नियम और प्रक्रियाओं का निर्धारण और विनियमन हो ।

(2) इस संविधान के या लिखित कानून के सुसंगत अपील कोर्ट के अध्यक्ष कोर्ट के लिए नियम बनाएंगे और दिशा-निर्देश देंगे जिससे अपील कोर्ट के नियम और प्रक्रियाओं का निर्धारण और विनियमन हो ।

(3) इस संविधान के या लिखित कानून के सुसंगत चीफ जस्टिस कोर्ट के लिए नियम बनाएंगे और दिशा-निर्देश देंगे जिससे हाई कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट के नियम और प्रक्रियाओं का निर्धारण और विनियमन हो ।

जुडिशल सर्विस कमीशन

104.- (1) एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिक्री 2009 के तहत स्थापित जुडिशल सर्विस कमीशन अभी भी मौजूद है, और उसमें -

- (a) चीफ जस्टिस, जो अध्यक्ष रहेंगे;
 - (b) कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष;
 - (c) जस्टिस के लिए जिम्मेदार परमानेंट सेकेटरी;
 - (d) एक लीगल प्रैक्टिशनर जो दाखिला के बाद कम से कम 15 सालों की प्रैक्टिस कर चुका है, जिसकी नियुक्ति अटॉनी-जनरल के साथ चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद चीफ जस्टिस की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे और जो -
 - (i) दाखिला होने के बाद 15 सालों से ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है; और
 - (ii) चाहे फीजी या विदेश में लीगल प्रैक्टिशनस के साथ किसी अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी नहीं पाया गया हो, जिसमें इंडिपेंडेंड लीगल सर्विसेस कमीशन या लीगल प्रैक्टिशनस, बैरिस्टर्स और सॉलिसिटर्स के कानून के नीचे इंडिपेंडेंड लीगल सर्विसेस कमीशन की स्थापना से पहले कोई कार्यवाही शामिल है; और
 - (e) एक व्यक्ति, जो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है, जिसकी नियुक्ति अटॉनी-जनरल के साथ चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद चीफ जस्टिस की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे।
- (2) इस संविधान में दिए हुए कार्यों के अतिरिक्त, कमीशन जुडिशल अफसरों के बारे में शिकायतों की जाँच करेगा।
- (3) इस संविधान द्वारा या के तहत दिए हुए कार्यों के अतिरिक्त, कमीशन के पास लिखित कानून द्वारा निर्धारित इसी तरह की अन्य शक्तियाँ और कार्य हैं।
- (4) जजों और जुडिशल अफसरों की सतत शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कमीशन जिम्मेदार है।
- (5) जुडिशरी के कुशल संचालन के लिए कमीशन जिम्मेदार है।
- (6) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा।

(7) कमीशन जुडिशरी या जस्टिस के प्रबंधन से संबंधित किसी भी मामले पर अटॉर्नी-जनरल को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा ।

(8) अपने कार्यों को करने या अपनी अर्थात् आर्टिटी और शक्तियों का प्रयोग करने में कमीशन स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अर्थात् आर्टिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(9) कमीशन का सेक्रेटरी चीफ रेजिस्ट्रार है, या उस ऑफिस में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ।

(10) कमीशन की सभाओं के लिए कोरम के लिए अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य चाहिए ।

(11) सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) और (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य 3 सालों की अवधि के लिए नियुक्त होंगे और पुनः नियुक्ति के योग्य रहेंगे ।

(12) सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) और (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य अटॉर्नी-जनरल के साथ चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद चीफ जस्टिस की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन के हकदार हैं, इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफसरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(13) सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाले जाएंगे, अन्यथा नहीं निकाले जा सकते हैं ।

(14) सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e) में ज़िक्र किए गए के सदस्यों को सब्सेक्शन (15) के अनुसार ऑफिस से निकालना होगा ।

(15) अगर चीफ जस्टिस, अटॉर्नी-जनरल के साथ परामर्श के बाद, मानता है कि सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य को ऑफिस से निकालने वाले कदम की जाँच होनी चाहिए, तब -

(a) चीफ जस्टिस -

(i) दुर्व्यवहार के मामले के लिए - एक द्रायब्यूनल की नियुक्ति करता है जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होंगे,

जिनका चयन उन व्यक्तियों में से होगा जो जज का ऑफिस संभाल रहे हैं या संभालने के लिए योग्य हैं; और

- (ii) ऑफिस के कार्य को करने की असमर्थता के मामले के लिए -
एक मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति करता है जिसमें एक अध्यक्ष और
2 अन्य सदस्य होंगे, सभी योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे;

(b) द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड मामले की जाँच करता है और राष्ट्रपति को
एक लिखित रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है कि क्या
सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य को
ऑफिस से निकालना चाहिए या नहीं; और

(c) सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य
को क्या ऑफिस से निकालना चाहिए या नहीं, इसके लिए राष्ट्रपति को
द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड की सलाह के अनुसार फैसला करना होगा।

(16) अटॉर्नी-जनरल के साथ चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद चीफ जस्टिस की
सलाह पर राष्ट्रपति, उचित समझे गए नियमों और शर्तों के तहत, सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद
(d) या (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य को सब्सेक्शन (15) के तहत द्रायब्यूनल या मेडिकल
बोर्ड की नियुक्ति और जाँच तक ऑफिस से ससपेंड करेगा, और किसी भी समय, ससपेंशन
को रद्द कर सकता है।

(17) सब्सेक्शन (16) के तहत ऑफिस से सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e)
में ज़िक्र किए गए सदस्य के ससपेंशन को हटा दिया जाता है अगर राष्ट्रपति तय करता है कि
व्यक्ति को ऑफिस से नहीं हटाना चाहिए।

(18) द्रायब्यूनल की रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड की सिफारिश, जो भी उपयुक्त हो,
सब्सेक्शन (15) के तहत जनता को मिलनी चाहिए।

नियुक्ति की योग्यता

105.-(1) जुडिशल ऑफिस में नियुक्ति के सिद्धांत हैं कि न्यायिक अधिकारियों में
सबसे ज्यादा क्षमता और ईमानदारी हो।

(2) एक व्यक्ति जज नियुक्त नहीं हो सकता है जब तक -

(a) वह कानून द्वारा निर्धारित फीजी या किसी दूसरे देश में एक उच्च जुडिशल
ऑफिस में पदाधिकारी नहीं रहा हो; या

(b) कानूनी पेशे में दाखिल होने के बाद 15 सालों से ज्यादा प्रैक्टिस किया हो और चाहे फीजी या विदेश में लीगल प्रैक्टिशनस के साथ किसी अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी नहीं पाया गया हो, जिसमें इंडिपेंडेंड लीगल सर्विसेस कमीशन या लीगल प्रैक्टिशनस, बैरिस्टर्स और सॉलिसिटर्स के कानून के नीचे इंडिपेंडेंड लीगल सर्विसेस कमीशन की स्थापना से पहले कोई कार्यवाही शामिल है।

(3) एक व्यक्ति मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं हो सकता है जब तक -

(a) वह कानून द्वारा निर्धारित फीजी या किसी दूसरे देश में एक उच्च जुडिशल ऑफिस में पदाधिकारी नहीं रहा हो; या

(b) कानूनी पेशे में दाखिल होने के बाद 10 सालों से ज्यादा प्रैक्टिस किया हो चाहे फीजी या विदेश में लीगल प्रैक्टिशनस के साथ किसी अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी नहीं पाया गया हो, जिसमें इंडिपेंडेंड लीगल सर्विसेस कमीशन या लीगल प्रैक्टिशनस, बैरिस्टर्स और सॉलिसिटर्स के कानून के नीचे इंडिपेंडेंड लीगल सर्विसेस कमीशन की स्थापना से पहले कोई कार्यवाही शामिल है।

जजों की नियुक्ति

106.- (1) चीफ जस्टिस और अपील कोर्ट के अध्यक्ष को, राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह पर जो अटॉर्नी-जनरल से परामर्श कर के सलाह देते हैं को नियुक्त करते हैं।

(2) सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस ऑफ अपील और हाई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति जुडिशल सर्विसेस कमीशन की सिफारिश पर जो अटॉर्नी-जनरल से परामर्श कर के सिफारिश देते हैं को नियुक्त करते हैं।

(3) राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह पर जो अटॉर्नी-जनरल से परामर्श कर के सलाह देता है एक जज या एक व्यक्ति जो जज बनने के योग्य है को किसी एक समय या किसी भी समय जब चीफ जस्टिस का ऑफिस खाली हो या जब चीफ जस्टिस ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है या किसी कारण से ऑफिस के कार्य को नहीं कर सकते हैं तब उसे चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करते हैं।

(4) राष्ट्रपति जुडिशल सर्विसेस कमीशन की सिफारिश पर जो अटॉर्नी-जनरल से परामर्श कर के सिफारिश देता है एक व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज किसी एक समय या किसी भी समय जब हाई कोर्ट के जज का ऑफिस खाली हो या जब जज ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है या किसी कारण से ऑफिस के कार्य को नहीं कर सकते हैं तब उसे हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करते हैं।

(5) एक व्यक्ति सब्सेक्शन (4) के नीचे नियुक्त नहीं हो सकता है जब तक कि वह जज नियुक्त होने के योग्य न हो ।

अन्य नियुक्तियाँ

107.- (1) जुडिशल सर्विस कमीशन के पास मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के मास्टर्स, चीफ रेजिस्ट्रार और अन्य जुडिशल अफसरों की नियुक्ति करने की अथॉरिटी लिखित कानून से है ।

(2) सब्सेक्शन (1) के नीचे जुडिशल सर्विस कमीशन कोई नियुक्ति करने से पहले अटार्नी-जनरल से परामर्श करे ।

जुडिशल विभाग के कर्मचारी

108.- (1) जुडिशल सर्विसेस कमीशन के पास यह अथॉरिटी है कि गैर-न्यायिक व्यक्तियों को नियुक्त करे, निकाले और जो न्यायिक विभाग में काम करते हैं उन के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करे ।

(2) जुडिशल सर्विस कमीशन के पास यह अथॉरिटी है कि जुडिशरी में काम कर रहे गैर-न्यायिक व्यक्तियों की नौकरी से संबंधित सभी मामलों को निर्धारित करे, जिनमें शामिल हैं -

(a) नौकरी के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता और नियुक्ति के लिए जिस प्रक्रिया का पालन करना है, जो योग्यता पर आधारित खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत किए हुए अपने बजट के मुताबिक वेतन, लाभ और अलाउंस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत किए हुए बजट के मुताबिक नियुक्ति के लिए गैर-न्यायिक व्यक्तियों की कुल संख्या ।

(3) जुडिशल सर्विस कमीशन लिखित सूचना से चीफ रेजिस्ट्रार को अपनी सभी शक्तियाँ और अथॉरिटी दे सकता है ।

ऑफिस की शपथ

109. ऑफिस में आने से पहले, एक जज या मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के सामने अनुसूची के मुताबिक निष्ठा और ऑफिस की शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होगी ।

ऑफिस की अवधि

110.- (1) एक व्यक्ति जो फीजी का नागरिक नहीं है और वह फीजी में जज नियुक्त हो, वह 3 सालों से ज़्यादा सेवा नहीं कर सकता है और पुनः नियुक्त होने के लिए वह काबिल है कि नहीं यह जुडिशल सर्विस कमीशन निर्धारित करेगा ।

(2) एक जज की नियुक्ति चलती रहती है जब तक कि जज अवकाश की आयु पर नहीं पहुँचता है जो -

(a) चीफ जस्टिस, अपील कोर्ट के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज और जस्टिस ऑफ अपील की - आयू 75 वर्ष; और

(b) हाई कोर्ट के जज की - आयू 70 वर्ष ।

(3) एक व्यक्ति जो हाई कोर्ट के जज के पद से अवकाश ले चुका है और उस की उम्र 75 वर्ष नहीं हुई है वह सुप्रीम कोर्ट का जज या जस्टिस ऑफ अपील नियुक्त होने के लिए योग्य है ।

चीफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष को किसी कारण से हटाना

111.- (1) चीफ जस्टिस और अपील कोर्ट के अध्यक्ष को ऑफिस का काम करने में समर्थ होने के कारण ऑफिस से हटाया जा सकता है (शारीरिक, मानसिक या किसी और कारण से उत्पन्न होने वाली दुर्बलता) या दुर्व्यवहार के लिए, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है ।

(2) इस सेवन के नीचे सिर्फ राष्ट्रपति ही चीफ जस्टिस और अपील कोर्ट के अध्यक्ष को ऑफिस से हटाएंगे ।

(3) अगर राष्ट्रपति के विचार में प्रधान मंत्री की सलाह कि चीफ जस्टिस और अपील कोर्ट के अध्यक्ष को ऑफिस से हटाने के सवाल की जांच की जानी चाहिए तो -

(a) राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह पर -

(i) दुर्व्यवहार के मामले के लिए - एक द्रायब्यूनल की स्थापना करेंगे जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे जो फीजी या किसी दूसरे देश में उच्च जुडिशल प्राधिकारी हैं या रह चुके हैं; और

(ii) ऑफिस का काम करने में असमर्थ होने के मामले के लिए - एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना करे जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे जो योग्य चिकित्सक हों;

- (b) द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड मामले की छानबीन करके राष्ट्रपति को एक एक लिखित रिपोर्ट टेकर सलाह देंगे कि क्या चीफ जस्टिस या कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष को ऑफिस से हटाया जाए या नहीं; और
- (c) क्या चीफ जस्टिस या कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष को ऑफिस से हटाया जाए या नहीं इस पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड (जैसी स्थिति हो) की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा ।

(4) सब्सेक्शन (3) के नीचे राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह पर चीफ जस्टिस और अपील कोर्ट के अध्यक्ष जब तक छानबीन और द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति नहीं होती तब तक सस्पेंड कर सकते हैं और किसी भी समय सस्पेंशन को रद्द कर सकते हैं ।

(5) सब्सेक्शन (4) के नीचे चीफ जस्टिस और अपील कोर्ट के अध्यक्ष के सस्पेंशन का असर समाप्त हो जाता है अगर राष्ट्रपति के विचार में चीफ जस्टिस और अपील कोर्ट के अध्यक्ष को ऑफिस से न हटाया जाए ।

(6) सब्सेक्शन (3) के नीचे द्रायब्यूनल की रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड की सिफारिशें आम की जाएंगी ।

जुडिशल अफ्सरों को किसी कारण से हटाना

112.- (1) एक जज, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के मास्टर्स, मुख्य रेजिस्ट्रार और अन्य न्यायिक अधिकारियों जिन्हें जुडिशल सर्विस कमीशन नियुक्त किए गए हैं उनको ऑफिस का काम करने में असमर्थ होने के कारण ऑफिस से हटाया जा सकता है (शारीरिक, मानसिक, या किसी और कारण से उत्पन्न होने वाली टुर्बलता) या दुर्व्यवहार के लिए, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता ।

(2) इस सेक्शन के नीचे सिर्फ राष्ट्रपति ही जज, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के मास्टर्स, चीफ रेजिस्ट्रार और अन्य न्यायिक अधिकारियों जिन्हे जुडिशल सर्विस कमीशन ने नियुक्त किया है को ऑफिस से हटा सकते हैं ।

(3) अगर राष्ट्रपति के विचार में जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह कि जज, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के मास्टर्स, चीफ रेजिस्ट्रार और अन्य न्यायिक अधिकारियों जिन्हें जुडिशल सर्विस कमीशन ने नियुक्त किया है को कार्यलय से हटाने के सवाल की जांच की जानी चाहिए तो -

(a) राष्ट्रपति जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर -

- (i) दुर्व्यवहार के मामले के लिए - एक द्रायब्यूनल की स्थापना करेंगे जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे जो फीजी या किसी दूसरे देश में उच्च जुडिशल पदाधिकारी हैं या रह चुके हैं; या

(ii) ऑफिस का काम करने में असमर्थ होने के मामले के लिए - एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना करे जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे जो योग्य चिकित्सक हों;

- (b) द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड मामले की छानबीन करके राष्ट्रपति को एक एक लिखित रिपोर्ट देकर सलाह देंगे कि क्या जज, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट मास्टर, चीफ रेजिस्ट्रार या जुडिशल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त किसी अन्य जुडिशल अफसर को ऑफिस से हटाया जाए या नहीं; और
- (c) क्या एक जज को ऑफिस से हटाया जाए या नहीं इस पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड (जैसी स्थिति हो) की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा ।

(4) सब्सेक्शन (3) के नीचे राष्ट्रपति जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर जज, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के मास्टर्स, चीफ रेजिस्ट्रार और अन्य न्यायिक अधिकारियों जिन्हें जुडिशल सर्विस कमीशन नियुक्त करता है छानबीन और द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति होने तक सम्पेंद्र कर सकते हैं और किसी भी समय सम्पेंशन को रद्द कर सकते हैं ।

(5) सब्सेक्शन (4) के नीचे जज, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के मास्टर्स, चीफ रेजिस्ट्रार और अन्य न्यायिक अधिकारियों जिन्हें जुडिशल सर्विस कमीशन नियुक्त करता है के सम्पेंशन का असर समाप्त हो जाता है अगर राष्ट्रपति के विचार में जज, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के मास्टर्स, चीफ रेजिस्ट्रार और अन्य न्यायिक अधिकारियों जिन्हें जुडिशल सर्विस कमीशन ने नियुक्त किया है को ऑफिस से न हटाया जाए ।

(6) सब्सेक्शन (3) के नीचे द्रायब्यूनल की रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड की सिफारिशें आम की जाएंगी ।

(7) यह सेक्शन चीफ जस्टिस या अपील कोर्ट के अध्यक्ष पर लागू नहीं है ।

जुडिशल अफसरों का रिस्यूनरेशन

113.-(1) एक जुडिशल अफसर को जो वेतन और लाभ दिया जाएगा उसमें किसी भी तरह से उनके अहित के लिए बदला नहीं जाएगा, जब तक कि राज्य के सारे अधिकारियों के वेतन में कमी नहीं होगी ।

(2) चीफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष का वेतन और लाभ अटॉर्नी-जनरल के साथ प्रधान मंत्री के परामर्श के बाद प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति तय करेगा ।

(3) जुडिशल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त एक जज (चीफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष को छोड़कर), मजिस्ट्रेट, मास्टर ऑफ हाई कोर्ट, चीफ रजिस्ट्रार या अन्य जुडिशल अफसर के बैतन और लाभ प्रधान मंत्री और अटॉर्नी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन तय करेगा ।

(4) एक जुडिशल अफसर को दिए गए रिम्यूनरेशन और लाभ को कंसॉलिडेटड फंड पर चार्ज किया जायेगा ।

(5) एक जुडिशल कार्य करते समय एक जुडिशल अफसर जो कुछ भी कहता या करता है, वह सिविल या आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षित है ।

पार्ट B - स्वतंत्र जुडिशल और कानूनी संस्थाएँ

इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेस कमीशन

114.-(1) लीगल प्रैविटेशनस डिक्री 2009 द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेस कमीशन अभी भी मौजूद है ।

(2) इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेस कमीशन में एक कमिश्नर होगा, जो एक जज होगा, या एक जज नियुक्त होने के योग्य है ।

(3) अटॉर्नी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विसस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति कमिश्नर की नियुक्ति करेगा ।

(4) कमिश्नर 3 सालों की अवधि के लिए नियुक्त होगा और पुनः नियुक्ति के योग्य रहेगा ।

(5) राष्ट्रपति, अटॉर्नी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर, एक व्यक्ति को किसी अवधि या सभी अवधियों के दौराम कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर सकता है, जब कमिश्नर का पद खाली है या कमिश्नर ऑफिस या फीजी से अनुपस्थित है या किसी भी कारण से ऑफिस के कार्य को संभाल नहीं सकता है ।

(6) कमिश्नर को ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता है ।

(7) कमिश्नर को ऑफिस से निकालने के लिए वही प्रक्रिया होगी जो सेक्शन 112 के तहत एक जुडिशल अफसर को निकालने के लिए है ।

(8) कमीशन की अर्थात्, कार्य और जिम्मेदारी लिखित कानून द्वारा निर्धारित होगी, और एक लिखित कानून कमीशन के लिए अतिरिक्त प्रावधान बना सकता है।

(9) अपने कार्यों को करने या अपनी अर्थात् और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कमिशनर स्वतंत्र है और कोटि या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अर्थात् के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है।

(10) कमिशनर जुडिशल सर्विस कमीशन द्वारा अटॉनी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन का हकदार है, इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफसरों पर लागू ओवरऑल ऑस्ट्रेट्रिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है।

(11) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा।

(12) कमीशन अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर अटॉनी-जनरल को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा।

फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन

115.- (1) फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन प्रोमलोशन 2007 के तहत स्थापित फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन अभी भी मौजूद।

(2) फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन में कमिशनर, डिप्टी कमिशनर और कानून द्वारा नियुक्त अन्य अफसर होंगे।

(3) कमीशन की अर्थात्, कार्य और जिम्मेदारी लिखित कानून द्वारा निर्धारित होगी, और एक लिखित कानून कमीशन के लिए अतिरिक्त प्रावधान बनाएगा।

(4) सब्सेक्शन (3) के पूर्वाग्रह के बिना, कमीशन -

(a) आपराधिक कार्यवाहियों की जाँच, शुरूआत और संचालन करेगा;

(b) जाँच और आपराधिक कार्यवाहियों को संभालेगा जो कानून द्वारा निर्धारित उनकी जिम्मेदारी और कार्य के नीचे आती हैं, और जो शायद किसी व्यक्ति या अर्थात् द्वारा शुरू की गई हों; और

(c) निर्णय पर पहुँचने से पहले किसी भी समय, उसके द्वारा शुरू की गई या संचालित की गई आपराधिक कार्यवाही को बंद करेगा।

(5) कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की शक्तियाँ व्यक्तिगत रूप से, उनके प्रतिनिधि, या उनके निर्देश पर काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाएंगे ।

(6) अपने कार्यों को करने या अपनी अर्थारिटी और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कमीशन स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अर्थारिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(7) अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय और अपने कार्यों और कर्तव्यों को करते समय कमीशन यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के तहत स्थापित मानकों द्वारा निर्देशित रहेगा ।

(8) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा ।

(9) कमीशन अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर अटॉनी-जनरल को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा ।

(10) कमीशन में सभी कर्मचारियों (एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारियों सहित) को नियुक्त करने, निकालने और अनुशासित करने के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास अर्थारिटी है ।

(11) कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास अर्थारिटी है कि वे फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन में सभी कर्मचारियों की नौकरी से संबंधित सभी मामलों को तय करें, जिनमें शामिल हैं -

(a) नौकरी के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरतें और नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो मेरिट पर आधारित खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत अपने बजट के अनुसार वेतन, लाभ और अलाउंसस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्ति किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(12) मिशनर और डिप्टी कमिशनर अटॉनी-जनरल के साथ चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद चीफ जस्टिस की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन के हकदार हैं, इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफसरों पर लागू ओवरऑल ऑस्ट्रेटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है।

(13) मीशन में कार्यरत एक व्यक्ति को दिए जाने वाले वेतन, लाभ और अलाउंस को कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा।

(14) संसद यह सुनिश्चित करेगी कि कमीशन को पर्याप्त फंडिंग और संसाधनों की प्राप्ति हो ताकि वह अपने कार्यों और कर्तव्यों को स्वतंत्रता और कुशल ढंग से निभाए।

सॉलिसिटर-जनरल

116.- (1) स्टेट सर्विसेस डिक्री 2009 के तहत स्थापित सॉलिसिटर-जनरल का ऑफिस अभी भी मौजूद है।

(2) सॉलिसिटर-जनरल इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है -

(a) अनुरोध पर, सरकार और पब्लिक ऑफिस संभालने वाले को स्वतंत्र कानूनी सलाह देना;

(b) मंत्रिमंडल के अनुरोध पर ड्राफ्ट कानून तैयार करना;

(c) सभी लिखित कानूनों पर सार्वजनिक सुलभ रजिस्टर रखना;

(d) कोर्ट में कानूनी कार्यवाहियों के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व करना, आपराधिक कार्यवाहियों को छोड़कर; और

(e) इस संविधान, किसी भी कानून, मंत्रिमंडल या अटॉनी-जनरल द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को करना।

(3) सॉलिसिटर-जनरल कोर्ट की अनुमति पर किसी सिविल कार्यवाही में, जिसका हिस्सा राज्य नहीं है, कोर्ट के मित्र के रूप में उपस्थित हो सकता है।

(4) सॉलिसिटर-जनरल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जज बनने की योग्यता रखता हो।

(5) अटॉनी-जनरल के साथ जुड़िशल सर्विस कमीशन के परामर्श के बाद जुड़िशल सर्विसस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति सॉलिसिटर-जनरल को नियुक्त करेगा।

(6) गष्ट्रपति, अटॉनी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सिफारिश पर, एक व्यक्ति को किसी अवधि या सभी अवधियों के दौरान सोलिसिटर-जनरल के रूप में नियुक्त कर सकता है, जब सोलिसिटर-जनरल का पद खाली है या सोलिसिटर-जनरल ऑफिस या फीजी से अनुपस्थित है या किसी भी कारण से ऑफिस के कार्य को संभाल नहीं सकता है।

(7) सोलिसिटर-जनरल के पास परमानेंट सेक्रेटरी के समान स्टेटस है और अटॉनी-जनरल के ऑफिस में परमानेंट सेक्रेटरी के रूप में जिम्मेदार है और सेक्रेटरी-जनरल के रूप में अन्य अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी।

(8) सोलिसिटर-जनरल के ऑफिस की अवधि हाई कोर्ट के एक जज के समान है और अटॉनी-जनरल के साथ परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन का हकदार होगा, लेकिन यह रिम्यूनरेशन हाई कोर्ट के एक जज या एक परमानेंट सेक्रेटरी को दिए गए रिम्यूनरेशन से कम नहीं होना चाहिए और इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफसरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्षन का हिस्सा नहीं है।

(9) सोलिसिटर-जनरल ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता है।

(10) सोलिसिटर-जनरल को ऑफिस से निकालने के लिए वही प्रक्रिया होगी जो सेक्षन 112 के तहत एक जुडिशल अफसर को निकालने के लिए है।

(11) अटॉनी-जनरल के ऑफिस में सभी कर्मचारियों (एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारियों सहित) को नियुक्त करने, निकालने और उनके खिलाफ अनुशासनिक कदम उठाने के लिए सोलिसिटर-जनरल के पास अर्थारिटी है।

(12) सोलिसिटर-जनरल के पास अर्थारिटी है कि वह अटॉनी-जनरल के ऑफिस में सभी कर्मचारियों की नौकरी से संबंधित सभी मामलों को तय करे, जिनमें शामिल हैं -

- (a) नौकरी के नियम और शर्तें;
- (b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरतें और नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो मेरिट पर आधारित खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो;
- (c) संसद द्वारा स्वीकृत अपने बजट के अनुसार वेतन, लाभ और अलाउंसस; और
- (d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्ति किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या।

(13) अटॉर्नी-जनरल के ऑफिस में कार्यरत किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले वेतन, लाभ और अलाउंस को कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा ।

(14) सोलिसिटर-जनरल को दिए गए किसी कार्य को सोलिसिटर-जनरल खुद या सबोर्डिनेट अफसरों द्वारा सामान्य या विशेष निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है ।

डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स

117.- (1) स्टेट सर्विसेस डिक्री 2009 के तहत स्थापित डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स का ऑफिस अभी भी मौजूद है ।

(2) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जज बनने के योग्य हो ।

(3) राष्ट्रपति, जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर जो पहले अटॉर्नी-जनरल से परामर्श करेंगे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स को नियुक्त करेंगे ।

(4) राष्ट्रपति जुडिशल सर्विस कमीशन की सिफारिश पर जो अटॉर्नी-जनरल से परामर्श करके सिफारिश देता है एक व्यक्ति को डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स किसी एक समय या किसी भी समय जब डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स का ऑफिस खाली हो या जब डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स ऑफिस या फीजी से अनुपस्थित है या किसी कारण से ऑफिस के कार्य को नहीं कर सकते हैं तब उसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स के रूप में नियुक्त कर सकते हैं ।

(5) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स की नियुक्ति 7 सालों के लिए होगी और वह पुनः नियुक्ति के लिए योग्य है, और वेतन उतना ही मिलेगा जितना जुडिशल सर्विस कमीशन अटॉर्नी-जनरल से परामर्श कर के निर्धारित करेगा, लेकिन रिम्यूनरेशन हाई कोर्ट के एक जज को दिए गए वेतन से कम न हो, जब तक कि यह राज्य के सभी अफसरों पर लागू ओवरऑल औस्ट्रेटीटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(6) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स को ऑफिस का काम करने में असमर्थ होने के कारण ऑफिस से हटाया जा सकता है (शारीरिक, मानसिक या किसी और कारण से उत्पन्न होने वाली दुर्बलता) या दुर्व्यवहार के लिए, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है ।

(7) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स को ऑफिस से हटाने की प्रक्रिया उसी तरह रहेगी जैसी प्रक्रिया सेक्षन 112 के नीचे न्यायिक अधिकारियों को हटाने के लिए अपनाई गई है ।

(8) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स ये कर सकते हैं -

- (a) आपराधिक कार्यवाही की शुरूआत और संचालन;
- (b) किसी व्यक्ति या अर्थाइटी द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को लेना (सिर्फ फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेन्स्ड करण्शन द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को छोड़कर);
- (c) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स, कोई अन्य व्यक्ति या कमीशन द्वारा शुरू या संचालित आपराधिक कार्यवाही (सिर्फ फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेन्स्ड करण्शन द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को छोड़कर) को बन्द कर सकते हैं; और
- (d) कोई भी कार्यवाही जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल उठे उसमें हस्तक्षेप जो शायद आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक जाँच पर असर डाले।

(9) अपनी शक्तियों को डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स खुद प्रयोग कर सकते हैं या और कोई व्यक्ति जिसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स ने अर्थाइटी दी है।

(10) इस सेवण के नीचे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी भी व्यक्ति या अर्थाइटी के अधीन नहीं होगा।

(11) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को, चाहे फीजी से या विदेश से, किसी भी कानूनी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए पब्लिक प्रोसेक्यूटर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

(12) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स के पास डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स के ऑफिस में सभी कर्मचारियों (प्रशासनिक कर्मचारी भी) को नियुक्त करने, हटाने और उनके खिलाफ अनुशासनिक कदम उठाने की अर्थाइटी है।

(13) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स के पास यह अर्थाइटी है कि सभी मामलों पर सभी कर्मचारियों जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स के ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए निर्धारित करे -

- (a) नौकरी के नियम और शर्तें;
- (b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरतें और नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो मेरिट पर आधारित खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो;

- (c) संसद द्वारा स्वीकृत अपने बजट के अनुसार वेतन, लाभ और अलाउंसस; और
- (d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(14) एक व्यक्ति जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स के ऑफिस में कर्मचारी है उसको जो वेतन, लाभ और अलाउंस दिया जाएगा वह कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा ।

(15) संसद यह सुनिश्चित करे कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स को पर्याप्त फंडिंग और संसाधनों की प्राप्ति हो जिस से वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, और अपने कार्य और कर्तव्यों को स्वतंत्र रूप से और अच्छी तरह से निभाए ।

लीगल एड कमीशन

118.- (1) लीगल एड एक्ट 1996 के तहत स्थापित लीगल एड कमीशन अभी भी मौजूद है ।

(2) एक लिखित कानून द्वारा या के तहत निर्धारित नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार कमीशन उन लोगों को मुफ्त में कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा जो एक लीगल प्रैक्टिशनर का खर्च नहीं सह सकते ।

(3) कमीशन की अथॉरिटी, कार्य और जिम्मेदारी लिखित कानून द्वारा निर्धारित होगी, और एक लिखित कानून कमीशन के लिए अतिरिक्त प्रावधान बनाएगा ।

(4) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा ।

(5) अपने कार्यों को करने या अपनी अथॉरिटी और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कमीशन स्वतंत्र है और कोट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अथॉरिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(6) कमीशन में सभी कर्मचारियों (एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारियों सहित) को नियुक्त करने, निकालने और अनुशासित करने के लिए कमीशन के पास अथॉरिटी है ।

(7) कमीशन के पास अर्थात् है कि वह कमीशन में सभी कर्मचारियों की नौकरी से संबंधित सभी मामलों को तय करे, जिनमें शामिल हैं -

- (a) नौकरी के नियम और शर्तें;
- (b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरतें और नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो मेरिट पर आधारित खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो;
- (c) संसद द्वारा स्वीकृत अपने बजट के अनुसार वेतन, लाभ और अलाउंसस; और
- (d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्ति किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(8) कमीशन में कार्यरत किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले वेतन, लाभ और अलाउंस को कंसॉलिडेटड फंड पर चार्ज किया जाएगा ।

(9) संसद यह सुनिश्चित करेगी कि कमीशन को पर्याप्त फंडिंग और संसाधनों की प्राप्ति हो ताकि वह अपने कार्यों और कर्तव्यों को स्वतंत्रता और कुशल ढंग से निभाए ।

(10) संसद की स्वीकृति के अनुसार कमीशन अपने बजट और फाइनेंसस का नियंत्रण खुद करेगा ।

(11) कमीशन अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर अटॉर्नी-जनरल को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा ।

मेर्सी कमीशन

119.-(1) स्टेट सर्विसस डिक्री 2009 के तहत स्थापित कमीशन ऑन द प्रेरोगटिव ऑफ मेर्सी अब मेर्सी कमीशन के नाम से मौजूद रहेगी ।

(2) मेर्सी कमीशन शामिल रहेंगे -

- (a) अटॉर्नी-जनरल जो इसके अध्यक्ष रहेंगे; और
- (b) अटॉर्नी-जनरल के साथ परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 4 अन्य सदस्य ।

(3) एक अपराधी सिद्ध व्यक्ति के पेटिशन पर, कमीशन सिफारिश करेगा कि राष्ट्रपति पावर ऑफ मेर्सी का प्रयोग करे -

- (a) अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को पूरी क्षमा या सर्वानुदान करे;
- (b) किसी विशिष्ट अवधि या अनिश्चित अवधि के लिए सज़ा को स्थगित करे; या
- (c) पूरी सज़ा या उसके एक भाग को क्षमा करे।

(4) मेर्सी कमीशन एक पेटिशन जो उसके विचार में तुच्छ, अफसोसनाक और बिना कोई मेरिट का है, उसे खारिज कर सकता है लैकिन -

- (a) उस मुकदमे की रिपोर्ट पर विचार करे -
 - (i) जिसे उस मुकदमे के जज ने तैयार किया है; या
 - (ii) जिसे चीफ जस्टिस ने तैयार किया है अगर जज की रिपोर्ट नहीं मिलती है;
- (b) मुकदमे की रिकॉर्ड से या कमीशन को प्राप्त अन्य जानकारियों पर विचार करे; और
- (c) अपराधियों के विचारों को भी सुनना होगा।

(5) राष्ट्रपति कमीशन की सिफारिशों के अनुसार कार्य करेगा।

(6) सब्सेक्शन (2)(b) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य 3 सालों की अवधि के लिए नियुक्त होंगे और पुनः नियुक्ति के योग्य रहेंगे।

(7) राष्ट्रपति, अटॉर्नी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सिफारिश पर, एक व्यक्ति को किसी अवधि या सभी अवधियों के दौरान कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है, जब कमीशन की सदस्यता में जगह खाली है या जब एक सदस्य ऑफिस या फीजी से अनुपस्थित है या किसी भी कारण से ऑफिस के कार्य को संभाल नहीं सकता है।

(8) सब्सेक्शन (2)(b) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाले जाएंगे, अन्यथा नहीं निकाले जा सकते हैं।

(9) सब्सेक्शन (2)(b) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्यों को ऑफिस से निकालने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो सेक्शन 112 के तहत एक जुडिशल अफसर को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है।

(10) अपने कार्यों को करने या अपनी अर्थाँरिटी और शक्तियों का प्रयोग करने में कमीशन स्वतंत्र है और कोट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अर्थाँरिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है।

(11) सब्सेक्शन (2)(b) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य अटॉनी-जनरल के साथ जुडिशल सर्विस कमीशन के परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन के हकदार हैं, और इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफसरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है।

(12) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा।

(13) कमीशन की सभाओं के लिए कोरम के लिए अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य चाहिए।

(14) कमीशन अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर संसद को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा।

पब्लिक सर्विस डिसिप्लिनरी द्रायब्यूनल

120.-(1) यह सेक्शन पब्लिक सर्विस डिसिप्लिनरी द्रायब्यूनल की स्थापना करता है।

(2) द्रायब्यूनल में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य रहेंगे जिनको अटॉनी जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे।

(3) द्रायब्यूनल का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक जज है या एक जज बनने की योग्यता रखता हो।

(4) द्रायब्यूनल के सदस्य 3 सालों की अवधि के लिए नियुक्त होंगे और पुनः नियुक्ति के योग्य रहेंगे ।

(5) रष्ट्रपति, अटॉनी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सिफारिश पर, एक व्यक्ति को किसी अवधि या सभी अवधियों के दौरान कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है, जब कमीशन की सदस्यता में जगह खाली है या जब एक सदस्य ऑफिस या फीजी से अनुपस्थित है या किसी भी कारण से ऑफिस के कार्य को संभाल नहीं सकता है ।

(6) द्रायब्यूनल के सदस्य ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाले जाएंगे, अन्यथा नहीं निकाले जा सकते हैं ।

(7) द्रायब्यूनल के सदस्यों को ऑफिस से निकालने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो सेक्शन 112 के तहत एक जुडिशल अफ्सर को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है ।

(8) द्रायब्यूनल की अर्थात्, कार्य और जिम्मेदारी लिखित कानून द्वारा निर्धारित होगी, और एक लिखित कानून द्रायब्यूनल के लिए अतिरिक्त प्रावधान बनाएगा ।

(9) लिखित कानून द्वारा दिए हुए कार्य के अतिरिक्त द्रायब्यूनल को अनुशासनिक कदम की सुनवाई और उस पर निर्णय लेना होगा जिसे -

(a) पब्लिक सर्विस कमीशन - किसी पेरमानेंट सेकेटरी के खिलाफ दर्ज करते हैं; या

(b) एक पेरमानेंट सेकेटरी, सोलिसिटर-जनरल, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स या संसद के सेकेटरी-जनरल - अपने मंत्रालय या ऑफिस में कार्यरत किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करते हैं ।

(10) द्रायब्यूनल का कोई भी निर्णय हाई कोर्ट में पुनर्विचार के लिए पेश किया जाएगा ।

(11) एक लिखित कानून द्रायब्यूनल के लिए अतिरिक्त प्रावधान बनाएगा, जिसमें द्रायब्यूनल के सामने होने वाली सुनवाई की प्रक्रिया होगी ।

(12) अपने कार्यों को करने या अपनी अर्थात् और शक्तियों का प्रयोग करने में द्रायब्यूनल स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अर्थात् के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(13) द्रायब्यूनल के सदस्य अटॉनी-जनरल के साथ जुडिशल सर्विस कमीशन के परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन के हकदार हैं, और इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफसरों पर लागू ओवरऑल ऑस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है।

(14) द्रायब्यूनल अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा।

(15) द्रायब्यूनल अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर संसद को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा।

(16) द्रायब्यूनल के सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन, लाभ और अलाउंस को कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा।

(17) संसद यह सुनिश्चित करेगी कि द्रायब्यूनल को पर्याप्त फंडिंग और संसाधनों की प्राप्ति हो ताकि वह अपने कार्यों और कर्तव्यों को स्वतंत्रता और कुशलता से निभाए।

एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन

121.-(1) यह सेक्शन एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन की स्थापना करता है।

(2) एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रहेंगे जिन्हें राष्ट्रपति अटॉनी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर नियुक्त करेंगे।

(3) कमीशन का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक जज है या एक जज के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य है।

(4) कमीशन के सदस्य 3 सालों की अवधि के लिए नियुक्त होंगे और पुनः नियुक्ति के योग्य रहेंगे।

(5) राष्ट्रपति, अटॉनी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सिफारिश पर, एक व्यक्ति को किसी अवधि या सभी अवधियों के दौरान कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है, जब कमीशन की सदस्यता में जगह खाली है या जब सदस्य ऑफिस या फीजी से अनुपस्थित है या किसी भी कारण से ऑफिस के कार्य को संभाल नहीं सकता है।

(6) कमीशन के सदस्य ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाले जाएंगे, अन्यथा नहीं निकाले जा सकते हैं।

(7) कमीशन के सदस्यों को ऑफिस से निकालने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो सेक्शन 112 के तहत एक जुडिशल अफसर को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है।

(8) एक लिखित कानून एकाउंटेबिलिटी एंड द्रांसपेरेंसी कमीशन की अर्थाँरिटी, कार्यों और जिम्मेदारी को निर्धारित करेगा, और एक लिखित कानून कमीशन के लिए अतिरिक्त प्रावधान बना सकता है।

(9) एक लिखित कानून परमानेंट सेक्रेटरीज़ और पब्लिक ऑफिस संभाल रहे सभी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों को प्राप्त करने और जाँच करने के लिए एकाउंटेबिलिटी एंड द्रांसपेरेंसी कमीशन को जुरिस्टिक्षन, अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करेगा।

(10) एकाउंटेबिलिटी एंड द्रांसपेरेंसी कमीशन अपने कार्यों को करने या अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा और अदालत या लिखित कानून को छोड़ कर किसी भी व्यक्ति या अर्थाँरिटी की देखरेख या नियंत्रण के अधीन नहीं होगा।

(11) कमीशन के सदस्य अटॉनी-जनरल के साथ जुडिशल सर्विस कमीशन के परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन के हकदार हैं, और इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफसरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्षन का हिस्सा नहीं है।

(12) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा।

(13) कमीशन अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर संसद को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा।

(14) कमीशन के पास अर्थाँरिटी होगी कि वह कमीशन में कार्यरत सभी कर्मचारियों (एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी सहित) को नियुक्त करे, काम से निकाले और अनुशासित करे।

(15) कमीशन के पास अर्थाँरिटी है कि वह कमीशन में सभी कर्मचारियों की नौकरी से संबंधित सभी मामलों को तय करे, जिनमें शामिल हैं -

(a) नौकरी के नियम और शर्तें;

- (b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरतें और नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो मेरिट पर आधारित खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो;
- (c) संसद द्वारा स्वीकृत अपने बजट के अनुसार वेतन, लाभ और अलाउंसस; और
- (d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्ति किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(16) कमीशन के सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन, लाभ और अलाउंस को कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा ।

(17) संसद यह सुनिश्चित करेगी कि कमीशन को पर्याप्त फंडिंग और संसाधनों की प्राप्ति हो ताकि वह अपने कार्यों और कर्तव्यों को स्वतंत्रता और कुशलता से निभाए ।

(18) संसद की स्वीकृति के अनुसार कमीशन अपने बजट और फाइनेंसस का नियंत्रण खुद करेगा ।

मौजूदा नियुक्तियाँ

122. इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई नियुक्ति के तहत एक व्यक्ति पर अपने पद पर जारी रहने के लिए, जिसके लिए इस चैप्टर में प्रावधान है, इस चैप्टर का कुछ भी असर नहीं करता है ।

चैप्टर 6 - राज्य सेवा

पार्ट A - पब्लिक सर्विस

मूल्य और सिद्धांत

123. राज्य सेवा के मूल्यों और सिद्धांतों में शामिल हैं -

- (a) व्यावसायिकता के उच्च मानकों का पालन करना, व्यावसायिक नैतिकता और सच्चाई के साथ;
- (b) सरकार की नीतियों और कानूनों को शीघ्र और ईमानदारी के साथ लागू करना;
- (c) भ्रष्टाचार से मुक्त रहना;
- (d) सार्वजनिक संसाधनों का कुशल, प्रभावी और आर्थिक उपयोग करना;
- (e) जनता के अनुरोधों और सवालों पर शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त करना, और सम्मानित, प्रभावी, निष्पक्ष, उचित, और न्यायसंगत ढंग से जनता तक सेवा पहुँचाना;
- (f) प्रशासनिक आचरण के लिए उत्तरदायी होना;
- (g) पारदर्शी होना, साथ में -
 - (i) जनता को समय पर, सही जानकारी देना; और
 - (ii) कानून द्वारा अपेक्षित, संसद को शीघ्र, पूर्ण और स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करना;
- (h) मानव क्षमता को अधिकतम करने के लिए, अच्छे मानव संसाधन प्रबंधन और कैरियर के विकास कार्यों को विकसित करना; और
- (i) इनके आधार पर भर्ती और पदोन्नति करना -
 - (i) वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा; और
 - (ii) क्षमता, शिक्षा, अनुभव और योग्यता की अन्य विशेषताएँ।

पब्लिक अफसर देश को नागरिक होने चाहिए

124. एक व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके पास एक व्यक्ति को एक पब्लिक ऑफिस (उस ऑफिस को छोड़कर जिसके लिए चैप्टर 5 में प्रोविज़न है) में नियुक्त करने की शक्ति है ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता जो नागरिक नहीं है जब तक कि प्रधान मंत्री की सहमति न हो ।

पब्लिक सर्विस कमीशन

125.- (1) स्टेट सर्विसेज़ डिक्री 2009 के तहत स्थापित पब्लिक सर्विस कमीशन अभी भी मौजूद है ।

(2) पब्लिक सर्विस कमीशन में -

(a) एक अध्यक्ष; और

(b) न 3 से कम और न 5 से अधिक अन्य सदस्य शामिल हैं,

जिनकी नियुक्ति कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर गष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

(3) अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष का पद खाली है या अध्यक्ष अपने ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है या, किसी भी अन्य कारण से, ऑफिस का काम करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति, कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर, एक व्यक्ति को पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं ।

(4) राष्ट्रपति, कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर, एक व्यक्ति को पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के रूप में किसी भी समय के लिए, या सभी समय के लिए नियुक्त कर सकता है, जब सदस्य अपने ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है या, किसी भी अन्य कारण के लिए, ऑफिस का काम करने में असमर्थ है ।

पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य

126.- (1) इस चैप्टर और इस संविधान के अन्य चैप्टरों के तहत, पब्लिक सर्विस कमीशन के निम्नलिखित काम होंगे -

(a) प्रधान मंत्री की सहमति पर, परमानेंट सेक्रेटरियों की नियुक्ति करना;

(b) प्रधान मंत्री की सहमति पर, परमानेंट सेक्रेटरियों को पद से हटाना;

- (c) परमानेंट सेक्रेटरियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करना; और
- (d) इस तरह की अन्य नियुक्तियाँ करना और लिखित कानून द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य कर्तव्यों, कामों और जिम्मेदारियों को निभाना ।
- (2) पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यक्षेत्र में ये सब शामिल नहीं हैं -
- (a) एक जज का ऑफिस या एक ऑफिस जो जुड़िशल सर्विस कमीशन की जिम्मेदारी है;
- (b) एक ऑफिस जो लिखित कानून के तहत किसी अन्य संस्था की जिम्मेदारी है;
- (c) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़, फीजी पुलिस फोर्स या फीजी कोरेक्शन्स सर्विस का एक ऑफिस; या
- (d) एक ऑफिस जिसके लिए इस संविधान में प्रावधान है ।

परमानेंट सेक्रेटरीस

127.- (1) प्रत्येक मंत्रालय में परमानेंट सेक्रेटरी का एक ऑफिस स्थापित है, जो पब्लिक सर्विस के लिए है ।

(2) प्रत्येक मंत्रालय एक परमानेंट सेक्रेटरी की देखरेख में रहेगा, और सरकार का कोई भी विभाग जो किसी भी मंत्रालय के नीचे नहीं है प्रधान मंत्री के ऑफिस के लिए जिम्मेदार परमानेंट सेक्रेटरी की देखरेख में रहेगा ।

(3) एक मंत्रालय का परमानेंट सेक्रेटरी मंत्रालय या मंत्रालय के नीचे किसी भी विभाग के कुशल, प्रभावी और आर्थिक प्रबंधन के लिए संबंधित मंत्री को उत्तरदायी होगा ।

(4) प्रधान मंत्री किसी भी समय राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के बीच में एक या एक से अधिक परमानेंट सेक्रेटरियों को पुनः नियुक्त कर सकते हैं ।

(5) एक परमानेंट सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखित नोटिस देकर ऑफिस से इस्तीफा दे सकता है ।

(6) एक परमानेंट सेक्रेटरी प्रधान मंत्री की सहमति से पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन का हकदार है, और इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफसरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(7) मंत्रालय के लिए जिम्मेदार मंत्री की सहमति से प्रत्येक मंत्रालय के परमानेंट सेक्रेटरी के पास मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को नियुक्त करने, निकालने और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।

(8) मंत्रालय के लिए जिम्मेदार मंत्री की सहमति से प्रत्येक मंत्रालय के परमानेंट सेक्रेटरी के पास मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित सभी मामलों को तय करने का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं -

(a) रोजगार के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए आवश्यक क्वालिविकेशन और नियुक्ति प्रक्रिया जो एक ऑपन, पारदर्शी, और प्रतिस्पर्धात्मक च्यन प्रक्रिया होनी चाहिए और सेलेक्शन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत अपने बजट के अनुसार वेतन, बेनिफिट्स और अलाउंस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्ति किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

राजदूतों की नियुक्ति

128.- (1) प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री की सलाह पर, किसी दूसरे देश या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए राजदूतों या प्रमुख प्रतिनिधि की नियुक्तियाँ कर सकते हैं ।

(2) प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री की सलाह पर, सब्सेक्शन (1) में उल्लिखित ऑफिस से एक व्यक्ति को निकाल सकते हैं ।

पार्ट B - डिसिप्लिन फोर्स

फीजी पुलिस फोर्स

129.- (1) लिखित कानून के तहत स्थापित फीजी पुलिस फोर्स अभी भी मौजूद है ।

(2) स्टेट सर्विसेज़ डिक्री 2009 के तहत स्थापित पुलिस कमिश्नर का ऑफिस अभी भी मौजूद है ।

(3) फीजी पुलिस फोर्स पुलिस कमिश्नर की देखरेख में रहेगा ।

(4) फीजी पुलिस फोर्स के लिए जिम्मेदार मंत्री से परामर्श के बाद कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर पुलिस कमिशनर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

(5) पुलिस कमिशनर -

(a) फीजी पुलिस फोर्स के गठन और प्रशासन; तथा

(b) डिप्लॉयमेंट और संचालन के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है,

और, सब्सेक्शन (6) के तहत, उन मामलों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति या अर्थात् द्वारा निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है।

(6) फीजी पुलिस फोर्स के लिए जिम्मेदार मंत्री समय-समय पर पुलिस कमिशनर को सामान्य नीति निर्देश दे सकता है और अगर इस तरह का कोई भी निर्देश जारी किया गया है तो पुलिस कमिशनर को उसके अनुसार काम करना होगा।

(7) पुलिस कमिशनर के पास फीजी पुलिस फोर्स के सभी रैंकों, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित शक्तियाँ हैं -

(a) फीजी पुलिस फोर्स में व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(b) फीजी पुलिस फोर्स से व्यक्तियों को निकालना; और

(c) फीजी पुलिस फोर्स में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करना,

और फीजी पुलिस फोर्स पर लागू सभी लिखित कानूनों का पालन किया जाएगा।

(8) फीजी पुलिस फोर्स के लिए जिम्मेदार मंत्री की सहमति से पुलिस कमिशनर के पास फीजी पुलिस फोर्स के सभी कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित सभी मामलों को तय करने का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं -

(a) रोजगार के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया जो एक ऑपन, पारदर्शी, और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए और सेलेक्शन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए;

- (c) संसद द्वारा स्वीकृत अपने बजट के अनुसार वेतन, बेनिफिट्स और अलाउंस; और
- (d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।
- (9) एक लिखित कानून फीजी पुलिस फोर्स से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित कर सकता है ।

फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस

130.- (1) एक लिखित कानून के तहत स्थापित फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस अभी भी मौजूद है ।

(2) स्टेट सर्विसेज़ डिक्री 2009 के तहत स्थापित कमिशनर ओफ कोर्रेक्शन्स का ऑफिस अभी भी मौजूद है ।

(3) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस कमिशनर ओफ कोर्रेक्शन्स की देखरेख में है ।

(4) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के लिए जिम्मेदार मंत्री से परामर्श के बाद कोन्स्ट्टद्यूशनल ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के कमिशनर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

(5) कमिशनर ऑफ कोर्रेक्शन्स -

(a) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के गठन और प्रशासन; तथा

(b) डिप्लॉयमेंट और संचालन के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है,

और, सब्सेक्शन (6) के तहत, उन मामलों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति या अर्थात् द्वारा निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(6) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के लिए जिम्मेदार मंत्री समय-समय पर फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस से संबंधित सामान्य नीति निर्देश दे सकता है और अगर इस तरह का कोई भी निर्देश जारी किया गया है तो कमिशनर ऑफ कोर्रेक्शन्स को उसके अनुसार काम करना होगा ।

(7) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के कमिशनर के पास फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के सभी रैंकों, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित शक्तियाँ हैं -

- (a) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस में व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (b) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस से व्यक्तियों को निकालना; और
- (c) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करना,

और फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस पर लागू सभी लिखित कानूनों का पालन किया जाएगा ।

(8) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के लिए जिम्मेदार मंत्री की सहमति से फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के कमिशनर के पास फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के सभी कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित सभी मामलों को तय करने का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं -

- (a) रोजगार के नियम और शर्तें;
- (b) नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया जो एक ऑपन, पारदर्शी, और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए और सेलेक्शन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए;
- (c) संसद द्वारा स्वीकृत अपने बजट के अनुसार वेतन, बेनिफिट्स और अलाउंस; और
- (d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्ति किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(9) एक लिखित कानून फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस से संबंधित प्रोविज़नों को निर्धारित कर सकता है ।

रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़

131.- (1) स्टेट सर्विसेज डिक्री 2009 के तहत स्थापित रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ अभी भी मौजूद है ।

(2) हर समय फीजी तथा उसके सभी निवासियों की सुरक्षा, बचाव और भलाई को सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ की होगी ।

(3) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर के पास रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के मिलिट्री एग्जीक्यूटिव कमांड की जिम्मेदारी होगी ।

(4) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के लिए जिम्मेदार मंत्री से परामर्श के बाद कोन्स्ट्र्यूशनल ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

(5) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर के पास रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के सभी रैंकों, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित शक्तियाँ हैं -

- (a) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ में व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (b) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ से व्यक्तियों को निकालना; और
- (c) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करना,

और रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ पर लागू सभी लिखित कानूनों का पालन किया जाएगा ।

(6) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के लिए जिम्मेदार मंत्री की सहमति से, रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर के पास रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के सभी कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित सभी मामलों को तय करने का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं -

- (a) रोजगार के नियम और शर्तें;
- (b) नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया जो एक ऑपन, पारदर्शी, और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए और सेलेक्शन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए;
- (c) संसद द्वारा स्वीकृत अपने बजट के अनुसार वेतन, बेनिफिट्स और अलाउंस; और
- (d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्ति किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(7) एक लिखित कानून रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित कर सकता है ।

पार्ट C - कॉन्स्टद्यूशनल ऑफिसस कमीशन

कॉन्स्टद्यूशनल ऑफिसस कमीशन

132.- (1) यह सेवशन कॉन्स्टद्यूशनल ऑफिसस कमीशन को स्थापित करता है।

(2) कॉन्स्टद्यूशनल ऑफिसस कमीशन में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे -

(a) प्रधान मंत्री, जो इसके अध्यक्ष रहेंगे;

(b) विपक्ष का नेता;

(c) अटोर्नी-जनरल;

(d) प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 2 व्यक्ति; और

(e) विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 1 व्यक्ति।

(3) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा।

(4) कमीशन अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर संसद को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा।

(5) अपने कार्यों को करने या अपनी अर्थॉरिटी और शक्तियों का प्रयोग करने में कमीशन स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अर्थॉरिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है।

(6) कमीशन की सभाओं के लिए कोरम के लिए अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य चाहिए।

(7) सोलिसिटर-जनरल कमीशन के सेक्रेटरी रहेंगे।

(8) सब्सेक्शन (2)(d) और (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य 3 सालों की अवधि के लिए पद संभालेंगे और पुनः नियुक्ति के योग्य रहेंगे।

(9) सब्सेक्शन (2)(d) और (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन और अलाउंस के हकदार हैं, और इस तरह के रिम्यूनरेशन और अलाउंस में उनकी कार्यावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफसरों पर लागू ऑवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है।

(10) सब्सेक्शन (2)(d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाले जाएंगे, अन्यथा नहीं निकाले जा सकते हैं।

(11) सब्सेक्शन (2)(d) और (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्यों को सब्सेक्शन (12) के अनुसार ऑफिस से निकालना होगा।

(12) अगर चीफ जस्टिस, अटॉर्नी-जनरल के साथ परामर्श के बाद, मानता है कि सब्सेक्शन (2)(d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य को ऑफिस से निकालने वाले कदम की जाँच होनी चाहिए, तब -

(a) चीफ जस्टिस -

(i) दुर्व्यवहार के मामले के लिए - एक द्रायब्यूनल की नियुक्ति करता है जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होंगे, जिनका चयन उन व्यक्तियों में से होगा जो जज का ऑफिस संभाल रहे हैं या संभालने के लिए योग्य हैं; और

(ii) ऑफिस के कार्य को करने की असमर्थता के मामले के लिए - एक मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति करता है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे, सभी योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे;

(b) द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड मामले की जाँच करता है और राष्ट्रपति को एक लिखित रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है कि क्या सब्सेक्शन (2)(d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य को ऑफिस से निकालना चाहिए या नहीं; और

(c) सब्सेक्शन (2)(d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य को क्या ऑफिस से निकालना चाहिए या नहीं, इसके लिए राष्ट्रपति को द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड की सलाह के अनुसार फैसला करना होगा।

(13) अटॉर्नी-जनरल के साथ चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद चीफ जस्टिस की सलाह पर राष्ट्रपति, उचित समझे गए नियमों और शर्तों के तहत, सब्सेक्शन (2)(d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य को सब्सेक्शन (12) के तहत द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति और जाँच तक ऑफिस से ससपेंड करेगा, और किसी भी समय, ससपेंशन को रद्द कर सकता है।

(14) सब्सेक्शन (13) के तहत सब्सेक्शन (2)(d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य के संसपेंशन को हटा दिया जाता है अगर राष्ट्रपति तय करता है कि व्यक्ति को ऑफिस से नहीं हटाना चाहिए ।

(15) द्रायब्यूनल की रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड की सिफारिश, जो भी उपयुक्त हो, सब्सेक्शन (12) के तहत जनता को मिलनी चाहिए ।

कोन्स्ट्र्यूशनल ऑफिसस कमीशन के कार्य

133. कोन्स्ट्र्यूशनल ऑफिसस कमीशन के कार्य और जिम्मेदारियाँ इस संविधान या किसी अन्य लिखित कानून द्वारा निर्धारित हैं, और निम्नलिखित ऑफिसस की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होगा -

- (a) ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;
- (b) इलेक्टोरल कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;
- (c) सुपरवाइज़र ऑफ इलेक्शन्स;
- (d) संसद के सेक्रेटरी-जनरल;
- (e) पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;
- (f) पुलिस कमिश्नर;
- (g) फीजी कोरेक्शन्स सर्विस के कमिश्नर;
- (h) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर;
- (i) ओडिटर-जनरल; और
- (j) रिज़र्व बैंक ऑफ फीजी के गवर्नर ।

पार्ट D - पब्लिक ऑफिसस से संबंधित सामान्य प्रावधान

एप्लीकेशन

134. यह भाग इन लोगों पर लागू है -

- (a) सुपरवाइज़र ऑफ इलेक्शन्स;
- (b) संसद के सेक्रेटरी-जनरल;

- (c) पुलिस कमिशनर;
- (d) फीजी कोरेक्शन्स सर्विस के कमिशनर;
- (e) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर;
- (f) ओडिटर-जनरल;
- (g) रिज़र्व बैंक ऑफ फीजी के गवर्नर;
- (h) ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन के सदस्य;
- (i) इलेक्टोरल कमीशन के सदस्य; और
- (j) पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य।

ऑफिस के नियम और शर्तें

135.- (1) सेक्शन 134 के तहत अनुच्छेद (a) से (g) में उल्लिखित सदस्य 5 सालों की अवधि के लिए पद संभालेंगे और फिर से नियुक्ति के लिए योग्य रहेंगे।

(2) सेक्शन 134 के तहत अनुच्छेद (h) से (j) में उल्लिखित सदस्य 3 सालों की अवधि के लिए पद संभालेंगे और फिर से नियुक्ति के लिए योग्य रहेंगे।

(3) एक व्यक्ति की नियुक्ति, जिस पर यह भाग लागू है, निर्धारित नियमों और शर्तों (यदि हो तो) के अधीन है।

(4) अपने कर्तव्यों या कार्यों को करने या अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक व्यक्ति, जिस पर यह भाग लागू है, इस संविधान या एक लिखित कानून को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति की देखरेख या नियंत्रण के अधीन नहीं है।

रिम्यूनरेशन और अलाउंसस

136.- (1) एक व्यक्ति जिस पर यह भाग लागू है कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन और अलाउंसस का हकदार है, और रिम्यूनरेशन और अलाउंसस उसकी कार्यवादि के द्वारान कम नहीं होना चाहिए, जब तक कि यह राज्य के सभी अफसरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है।

(2) यह भाग जिस व्यक्ति पर लागू है उसको दिए जाने वाले रिम्यूनरेशन और अलाउंसस पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसस कमीशन को एक स्वतंत्र समिति (कोई सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो) स्थापित करनी होगी जो कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसस कमीशन को उचित रिम्यूनरेशन और अलाउंसस पर सलाह देगी।

किसी कारण से पद से हटाया जाना

137.- (1) एक व्यक्ति जिस पर यह भाग लागू है अपने ऑफिस के कार्यों को करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या अन्य किसी कारण से) या दुर्व्यवहार के कारण हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है।

(2) इस सेक्षन के अनुसार ही ऑफिस से हटाया जाना चाहिए।

(3) अगर कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसस कमीशन मानता है कि पद से हटाने वाले कदम की जाँच की जानी चाहिए, तो -

(a) कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसस कमीशन -

- (i) दुर्व्यवहार के मामले में - एक द्रायब्यूनल को नियुक्त करता है जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 2 ऐसे सदस्य होंगे जो जज हैं या जज का पद संभालने के योग्य हैं; और
- (ii) ऑफिस के कार्यों को करने की असमर्थता के मामले में - एक मेडिकल बोर्ड को नियुक्त करता है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे जो योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं;

(b) द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड मामले की जाँच करता है और तथ्यों की एक लिखित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और अपनी सिफारिश पर राष्ट्रपति को सलाह देता है कि क्या संबंधित व्यक्ति को काम से हटा दिया जाना चाहिए या नहीं; और

(c) यह फैसला करते वक्त कि क्या ऑफिस से व्यक्ति को हटाया जाए या नहीं, राष्ट्रपति को द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड (जैसा भी मामला हो) की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए।

(4) कोन्स्टट्यूशनल ऑफिसस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति, उचित समझे गए नियमों और शर्तों के आधार पर, सब्सेक्शन (3) के तहत, संबंधित व्यक्ति को जाँच के लिए और द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति तक ऑफिस से संसपेंशन कर सकता है और किसी भी समय संसपेंशन को रद्द कर सकता है।

(5) सब्सेक्शन (4) के तहत कार्यालय से संसपेंड किए गए व्यक्ति का संसपेंशन असर में नहीं आएगा अगर राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि व्यक्ति को नहीं हटाया जाना चाहिए ।

(6) सब्सेक्शन (3) के नीचे द्रायब्यूनल की रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड की सिफारिशें आम की जाएंगी ।

कमीशन्स और द्रायब्यूनल्स के कार्यों का किया जाना

138.- (1) यह सेक्शन इन पर लागू होता है -

- (a) ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन;
- (b) इलेक्टोरल कमीशन;
- (c) जुडिशल सर्विस कमीशन;
- (d) लीगल एड कमीशन;
- (e) मेर्सी कमीशन;
- (f) पब्लिक सर्विस डिसिप्लिनरी द्रायब्यूनल;
- (g) एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपरेंसी कमीशन;
- (h) पब्लिक सर्विस कमीशन;
- (i) कोन्स्ट्यूशनल ऑफिसस कमीशन; और
- (j) किसी व्यक्ति को ऑफिस से निकाले जाने वाले मामले पर विचार करने के लिए इस संविधान के तहत स्थापित कोई द्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड ।

(2) एक कमीशन, द्रायब्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्शन लागू करता है अपने कार्यों के रेगुलेशन और फैसिलिटेशन के लिए एक रेगुलइशन द्वारा प्रावधान बना सकता है ।

(3) एक कमीशन, द्रायब्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्शन लागू करता है के किसी फैसले पर अधिकतर सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता है और एक सदस्य की अनुपस्थिति के बावजूद कमीशन अपना कार्य कर सकता है लेकिन अगर किसी विशेष मामले पर बोट करने के लिए समान बोट डाली गई है तो जो व्यक्ति प्रिसाइड करता है उसे बोट डालना होगा ।

(4) इस सेक्षण के तहत एक कमीशन, द्रायव्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्षण लागू है अपनी प्रक्रियाओं को रेगुलेट कर सकता है।

(5) अपने कर्तव्यों या कार्यों को करने या अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक कमीशन, द्रायव्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्षण लागू है, इस संविधान को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति या अर्थात् आदीन नहीं है।

(6) सब्सेक्षण (5) में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य सेवा की संरचना के लिए सरकार की जिम्मेदारी या राज्य सेवा के प्रबंधन के लिए सरकार की सामान्य नीति जिम्मेदारी को सीमित करता है।

(7) इस संविधान द्वारा या के तहत सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त, एक कमीशन, द्रायव्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्षण लागू है के पास लिखित कानून द्वारा निर्धारित अन्य शक्तियाँ और कार्य (अगर है) हैं।

(8) एक कमीशन, द्रायव्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्षण लागू है के व्यापार की लेन-देन की वैधता पर असर नहीं पड़ता है अगर जिसने इस कार्यवाही में भाग लिया है ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था।

(9) एक कमीशन, द्रायव्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्षण लागू है के पास हाई कोर्ट के समान गवाहों की उपस्थिति और इकज़ेमीनइशन (शपथ प्रशासन और विदेशी गवाहों के इकज़ेमीनइशन सहित) तथा दस्तावेज़ों के प्रकाशन से संबंधित समान शक्तियाँ हैं।

चैप्टर 7 - रेवेन्यू और खर्च

रेवेन्यू को बढ़ाना

139.- (1) सरकार द्वारा रेवेन्यू या धन को बढ़ाना, चाहे टेक्स लगाने के माध्यम से या अन्यथा, एक लिखित कानून द्वारा प्राधिकृत या के तहत किया जाना चाहिए ।

(2) लिखित रूप में कानून द्वारा निर्धारित होने के अलावा, कोई भी टेक्स या शुल्क, राज्य द्वारा लागू, माफ या बदला नहीं जा सकता ।

(3) अगर एक लिखित कानून किसी टेक्स या शुल्क की माफी या बदलाव की परमिट देता है तो -

(a) प्रत्येक माफी या बदलाव का एक रिकार्ड उसके कारण के साथ रखा जाना चाहिए; और

(b) प्रत्येक माफी या बदलाव, और उसके कारण, के बारे में ऑडिटर-जनरल को सूचित किया जाना चाहिए ।

(4) कोई भी कानून किसी पब्लिक अफ्सर को टेक्स या शुल्क के भुगतान से छूट या छूट के लिए प्राधिकृत नहीं कर सकता -

(a) उस पब्लिक अफ्सर द्वारा संभाले जा रहे ऑफिस; या

(b) पब्लिक अफ्सर के कार्य के कारण ।

कंसॉलिडैटड फंड

140.- (1) राज्य या सरकार के लिए बढ़ाए गए या प्राप्त सभी रेवेन्यू या धन को एक कंसॉलिडैटड फंड में जमा किया जाना चाहिए ।

(2) किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किसी अन्य फंड में लिखित कानून के तहत जमा किए जाने वाले रेवेन्यू या धन पर सब्सेक्शन (1) लागू नहीं है या अगर एक लिखित कानून के तहत रेवेन्यू या धन को पाने वाली अथोरिटी अपने खर्च को चुकाने के प्रयोजन से रखती है ।

कानून द्वारा प्राधिकृत किए जाने वाले अप्रोप्रिएशन्स

141. कानून द्वारा बनाए गए किसी अप्रोप्रिएशन को छोड़कर, कंसॉलिडैटड फंड या सब्सेक्शन 140(2) में उल्लिखित किसी फंड से धन निकाला नहीं जा सकता है ।

अप्रोप्रिएशन के एडवांस में खर्च की स्वीकृति

142.- (1) अगर किसी वर्ष का अप्रोप्रिएशन एक्ट साल की शुरूआत में लागू नहीं हुआ है, तो फाइनेंस मंत्री, किसी भी लिखित कानून की निर्धारित शर्तों के तहत, सरकार की साधारण सेवाओं के लिए कंसलिडैटड फंड से धन निकालने का प्राधिकार दे सकता है।

(2) सब्सेक्शन (1) के तहत जो कुल राशि निकालने के लिए प्राधिकृत है वह पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में सरकार की साधारण सेवाओं के लिए बनाए गए अप्रोप्रिएशन के एक-तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए।

अप्रोप्रिएशन और टेक्सिंग कार्यवाहियों के लिए मंत्री की सहमति आवश्यक

143. कोई भी लिखित कानून, जो -

(a) रेवेन्यू या धन को अलग रखता है या इस तरह के अप्रोप्रिएशन को बढ़ाता है;

(b) टेक्स लागू करता है या टेक्स बढ़ाता है; या

(c) राज्य को बाकी कर्ज की रकम को कम करता है,

फाइनेंस मंत्री द्वारा बताए जाने पर, मंत्रिमंडल की सहमति से संसद में पारित होना चाहिए।

वार्षिक बजट

144.- (1) 31 दिसम्बर को खत्म होने वाले प्रत्येक साल या संसद द्वारा निर्धारित किसी दूसरे दिन वित्त मंत्री को संसद के समक्ष एक वार्षिक बजट पेश करना होगा, जिसमें सरकार की साधारण सेवाओं और संसद की सेवाओं के संबंध में प्रति वर्ष के रेवेन्यू, कैपीटल और वर्तमान खर्चों का अनुमान हो।

(2) एक लिखित कानून बता सकता है कि किस तरह से वार्षिक अनुमान तैयार करना है।

सरकार द्वारा गारंटीस

145.- (1) सरकार एक कर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था की वित्तीय क्षमता की गारंटी नहीं दे सकती जब तक कि गारंटी कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार संसद द्वारा प्राधिकृत न हो।

(2) संसद, रेजोलूशन के द्वारा, रेजोलूशन से 7 दिनों के अन्दर, किसी विशेष कर्ज या गारंटी के विषय पर आवश्यक जानकारी पेश करने के लिए फाइनेंस मंत्री से माँग कर सकती है -

- (a) मुख्य और सचित ब्याज को मिलाकर कुल कर्ज;
- (b) कर्ज का प्रयोग कैसे होगा या गारंटी का प्रयोजन;
- (c) कर्ज को चुकाने के प्रोविज़न्स; और
- (d) कर्ज को चुकाने में की गई प्रगति।

पब्लिक धन का लेखा-जोखा ज़रूरी

146. पब्लिक धन का हिसाब कानून के तहत और आमतौर पर पब्लिक सेक्टर में स्वीकृत अकाउंटिंग सिद्धांतों के अनुसार रखा जाना चाहिए।

निश्चित वेतन और अलाउंसस के पेमेंट के लिए कंसॉलडैटड फंड के स्टेंडिंग अप्रोप्रिएशन

147.- (1) यह सेक्षण इनपर लागू है -

- (a) राष्ट्रपति;
- (b) एक जुडिशल अफसर;
- (c) सुपरवाइज़र ऑफ इलेक्शन;
- (d) संसद के सेक्रेटरी-जनरल;
- (e) सॉलिसिटर-जनरल;
- (f) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स;
- (g) फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर;
- (h) पुलिस कमिश्नर;
- (i) फीजी कॉरेक्शन्स सर्विस के कमिश्नर;
- (j) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर;
- (k) ओडिटर-जनरल;
- (l) ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;

- (m) इलेक्टोरल कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;
- (n) अकाउंटबिलिटि एंड ट्रांसपेरन्सी कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;
- (o) सेक्शन 104(1)(d) और (e) में नामित जुडिशल सर्विस कमीशन के सदस्य;
- (p) सेक्शन 119(2)(b) में नामित मेर्सी कमीशन के सदस्य;
- (q) पब्लिक सर्विस डिसिप्लिनरी ट्रायब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्य;
- (r) पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;
- (s) सेक्शन 132(2)(d) और (e) में नामित कोन्स्ट्ट्यूशनल ऑफिसस कमीशन के सदस्य; और
- (t) किसी व्यक्ति को ऑफिस से निकाले जाने वाले मामले पर विचार करने के लिए इस संविधान के तहत स्थापित या नियुक्त किसी ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य ।

(2) यह सेक्शन जिन व्यक्तियों पर लागू है उनको वेतन या अलाउंसस कंसॉलिडैटड फंड से दिए जाएंगे, जिनका हिसाब तदनुसार रखा जाएगा ।

अन्य प्रयोजनों के लिए कंसॉलिडैटड फंड के स्टेंडिंग अपोग्रेशन

148.- (1) कर्ज की सभी रकम जिसके लिए राज्य उच्चरदायी है और पेंशन के सभी लाभ (किसी अन्य फंड से व्यक्ति या अथोरिटी को दिए गए पैसे को छोड़कर) कंसॉलिडैटड फंड से दिए जाएंगे, जिनका हिसाब तदनुसार रखा जाएगा ।

(2) इस सेक्शन में -

“कर्ज चार्ज” में व्याज, सिकिंग फंड चार्जस, उधार-चुकाई या कर्ज-मुक्ति से संबंधित बचा पैसा, और राज्य या कंसॉलिडइट फंड के रेवेन्यू की सिक्यूरिटी पर कर्ज बढ़ाने से संबंधित अन्य खर्च शामिल हैं;

“एलिजिबल सर्विस” से पब्लिक ऑफिस द्वारा प्रदान किए गए सर्विस का मतलब है लेकिन नौसेना, मिलिट्री या वायु सेना की सेवा शामिल नहीं है; और

“ऐंशन लाभ” से पेंशन, मुआवज़ा, गेज़ुएटी या अन्य समान पर्यामन्ट का मतलब है जो लोगों को या उनके साथियों, आश्रितों, या व्यक्तिगत प्रतिनिधियों को उनकी सेवाओं के संबंध में देना होता है ।

चैप्टर 8 - जवाबदेही

पार्ट A - आचार संहिता

आचार संहिता

149. एक लिखित कानून -

- (a) राष्ट्रपति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रधान मंत्री, मंत्रियों, संसद सदस्यों, इस संविधान द्वारा स्थापित या मौजूद ऑफिस या किसी लिखित कानून द्वारा स्थापित ऑफिस के पदाधिकारी, कमीशन के सदस्यों, पेमनेंट सेक्रेटरीस, राजटूत या राज्य के अन्य प्रमुख प्रतिनिधियों और स्टेटुटरी अर्थात् अधिकारीस में गवर्नरिंग या कार्यकारी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों और लिखित कानून द्वारा निर्धारित इस तरह के अन्य ऑफिस (पब्लिक ऑफिस सहित) के लिए एक आचार संहिता की स्थापना करेगा;
- (b) अकाउंटबिलिटी एंड ट्रांस्पेरेन्सी कमीशन द्वारा आचार संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं की स्थापना करेगा;
- (c) अनुच्छेद (a) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की निगरानी के लिए अकाउंटबिलिटी एंड ट्रांस्पेरेन्सी कमीशन को अधिकार प्रदान करेगा;
- (d) अकाउंटबिलिटी एंड ट्रांस्पेरेन्सी कमीशन द्वारा आचार संहिता के उल्लंघनों के मामलों की जाँच करने और आचार संहिता के एंफोर्समेंट के लिए प्रोविज़न बनाएगा, जिनमें आपराधिक और अनुशासनिक कार्यवाहियाँ शामिल हैं, तथा आचार संहिता के उल्लंघन में पकड़े गए ऑफिसर्स को पद से हटाने के लिए अधिकार प्रदान करेगा;
- (e) सीटी-ब्लॉक्स को संरक्षण प्रदान करेगा जो अनुच्छेद (a) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा किसी लिखित कानून या आचार संहिता के उल्लंघन या धोखाधड़ी या भ्रष्ट प्रथाओं में शामिल होने का खुलासा अच्छे इरादे से करता है; और
- (f) अनुच्छेद (a) में उल्लिखित अफसरों की एसट, लाइब्रेरी तथा आर्थिक रूचियों के बारे में अकाउंटबिलिटी एंड ट्रांस्पेरेन्सी कमीशन को सलाना रूप से जानकारी देने के लिए कहेगा और यह जानकारी जनता के लिए भी उपलब्ध करेगा।

पार्ट B - जानकारी की स्वतंत्रता

जानकारी की स्वतंत्रता

150. एक लिखित कानून इसके लिए प्रावधान तैयार करेगा कि राज्य और सरकारी एन्टिटीयों द्वारा रखी गई औपचारिक जानकारी और दस्तावेज़ जनता को प्राप्त करने का अधिकार हो ।

पार्ट C - ऑडिटर-जनरल

ऑडिटर-जनरल

151.- (1) स्टेट सर्विस डिक्री 2009 के तहत स्थापित ऑडिटर-जनरल का ऑफिस अभी भी मौजूद है ।

(2) फाइनेंस के साथ परामर्श के बाद, कोन्स्ट्रट्यूशनल ऑफिसस कमीशन की सलाह पर ऑडिटर-जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी ।

(3) अगर ऑडिटर-जनरल का ऑफिस खाली है या ऑडिटर-जनरल अपने ऑफिस में अनुपस्थित है या फीजी से बाहर है, या किसी भी कारण से अपने ऑफिस का काम संभाल नहीं सकता है, तो राष्ट्रपति कोन्स्ट्रट्यूशनल ऑफिसस कमीशन की सलाह पर किसी भी अवधि या सभी अवधियों के लिए एक व्यक्ति को ऑडिटर-जनरल के रूप में नियुक्त कर सकता है ।

ऑडिटर-जनरल के कार्य

152.- (1) हर साल कम से कम एक बार, ऑडिटर-जनरल निम्नलिखित चीज़ों का निरीक्षण और ऑडिट कर संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा -

(a) राज्य के पब्लिक अकाउंट्स;

(b) राज्य के पब्लिक पैसे और पब्लिक प्रोपर्टी का नियंत्रण; और

(c) पब्लिक पैसे और पब्लिक प्रोपर्टी से संबंधित सभी ट्रांज़ेक्शन्स ।

(2) रिपोर्ट में, ऑडिटर-जनरल को बताना होगा, कि क्या उनकी राय में -

(a) पब्लिक पैसे और पब्लिक प्रोपर्टी से संबंधित सभी ट्रांज़ेक्शन्स इस संविधान या किसी लिखित कानून के तहत किए गए हैं; और

(b) जो खर्च जिस मकसद के लिए स्वीकृत थे उसी के लिए इस्तेमाल हुए हैं ।

(3) एक लिखित कानून ओडिटर-जनरल के ऑफिस से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान बना सकता है और ओडिटर-जनरल को अतिरिक्त कार्य और शक्तियाँ प्रदान कर सकता है।

(4) अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए, ओडिटर-जनरल या उसके द्वारा प्राधिकृत एक व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति या अर्थोरिटी के कब्जे, कस्टडी या नियंत्रण में रखे सभी रिकॉर्ड्स, बुक्स, वाउचर्ज़, सामान या अन्य सरकारी प्रोपर्टी को प्राप्त करने का अधिकार है।

(5) अपने कार्यों को करने या अपनी अर्थोरिटी और शक्तियों का प्रयोग करने में ओडिटर-जनरल स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अर्थोरिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है।

(6) ओडिटर-जनरल के ऑफिस में कार्यरत सभी कर्मचारियों (एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी सहित) को नियुक्त करने, काम से निकालने और अनुशासित करने की अर्थोरिटी ओडिटर-जनरल के पास है।

(7) ओडिटर-जनरल के पास अर्थोरिटी है कि वह ओडिटर-जनरल के ऑफिस में कार्यरत सभी कर्मचारियों की नौकरी से संबंधित सभी मामलों को तय करे, जिनमें शामिल हैं -

(a) नौकरी के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरतें और नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो मेरिट पर आधारित खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत अपने बजट के अनुसार वेतन, लाभ और अलाउंसस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या।

(8) ओडिटर-जनरल के ऑफिस में कार्यरत किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले वेतन, लाभ और अलाउंस को कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा।

(9) संसद यह सुनिश्चित करेगी कि ओडिटर-जनरल को पर्याप्त फंडिंग और संसाधनों की प्राप्ति हो ताकि वह अपने कार्यों और कर्तव्यों को स्वतंत्रता और कुशलता से निभाए।

(10) संसद की स्वीकृति के अनुसार ओडिटर-जनरल अपने बजट और फाइनेंसस का नियंत्रण खुद करेगा ।

(11) एक लिखित कानून यह बता सकता है कि किसी निर्धारित बोडी कोर्पोरेट के अकाउंट्स ओडिटर-जनरल द्वारा ओडिट नहीं किए जाएंगे लेकिन उस लिखित कानून में निर्धारित रूप से ओडिट किए जाएंगे ।

(12) अगर लिखित कानून सब्सेक्शन (11) के नीचे निर्धारित करता है, तो वह ओडिटर-जनरल को शक्ति भी देगा कि वह उन ओडिट्स को देखे और एक रिपोर्ट प्रदान करे ।

(13) ओडिटर-जनरल अपनी रिपोर्ट संसद के स्पीकर को पेश करेगा और एक कॉपी फाइनेंस मंत्री को देगा ।

(14) रिपोर्ट पाने पर 30 दिनों के अन्दर, या अगर संसद सत्र में नहीं है, तो फाइनेंस मंत्री संसदीय सत्र के शुरू होने के पहले दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

पार्ट D - रिज़र्व बैंक ऑफ फीजी

रिज़र्व बैंक ऑफ फीजी

153.- (1) रिज़र्व बैंक ऑफ फीजी राज्य का केन्द्रीय बैंक है, जिसके मुख्य लक्ष्य हैं -

(a) संतुलित और स्टेनबल आर्थिक वृद्धि के हित में कर्णसी को मूल्य को सुरक्षित रखना;

(b) मोनेटरी पोलिसी को तैयार करना;

(c) प्राइस स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना;

(d) कर्णसी प्रदान करना; और

(e) एक लिखित कानून द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करना ।

(2) अपने मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ फीजी को अपना कार्य स्वतंत्र रूप से और बिना डर, पक्षपात और पूर्वाग्रह के करना होगा, लेकिन बैंक और फाइनेंस मंत्री के बीच नियमित राय मशविरा होना चाहिए ।

(3) रिज़ेर्व बैंक ऑफ फीजी की वही शक्तियाँ और कार्य हैं जो केन्द्रीय बैंकों को प्राप्त हैं।

(4) फाइनेंस मंत्री के साथ परामर्श के बाद, कॉन्स्टट्यूशनल ऑफिसस कमीशन की सलाह पर रिज़ेर्व बैंक ऑफ फीजी के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी।

(5) एक लिखित कानून रिज़ेर्व बैंक ऑफ फीजी के गठन, शक्तियाँ, कार्यों और संचालनों के बारे में बताएगा।

(6) रिज़ेर्व बैंक ऑफ फीजी को त्रैमासिक और सालाना रिपोर्ट्स संसद को देना होगा, और कानून या रेज़ोलूशन द्वारा ज़रूरी पड़ने पर अन्य रिपोर्ट्स देना होगा।

चैप्टर 9 - आपातकालीन शक्तियाँ

आपात स्थिति

154.- (1) प्रधान मंत्री, पुलिस कमिशनर और रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर की सिफारिश पर, फीजी में या फीजी के एक भाग में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है, और आपातकालीन स्थिति से संबंधित नियमों को बना सकता है, अगर विश्वास करने के उचित आधार हैं कि -

(a) पूरे फीजी या फीजी के एक हिस्से की सुरक्षा को खतरा है; और

(b) खतरे की परिस्थितियों के साथ प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए आपातकालीन स्थिति को घोषित करने की आवश्यकता है।

(2) अगर आपातकाल की स्थिति की घोषणा संसद की बैठक के दौरान की जाती है, तब प्रधान मंत्री को, घोषणा करने पर 24 घंटे के अन्दर, संसद की पुष्टि के लिए संसद में घोषणा का उल्लेख करना होगा।

(3) अगर आपातकाल की स्थिति की घोषणा संसद की बैठक के दौरान नहीं की जाती है, तब स्पीकर को, घोषणा होने पर 48 घंटे के अन्दर आवश्यक संचार उपायों के माध्यम से संसद सदस्यों से घोषणा की पुष्टि करनी होगी।

(4) अगर संसद सदस्य बहुमत से प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा की पुष्टि करते हैं, तो पुष्टि की तारीख से एक महीने की अवधि तक घोषणा जारी रहेगी, और संसद में एक और वोट के द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(5) अगर संसद सदस्य बहुमत से प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा की पुष्टि नहीं करते हैं, तो घोषणा और घोषणा के तहत की गई किसी भी कार्यवाही को लागू नहीं समझा जाएगा।

चैप्टर 10 - इम्युनिटी

1990 के संविधान के नीचे दी गई इम्युनिटी जारी

155. संविधान संशोधन अधिनियम 1997 के निराकरण के होते हुए भी और 1990 के संविधान के रद्द होने के बावजूद, 1990 के संविधान का चैप्टर XIV अपने अभिप्राय के साथ जारी है, और 1990 के संविधान के चैप्टर XIV के तहत दी गई इम्युनिटी आदेश जारी रहेगा ।

लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर प्रिस्काइब्ड पोलिटिकल इवेंट्स डिक्री 2010 के नीचे दी गई इम्युनिटी जारी

156.- (1) निर्धारित राजनीतिक घटनाक्रम डिक्री 2010 के लिए दायित्व की सीमा के तहत निर्धारित राजनीतिक घटनाओं के लिए निर्धारित व्यक्तियों को दी गई उन्मुक्त वर्तमान में जारी रहेगी ।

(2) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, निर्धारित राजनीतिक घटनाक्रम डिक्री 2010 के लिए दायित्व की सीमा, अपनी संपूर्णता में, वर्तमान में जारी रहेगी और संसद द्वारा पुनर्विलोकित, संशोधित, परिवर्तित, रद्द या वापस नहीं की जाएगी ।

अतिरिक्त इम्युनिटी

157. पूर्ण और बिना शर्त की इम्युनिटी अपरिवर्तनीय रूप से इन पदों पर, या इन कार्यालयों में पद धारण किए गए किसी भी व्यक्ति (चाहे उनके औपचारिक या निजी या व्यक्तिगत क्षमता में) को प्रदान किया जा सकता है -

- (a) राष्ट्रपति;
- (b) प्रधान मंत्री और कैबिनेट मंत्री;
- (c) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़;
- (d) फीजी पुलिस फोर्स;
- (e) फीजी कॉरेक्शन्स सर्विस;
- (f) जुडिशरी;

(g) पब्लिक सर्विस; और

(h) कोई भी पब्लिक ऑफिस,

किसी भी अपराधिक कार्यवाही और सिविल या कोई भी कोर्ट में कोई लायबिलिटी से, द्रायब्युनल या कमीशन में कोई भी कार्यवाही जिस में लीगल, मिलिट्री, डिसिप्लिनरी या प्रोफेशनल कार्यवाही और किसी कोर्ट, द्रायब्युनल या कमीशन के किसी आदेश या निर्णय जो 5 दिसंबर 2006 से लेकर इस संविधान के पारंभ होने तक से सरकार में किसी भी तरह से चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेना, नियुक्ति होना या शामिल रहने के लिए हो, लेकिन कोई भी कार्य या ऑफिशन जो अपराध डिक्री 2009 के सेक्षण 133 से 146 तक, 148 से 236 तक, 288 से 351 तक, 356 से 361 तक, 364 से 374 तक, और 377 से 386 (इस संविधान के प्रारंभ की तारीख से अपराध डिक्री 2009 में दिए गए) के नीचे एक अपराध है को इम्युनिटी नहीं है।

इम्युनिटी सुरक्षित

158.- (1) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, इस चेप्टर और इस चेप्टर के तहत दी गई या जारी कोई भी उन्मुक्ति पुर्नविलोकित, संशोधित, परिवर्तित, रद्द या वापस नहीं की जाएगी।

(2) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के पास इस संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किसी भी चुनौती के संबंध में और इस चेप्टर के तहत दी गई या जारी उन्मुक्ति को स्वीकारने, सुनने या निर्णय करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(3) राज्य द्वारा कोई मुआवजा किसी व्यक्ति को क्षति, चोट या उसकी संपत्ति या व्यक्ति को नुकसान के संबंध में नहीं देना होगा जो इस चेप्टर के तहत दी गई उन्मुक्ति के किसी भी कार्य के परिणाम स्वरूप हुआ है।

चैप्टर 11 - संविधान का संशोधन

संविधान का संशोधन

159.- (1) सब्सेक्शन (2) के तहत, या इस संविधान के किसी प्रावधान को, इस चैप्टर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, और किसी अन्य तरीके से संशोधित नहीं किया जा सकता है।

(2) इस संविधान में किया गया कोई भी संशोधन -

- (a) इस संविधान के चैप्टर 10 में या इस संविधान के चैप्टर 12 के पार्ट D में किसी प्रावधान को रिपील नहीं कर सकता;
- (b) इस संविधान के चैप्टर 10 में या इस संविधान के चैप्टर 12 के पार्ट D में किसी प्रावधान के असर का उल्लंघन या अपमानित नहीं कर सकता; या
- (c) इस सेक्शन के असर को रिपील, उल्लंघन या अपमानित नहीं कर सकता।

संशोधन की प्रक्रिया

160.- (1) इस संविधान के संशोधन के लिए एक बिल इस संविधान में संशोधन करने के एक अधिनियम के लिए एक बिल के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए।

(2) इस संविधान के संशोधन के लिए एक बिल निम्न प्रक्रिया के अनुसार संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए -

- (a) बिल संसद में 3 बार पढ़ा जाता है;
- (b) दूसरी और तीसरी रीडिंग में, यह संसद के सदस्यों में से कम से कम तीन-चौथाई के वोट द्वारा समर्थित है;
- (c) दूसरी और तीसरी रीडिंग के बीच कम से कम 30 दिन बीतने का अंतराल हो और प्रत्येक रीडिंग से पहले बहस के लिए पूरा अवसर है; और
- (d) संसद में बिल की तीसरी रीडिंग तब तक न हो जब तक प्रासंगिक स्टेंडिंग समिति संसद में बिल पर रिपोर्ट नहीं देती।

(3) इस संविधान के संशोधन के लिए एक बिल सब्सेक्शन (2) के अनुसार संसद द्वारा पारित हो जाता है, तो स्पीकर राष्ट्रपति को सूचित करेगा, जो बिल पर वोट करने के लिए फीजी में पंजीकृत मतदाताओं के लिए एक जनमत संग्रह संचालित करने के लिए बिल को चुनाव आयोग के हवाले देगा।

(4) सब्सेक्शन (3) के प्रयोजनों के लिए जनमत संग्रह चुनाव आयोग द्वारा लिखित कानून द्वारा निर्धारित रूप में आयोजित किया जाएगा ।

(5) चुनाव आयोग, जनमत संग्रह के तुरंत बाद, परिणाम के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा और मीडिया में जनमत संग्रह का नतीजा प्रकाशित करेगा ।

(6) जनमत संग्रह में अगर पंजीकृत मतदाताओं में से तीन-चौथाई ने बिल के पक्ष में मतदान किया है, तो राष्ट्रपति बिल की मंजूरी देगा, जो राष्ट्रपति स्वीकृति की तारीख पर या इस बिल में निर्धारित किसी अन्य तारीख को प्रवृत्त होगा ।

(7) इस सेक्शन में, “संशोधन” या “सुधार” शब्द का मोटे तौर पर समझने का इरादा है ताकि यह धारा इस संविधान के प्रावधान या प्रावधानों को रद्द, प्रतिस्थापित, संशोधित, या परिवर्तित करने के किसी भी प्रस्ताव पर लागू हो ।

31 दिसंबर 2013 से पहले संशोधन

161.-(1) इस चेप्टर में कुछ होते हुए भी, 31 दिसंबर 2013 को या से पहले इस संविधान के प्रारंभ होने पर, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर, राजपत्र में प्रकाशित डिक्री के द्वारा इस संविधान में बदलाव कर सकता है, जो इस संविधान के प्रावधानों को पूर्ण असर देने के लिए या इस संविधान के प्रावधानों में असंगति या गलती सुधारने के लिए ज़रूरी है ।

(2) संसद राष्ट्रपति को इस संविधान में बदलाव की सलाह तभी दे सकती है जब सब्सेक्शन (1) के नीचे संसद ने सुप्रिम कोर्ट से बदलाव का प्रमाणीकरण ले लिया हो ।

(3) कोई भी शक को दूर करने के लिए यह सेक्शन इस संविधान के प्रारंभ के दिन से 31 दिसंबर 2013 को रद्द हो जाएगी ।

चैप्टर 12 - प्रारंभ, व्याख्या, रिपील और संक्रमणकालीन

पार्ट A - संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

162.- (1) इस संविधान को फीजी गणराज्य के संविधान के नाम से जाना जाएगा ।

(2) यह संविधान 7 सितंबर 2013 को लागू होगा ।

पार्ट B - व्याख्या

व्याख्या

163.- (1) इस संविधान में, जब तक कि विपरीत इरादा प्रकट न हो -

“एक्ट” का मतलब संसद का अधिनियम, डिक्री या एक घोषणा है;

“वयस्क” का मतलब उस व्यक्ति से है जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक है;

“अधिकारों का बिल” का मतलब चैप्टर 2 में निहित अधिकार और स्वतंत्रताएँ हैं;

“बच्चा” का मतलब उस शख्स से है जो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुँचा है;

“कमीशन” का मतलब इस संविधान के तहत स्थापित या अस्तित्व में जारी आयोग से है;

“1990 का संविधान” का मतलब प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतांत्रिक फीजी गणराज्य (घोषणा) डिक्री 1990 के संविधान में निहित संविधान से है;

“भृष्टाचार” में शामिल है -

- (a) एक पब्लिक अफसर को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का कोई भी प्रयास करना;
- (b) तुच्छ काम, रिश्वतखोरी या जबरन वसूली को प्रभावित करना;
- (c) व्यक्तिगत लाभ के लिए अंदर की जानकारी का दुसर्पर्योग करना;

- (d) कोई भी लाभ या अनुरोध स्वीकार करना जिसके लिए एक व्यक्ति कानूनन हकदार नहीं है;
- (e) एक व्यक्तिगत लाभ या अनुचित तरीके से किसी भी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए, किसी भी सेवा, लाभ, निर्णय, या एक व्यक्ति के खिलाफ एक वैध शक्ति के प्रयोग के साथ एक व्यक्ति को धमकी, या किसी भी तरह के प्रैक्टिस का अर्थ लगाना;
- (f) अवैध रूप से लेने या किसी भी निजी संपत्ति की माँग करना;
- (g) व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग, सार्वजनिक संपत्ति की चोरी करना; और
- (h) व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री या परिवर्तन करना;

“आपराधिक कार्यवाहियाँ” का मतलब एक कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर, के समक्ष कार्यवाहियाँ हैं जिसमें एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोषी पाया गया है, और एक अपील, सहमत हुए तथ्यों पर आधारित मामला या कानून आरक्षण का एक प्रश्न शामिल हैं;

“विभाग” का मतलब एक मंत्रालय के नीचे सार्वजनिक सेवा का एक विभाग है;

“विकलांगता” में किसी भी तरह की शारीरिक, संवेदी मानसिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य हालत, या बीमारी शामिल है जो -

- (a) दूसरों के साथ एक समान आधार पर समाज में पूरी तरह से और प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालता है; या
- (b) अनुचित भेटभाव का आधार बनता है;

“अनुशासनिक कानून” का मतलब एक लिखित कानून है जो किसी भी डिसिप्लीन फोर्स को अनुशासित करता है;

“डिसिप्लीन फोर्स” का मतलब है -

- (a) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़;

(b) फीजी पुलिस फोर्स; या

(c) फीजी कॉरेक्शन्स सर्विस;

“इलेक्टोरल अपराधों” में चुनाव के एक कानून के नीचे एक अपराध शामिल है और मतदाताओं और राजनीतिक दलों के पंजीकरण के पंजीकरण गवर्निंग कानून के नीचे कोई अपराध शामिल है;

“फीजी” या “रिपब्लिक ऑफ फीजी” का मतलब 10 अक्टूबर 1970 से पहले फीजी की कॉलोनी में शामिल क्षेत्र है और कोई भी अन्य क्षेत्र भी शामिल है जिसे संसद फीजी का हिस्सा घोषित करती है;

“गेझट” का मतलब रिपब्लिक ऑफ फीजी की सरकार का राजपत्र है जिसे सरकार के आदेश या अथॉरिटी के नीचे प्रकाशित किया जाता है, या राजपत्र में एक सप्लीमेंट के रूप में;

“सरकार” का मतलब राज्य की सरकार से है;

“मानस तस्करी” में लिखित कानून के आधार पर लोगों की तस्करी शामिल है;

“जज” का मतलब हाई कोर्ट का एक जज (चीफ जस्टिस सहित), जस्टिस ऑफ अपील (कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष सहित) या सुप्रीम कोर्ट का एक जज है;

“जुडिशल अफसर” का मतलब हाई कोर्ट का एक जज (चीफ जस्टिस सहित), जस्टिस ऑफ अपील (कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष सहित) सुप्रीम कोर्ट का एक जज, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के मास्टर्स, चीफ रेजिस्ट्रार और जुडिशल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त अन्य जुडिशल अफसर हैं;

“कानून” का मतलब सभी लिखित कानून हैं;

“मिनरल्स” का मतलब ज़मीन या समुद्र तल से निकाले गए सभी खनिज पदार्थ हैं और प्राकृतिक गैस भी शामिल हैं;

“शपथ” में प्रतिज्ञान शामिल है;

“निष्ठा और ऑफिस की शपथ या प्रतिज्ञान” का मतलब अनुसूची में निहित निष्ठा और ऑफिस की शपथ या प्रतिज्ञान है;

“व्यक्ति” का मतलब एक नेचुरल या कानूनी व्यक्ति है, जिसमें एक कंपनी या लोगों का निगमित निकाय या संघ, चाहे कॉर्पोरेट या अनिगमित, शामिल है;

“राजनीतिक पार्टी” का मतलब राजनीतिक जीवन या रिपब्लिक ऑफ फीजी की सरकार में भाग लेने के लिए प्रयास कर रहा संगठित दल या लोगों का संघ है जिसे राजनीतिक पार्टियों की संरचना को विनियमित करने वाले एक लिखित कानून के नीचे रजिस्टर्ड किया गया है;

“निर्धारित” का मतलब एक लिखित कानून के नीचे निर्धारित है;

“राष्ट्रपति” का मतलब चेप्टर 4 के नीचे नियुक्त किए गए रिपब्लिक ऑफ फीजी के राष्ट्रपति हैं और इस चेप्टर के पार्ट D के नीचे नियुक्त किए गए कोई भी व्यक्ति या पदाधिकारी शामिल हैं;

“संपत्ति” में इनमें निहित या कॉन्ट्रन्जंट अधिकार शामिल हैं, या इनमें हिस्सा या इनसे प्राप्त होने वाले हिस्से शामिल हैं -

- (a) भूमि, या भूमि पर स्थायी फिक्सचर या सुधार;
- (b) माल या निजी संपत्ति;
- (c) बौद्धिक संपदा; या
- (d) पैसे या परकाम्य लिखत;

“पब्लिक ऑफिस” का मतलब है -

- (a) इस संविधान के नीचे स्थापित या अस्तित्व में जारी एक कार्यालय;
- (b) एक कार्यालय जिसके लिए इस संविधान में प्रावधान हैं;
- (c) एक कमीशन के एक सदस्य का एक कार्यालय;
- (d) राज्य सेवा में एक कार्यालय;
- (e) जज का कार्यालय;

- (f) मजिस्ट्रेड का कार्यालय या एक कोर्ट में लिखित कानून द्वारा स्थापित एक कार्यालय;
- (g) स्टेटुटोरी अथॉरिटी में एक कार्यालय या स्टेटुटोरी अथॉरिटी के एक सदस्य का एक कार्यालय; या
- (h) लिखित कानून द्वारा स्थापित एक कार्यालय;

“पब्लिक अफसर” का मतलब एक पब्लिक ऑफिस का पदाधिकारी है;

“पब्लिक सर्विस” का मतलब एक नागरिक हैसियत में राज्य की सेवा है लेकिन इसमें शामिल नहीं हैं -

- (a) जुडिशल शाखा की सेवा;
- (b) एक कमीशन के एक सदस्य के कार्यालय की सेवा; या
- (c) इस संविधान के नीचे स्थापित या अस्तित्व में जारी एक कार्यालय की सेवा;

“सत्र” संसद के संबंध में, का मतलब संसद की बैठक है जब वह संसद के सत्रावसान या संसद के विघटन के बाद पहली बार मिलने पर शुरू होती है और संसद के अगले सत्रावसान या संसद के भंग होने पर खत्म होती है;

“जेल की सजा” में एक स्पेंडेड सजा या जुर्माने के साथ जेल की सजा शामिल नहीं है;

“बैठक” संसद के संबंध में, का मतलब है जब संसद बिना स्थगन के लगातार बैठती है, और इसमें कोई भी अवधि शामिल है जिसके दौरान संसद समिति में होती है;

“स्पीकर” का मतलब संसद के स्पीकर हैं;

“राज्य” का मतलब रिपब्लिक ऑफ फ़ीजी;

“आपात स्थिति” का मतलब चेप्टर 9 के नीचे घोषित आपातकालीन स्थिति है;

“स्टेट सर्विस” का मतलब सार्वजनिक सेवा और अनुशासित बल है;

“सबोर्डिनेट कोर्ट” का मतलब हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट, या एक अनुशासनिक कानून द्वारा स्थापित कोर्ट है;

“सबोर्डिनेट कानून” का मतलब एक अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके कोई भी कानून बनाना है, और इसमें अधिनियम, नियम, आदेश, उप-नियम या घोषणाएं शामिल हैं;

“इस संविधान” का मतलब रिपब्लिक ऑफ फ़ीजी का संविधान है; और “लिखित कानून” का मतलब एक अधिनियम, डिक्री, एलान और सबोर्डिनेट कानून है जो उन अधिनियमों, डिक्रियों या एलानों के नीचे बनाए गए हैं ।

(2) किसी सार्वजनिक पद के लिए नियुक्तियाँ करने के लिए इस संविधान में संदर्भित शक्ति में शामिल हैं -

- (a) कार्यालय में पदोन्नति या स्थानांतरण की नियुक्ति करने की शक्ति; और
- (b) कार्यालय में एक व्यक्ति को स्थानापन्न रूप से नियुक्त करने की शक्ति जब कार्यालय में पद खाली है या पदाधिकारी कार्यालय के कार्य को करने में असमर्थ है ।

(3) इस संविधान में, जब तक कि विपरीत इरादा प्रकट न हो, कार्यालय में अपनी निर्दिष्ट अवधि द्वारा स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्ति का संदर्भ है ।

(4) इस संविधान द्वारा स्थापित एक कार्यालय के लिए नियुक्त किया गया एक व्यक्ति लिखित नोटिस द्वारा पद से इस्तीफा दे सकता है और नोटिस में वह उस व्यक्ति या अर्थात् इस्तीफा को संबोधित करता है जिसने उसे नियुक्त किया था, और इस्तीफा लागू होता है -

- (a) नोटिस में निर्धारित समय या तिथि पर; या
- (b) जब नोटिस संबोधित किए गए व्यक्ति या अर्थात् इस्तीफा को प्राप्त होता है, जो भी बाद में है ।

(5) किसी सार्वजनिक कार्यालय से किसी व्यक्ति को निकालने के लिए इस संविधान में संदर्भित शक्ति में शामिल है -

- (a) व्यक्ति को अवकाश ग्रहण करने के लिए कहने की शक्ति;

- (b) जिस कॉन्ट्रेक्ट पर व्यक्ति कार्यरत है उसे समाप्त करने की शक्ति; या
- (c) जिस कॉन्ट्रेक्ट पर व्यक्ति कार्यरत है उसे नवीनीकृत न करने की शक्ति ।

(6) इस संविधान में किसी भी कानून (इस संविधान सहित) को संशोधित करने से संदर्भ है -

- (a) किसी अन्य कानून के साथ या बिना रद्द करना;
- (b) संशोधन या अन्यथा से परिवर्तित कर देना या बदलना;
- (c) उसके ऑपरेशन को समर्पित करना; या
- (d) अन्य प्रावधान बनाना जो इसके साथ असंगत है ।

(7) एक व्यक्ति, प्राधिकारी या निकाय जिनपर इस संविधान द्वारा कार्य प्रदत्त हैं आवश्यक या सुविधाजनक, या के संबंध में सब कुछ है, उन कार्यों का प्रदर्शन करने की शक्ति है ।

(8) का कुछ भी कर के संबंध में मंत्री को इस संविधान में एक संदर्भ है, किसी भी परामर्श या किसी भी रिपोर्ट की प्राप्ति में भागीदारी को कुछ समय के लिए, भाग के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो मंत्री के लिए एक संदर्भ है चितित गतिविधि के विषय से संबंधित सरकार की व्यापार की ।

(9) इसके विपरीत इरादा प्रकट होता है जब तक कि एक मंत्री को इस संविधान में एक संदर्भ पहले उल्लेख मंत्री के एक ओर के लिए अभिनय किया जा रहा है समय के लिए मंत्री के लिए एक संदर्भ शामिल है ।

(10) एक व्यक्ति या प्राधिकारी किसी भी अन्य व्यक्ति या कार्यों के निष्पादन में प्राधिकारों या शक्तियों का प्रयोग की दिशा या नियंत्रण के अधीन नहीं है कि प्रभाव के लिए इस संविधान के प्रावधान की एक अदालत प्रीक्लूडिंग के रूप में लगाया जा नहीं रही है पहले उल्लेख किया है व्यक्ति या प्राधिकारी कार्यों प्रदर्शन या इस संविधान के अनुसार या उस व्यक्ति या प्राधिकारी चाहिए या कार्य करते हैं या शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि क्या शक्तियों का प्रयोग किया गया है कि क्या एक प्रश्न के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने से कानून ।

(11) बनाने के लिए अनुदान या मुद्रा किसी भी साधन (एक घोषणा, आदेश, विनियमन या नियम सहित) या किसी भी दिशा देने के लिए इस संविधान द्वारा प्रदत्त एक शक्ति है, तरह-तरह के प्रयोग की शक्ति, को निरस्त करने, रद्द कर देना भी शामिल है, रद्द, संशोधन या साधन या दिशा बदलती है।

(12) संदेह से बचने के लिए, उसी हद तक इस संविधान के आयात के दायित्व के रूप में यदि शब्द “करेगा” इस्तेमाल किया गया “चाहिए” शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

(13) इस संविधान में नामित एक कार्यालय को इस संविधान में एक संदर्भ परिस्थितियों में इसे लागू करने के लिए आवश्यक कोई औपचारिक परिवर्तन के साथ पढ़ा जा रहा है।

(14) इस संविधान में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित जब तक -

(a) एक शब्द या अभिव्यक्ति इस संविधान में परिभाषित किया गया है अगर शब्द या अभिव्यक्ति के किसी भी व्याकरण की विभिन्नता या आत्मीय अभिव्यक्ति संदर्भ द्वारा आवश्यक परिवर्तन के साथ पढ़ने के लिए एक इसी अर्थ है; और

(b) शब्द “शामिल” मतलब है कि “शामिल है, लैकिन सीमित नहीं है”।

(15) इस संविधान के तहत किसी भी उद्देश्य के लिए 2 घटनाओं, समय है अगर व्यक्त बीच समय की गणना करने में -

(a) के दिन के रूप में, पहली घटना होती है, जिस पर दिन बाहर रखा जा रहा है, और पिछले घटना घटित हो सकती है जिसके द्वारा दिन शामिल किया जा रहा है;

(b) महीने के रूप में, समय अवधि प्रासंगिक में दिन की शुरूआत में समाप्त होता माह -

(i) कि उस महीने एक इसी तारीख है, अवधि शुरू किया है जिस पर तारीख के रूप में एक ही नंबर है; या

(ii) किसी भी अन्य मामले में, इस महीने का आखिरी दिन है; या

(c) वर्ष के रूप में, समय की अवधि अवधि शुरू किया, जिस तारीख से मेल खाती है कि प्रासंगिक वर्ष की शुरूआत में समाप्त होता है।

(16) किसी भी उद्देश्य के लिए इस संविधान द्वारा निर्धारित समय की अवधि 6 दिन या उससे कम है तो रविवार तथा सार्वजनिक छुट्टियों के समय की गणना करते समय गिना नहीं जा रहे हैं ।

(17) अवकाश पर समाप्त होता है, तो अवधि एक रविवार को सार्वजनिक अवकाश नहीं है कि पहली बार अगले दिन तक फैली हुई है ।

(18) एक विशेष समय तक आवश्यक कार्य प्रदर्शन के लिए इस संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, अधिनियम अनुचित देरी के बिना किया जाता है, और जितनी बार अवसर की आवश्यकता के रूप में किया जाना चाहिए ।

(19) किसी भी व्यक्ति को इस संविधान द्वारा निर्धारित समय की अवधि का विस्तार करने के लिए इस संविधान के तहत अधिकार है, तो एक विपरीत इरादा स्पष्ट रूप से अधिकार प्रदान करने के प्रावधान में बताया गया है कि जब तक प्राधिकरण की अवधि के अंत से पहले या बाद में या तो प्रयोग किया जा सकता है ।

(20) योग्य अगर एक व्यक्ति इस संविधान के तहत स्थापित एक कार्यालय को खाली कर दिया है कि अगर इस संविधान, अन्यथा प्रदान करता है कि सीमा को छोड़कर, व्यक्ति, फिर से निर्वाचित, नियुक्त किया जा सकता है या अन्यथा यह संविधान के अनुसार पद धारण करने के लिए चयन कर सकते हैं ।

(21) अनुसूचियों “इस संविधान” का हिस्सा है, और अभिव्यक्ति इस संविधान के हर इस्तेमाल अनुसूचियों में शामिल हैं ।

(22) निष्ठा से या कार्यालय की शपथ या प्रतिज्ञान लेने के लिए किसी भी कानून के तहत आवश्यक कोई भी व्यक्ति अनुसूची में निर्धारित उचित शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए ।

पार्ट C - रिपील

रिपील

164. इस चेप्टर के भाग D और इस संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत, निम्नलिखित कानूनों को रिपील कर दिया गया है -

(a) एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ फीजी डिक्री 2009;

(b) रेवेन्यू एंड एक्स्पोंडिचर डिक्री 2009;

- (c) स्टेट सर्विसेस डिक्री 2009;
- (d) ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेज़िडेंट एंड सक्सेशन डिक्री 2009; और
- (e) एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिक्री 2009।

पार्ट D - संक्रमणकालीन

राष्ट्रपति का ऑफिस

165.- (1) फीजी डिक्री 2009, फीजी डिक्री 2009 की कार्यकारिणी प्राधिकरण के तहत नियुक्त राष्ट्रपति के कार्यकारी प्राधिकरण के निरसन के होते हुए भी फीजी के कार्यकारी प्राधिकरण के अधीन किए गए उसके या उसकी नियुक्ति की अवधि तक पद धारण करता रहेगा डिक्री 2009 और राष्ट्रपति के पद के लिए किसी भी फिर से नियुक्ति इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(2) फीजी डिक्री 2009 की कार्यकारिणी प्राधिकरण के तहत नियुक्त राष्ट्रपति फीजी के कार्यकारी अधिकार का प्रयोग और कार्यकारी प्राधिकरण के तहत सभी उसमें निहित शक्तियों (मंत्रिमण्डल की सलाह पर डिक्री द्वारा कानून बनाने सहित) या उसका प्रयोग करता रहेगा इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक फीजी फरमान 2009।

(3) कोई रिक्ति इस संविधान के तहत पहले संसद की पहली बैठक से पहले राष्ट्रपति के कार्यालय में उठता है, फिर एक और व्यक्ति फीजी डिक्री 2009 की कार्यकारिणी प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(4) इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख, जब तक उप-राष्ट्रपति और उत्तराधिकार डिक्री 2009 के कार्यालय के निरसन के होते हुए भी, राष्ट्रपति का पद रिक्त है या अगर राष्ट्रपति इयूटी से अनुपस्थित है तो या फीजी से या है, किसी भी कारण के लिए, राष्ट्रपति के पद का कार्य करने में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति के पद का कार्य करता है, मुख्या न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, अगले मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदर्शन या किया जाएगा नियुक्ति की तारीख और आयोजित न्यायिक कार्यालय की प्रकृति को ध्यान में रखते द्वारा निर्धारित वरिष्ठतम मूल न्यायाधीश।

प्रधान मंत्री और मंत्री

166.- (1) फीजी डिक्री 2009 की कार्यकारिणी प्राधिकरण के निरसन के होते हुए भी, प्रधान मंत्री और फीजी डिक्री 2009 की कार्यकारिणी प्राधिकरण के तहत नियुक्त अन्य मंत्रियों के तहत पहले संसद की पहली बैठक की तारीख तक कार्यालय में जारी करेगा इस संविधान का सेक्शन 93।

(2) के प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों फीजी डिक्री 2009 इस संविधान के सेक्शन 93 के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक के कार्यकारी प्राधिकरण के तहत प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों में निहित सभी अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा ।

(3) इसके निरसन के होते हुए भी, फीजी डिक्री 2009 की कार्यकारिणी प्राधिकरण इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक लागू रहेगा ।

(4) इस अध्याय के पार्ट C में और इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक इस संविधान में निहित कुछ भी, बावजूद उल्लेख कानूनों के निरसन के होते हुए भी, अधीनस्थ कानून, कानूनों के अनुसार ही किया जाएगा नियम और इस संविधान के प्रारंभ से पहले लागू प्रक्रियाओं ।

पब्लिक या कोन्स्ट्रूशनल अफ्सर

167.- (1) इस संविधान के प्रारंभ होने की तारीख से पहले आयोजित करता है या एक सार्वजनिक कार्यालय में काम कर रहा है जो किसी भी व्यक्ति को, इस संविधान पकड़ या कि कार्यालय या इसी सार्वजनिक कार्यालय की स्थापना में कार्य शुरू होने की तारीख से वह या वह इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करने के लिए नियुक्त किया गया था और किसी भी मौजूदा कानून के द्वारा ऐसी नियुक्ति पर किसी भी शपथ आवश्यक ले लिया है, यह समझा जाएगा कि अगर इस संविधान द्वारा, लेकिन प्रदान की है कि जो कोई भी मौजूदा कानून के तहत किसी भी व्यक्ति किसी भी अवधि की समाप्ति पर या किसी भी उम्र की प्राप्ति पर अपने या अपने कार्यालय को खाली करने के लिए आवश्यक हो गया होता उस अवधि की समाप्ति पर या उस उम्र की प्राप्ति पर इस संविधान के तहत अपने या अपने पद रिक्त कर देगा ।

(2) इस धारा के प्रावधानों के कार्यालयों के उन्मूलन के लिए या पकड़े या किसी भी कार्यालय में अभिनय व्यक्तियों के पद से हटाने के लिए प्रावधान बनाने के लिए इस संविधान द्वारा या के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा ।

(3) इस संविधान के तहत चुनी गई संसद की पहली बैठक तक, इस संविधान के तहत कोन्स्ट्रूशनल ऑफिसस कमीशन को दिए गए किसी भी कार्य, शक्ति या कर्तव्य को प्रधान मंत्री द्वारा किया जाएगा ।

(4) किसी शक को दूर करने के लिए, सेक्शन 132(2)(d) और (e) में नामित कोन्स्ट्रूशनल ऑफिसस कमीशन के सदस्य इस संविधान के तहत चुनी गई संसद की पहली बैठक के बाद नियुक्त किए जाएंगे, और कोन्स्ट्रूशनल ऑफिसस कमीशन इस संविधान के तहत चुनी गई संसद की पहली बैठक से पहले कोई मीटिंग नहीं करेगा ।

(5) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, सेक्शन्स 79(8), 108(2), 116(12), 117(13), 121(15), 127(8), 129(8), 130(8), 131(6) और 152(7) 1 जनवरी 2014 को असर में आएंगे ।

फाइनेंस

168. इस संविधान के चेप्टर 7 के राजस्व और व्यय डिक्री 2009 और प्रावधानों के निरसन के होते हुए भी, राजस्व और व्यय डिक्री 2009 इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक लागू रहेगा ।

संसद और स्पीकर के कार्य

169.- (1) इस चेप्टर के पार्ट C, इस संविधान में अध्यक्ष द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि किसी भी समारोह में वर्णित कानूनों के निरसन होते हुए भी, इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक, प्रधान मंत्री द्वारा प्रदर्शन किया ।

(2) इस चेप्टर के पार्ट C में वर्णित कानूनों के निरसन के होते हुए भी, इस संविधान में संसद द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि किसी भी समारोह में, इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक, मंत्रिमण्डल द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा ।

(3) इस संविधान के तहत चुनी गई संसद की पहली बैठक से पहले, इस संविधान के तहत विपक्ष के नेता को दिए गए किसी भी कार्य, शक्ति या कर्तव्य को प्रधान मंत्री द्वारा किया जाएगा ।

चुनाव

170.- (1) इस संविधान के चेप्टर 4 में निहित कुछ होते हुए भी, इस संविधान के तहत संसद के सदस्यों के लिए पहले आम चुनाव प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जा करने के लिए एक तारीख को आयोजित किया जाएगा, लेकिन पहला आम चुनाव 30 सितंबर 2014 से पहले हो जाना चाहिए ।

(2) इस संविधान के तहत संसद सदस्यों के पहले आम चुनाव के लिए, जिस तारीख को आम चुनाव होगा उसकी औपचारिक घोषणा राष्ट्रपति द्वारा आम चुनाव के दिन से 60 दिन पहले की जाएगी ।

(3) इस संविधान के तहत संसद सदस्यों के पहले चुनाव के लिए प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति रिट्स जारी करेंगे और रिट्स आम चुनाव के दिन से 44 दिन पहले जारी किए जाने चाहिए ।

(4) इस संविधान के तहत संसद सदस्यों के पहले आम चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नॉमिनेशन को प्राप्त करने का आखिरी दिन चुनाव के दिन से 30 दिन पहले है।

(5) जब तक इस संविधान के तहत इलेक्टोरल कमीशन या सुपरवाइज़र ऑफ इलेक्शन्स की नियुक्ति नहीं होती तब तक इलेक्टोरल कमीशन या सुपरवाइज़र ऑफ इलेक्शन्स के कार्य चुनाव के लिए जिम्मेदार परमानेंट सेक्रेटरी करेंगे।

इंस्टट्यूशन्स का उत्तराधिकारी

171.- (1) इस संविधान के तहत स्थापित एक कार्यालय या संस्था इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले मौजूदा इसी कार्यालय या संस्था के कानूनी उत्तराधिकारी होंगे।

(2) इस संविधान के तहत अपनी नियुक्ति पर, चुनाव पर्यवेक्षक (पंजीकरण राजनीतिक दलों के तहत निर्वाचन (मतदाताओं का पंजीकरण) डिक्री 2012 के तहत मतदाता के रजिस्ट्रार के कार्यालय में और रजिस्ट्रार के कार्यालय को कानूनी उत्तराधिकारी होंगे, संचालन, अनुदान और प्रकटीकरण) डिक्री 2013।

अधिकारों और दायित्वों का संरक्षण

172.- (1) इस संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान होने को छोड़कर, इस संविधान के प्रारंभ से पहले मौजूद सभी अधिकार और दायित्व, इस संविधान के तहत राज्य के अधिकारों और दायित्वों के रूप में जारी रहेंगे।

(2) इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी व्यक्ति को दिए गए सभी परमिट, लाइसेंस, अधिकार या राज्य द्वारा समान दायित्व इस संविधान के प्रारंभ की तिथि से ही जारी रहेंगे।

(3) इस चैप्टर के पार्ट C के नीचे रद्द किए गए किसी कानून में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले सौंपे गए कार्य, जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले लागू थे, इस संविधान के प्रारंभ होने के बाद जारी रहेंगे, जैसे इस संविधान में निर्दिष्ट एक समान कमीशन या व्यक्ति द्वारा दिए गए हों।

(4) इस चैप्टर के पार्ट C के नीचे रद्द किए गए किसी कानून में उल्लिखित किसी कमीशन या व्यक्ति के समक्ष अगर कोई कार्यवाही शुरू हो गई थी लेकिन इस संविधान के प्रारंभ होने की तारीख से पहले उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था, इस संविधान के प्रारंभ होने के बाद जारी रहेगी, जैसे इस संविधान में निर्दिष्ट समान कमीशन या व्यक्ति द्वारा शुरू की गई थी।

(5) कोई भी शिकायत ह्यूमन राइट्स कमीशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन डिक्री 2009 के नीचे स्थापित हुई थी को मिली थी, लेकिन उस का निर्णय इस संविधान की शुरूआत तक नहीं हुई है को ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन जो इस संविधान के सेवक्षण 45 के नीचे स्थापित की गई है ध्यान देना जारी रखेगा; लेकिन कोई भी शिकायत ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन को अगर 21 अगस्त 2013 के बाद मिलती है तो वह शिकायत सिर्फ उन मामलों, घटनाक्रम या घटनाओं के बारे में हो जो 21 अगस्त 2013 को या उस के बाद घटी हो, और ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं देगा जो 21 अगस्त 2013 के बाद आया हो और वह संबंध रखती हो मामलों, घटनाक्रम या घटनाओं से जो 21 अगस्त 2013 से पहले घटी हों ।

कानूनों का संरक्षण

173.- (1) सब्सेक्शन (2) के तहत, इस संविधान के प्रारंभ (इस चेप्टर के पार्ट C में निर्दिष्ट कानूनों के अलावा) से पहले जारी सभी लिखित कानून यह मानकर असर में रहेंगे कि ये इस संविधान के तहत बने हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस संविधान के अनुरूप लाने के लिए उनमें बदलाव किए जाएंगे ।

(2) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, कोई भी एलान, डिक्री या घोषणा (इस चेप्टर के पार्ट C में उल्लिखित कानूनों के अलावा) और इस तरह के एलान, डिक्री या घोषणा के नीचे बने कोई भी सबोर्डिनेट कानून -

(a) जो 5 दिसंबर 2006 और इस संविधान के नीचे पहली संसद की पहली बैठक के बीच बने या बनाए जा सके हैं; और

(b) जो असर में हैं और किसी दूसरे एलान, डिक्री या घोषणा द्वारा या इस तरह के एलान, डिक्री या घोषणा के नीचे बने सबोर्डिनेट कानूनों (जैसी स्थिति हो) द्वारा रिपील या बदले नहीं गए हैं,

संपूर्ण रूप से लागू रहेंगे ।

(3) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, कोई भी एलान, डिक्री या घोषणा (इस चेप्टर के पार्ट C में उल्लिखित कानूनों के अलावा) और इस तरह के एलान, डिक्री या घोषणा के नीचे बने कोई भी सबोर्डिनेट कानून -

(a) जो 5 दिसंबर 2006 और इस संविधान के नीचे पहली संसद की पहली बैठक के बीच बने या बनाए जा सके हैं; और

(b) जो असर में हैं और किसी दूसरे एलान, डिक्री या घोषणा द्वारा या इस तरह के एलान, डिक्री या घोषणा के नीचे बने सबोर्डिनेट कानूनों (जैसी स्थिति हो) द्वारा रिपील या बदले नहीं गए हैं,

इस संविधान के प्रारंभ के बाद संसद द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं; बशर्ते इस तरह के संशोधन से -

- (i) कोई भी पूर्वव्यापी प्रभाव न हो;
- (ii) इन कानूनों के नीचे बने फैसले किसी भी तरह से अमान्य न ठहरे; या
- (iii) इन कानूनों द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति को कोई मुआवज़ा, नुकसान, राहत, उपचार या हानिपूर्ति न दी जाए।

(4) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, किसी भी कोर्ट या द्रायब्यूनल (संविधान द्वारा स्थापित या जारी कोर्ट या द्रायब्यूनल सहित) के पास अधिकार नहीं होगा कि किसी भी तरह की कार्यवाही को स्वीकार करे, की सुनवाई करे, पर निर्णय करे, या किसी तरह से विचार करे, या कोई आदेश, राहत या उपचार प्रदान करे, जो -

- (a) 5 दिसंबर 2006 और इस संविधान के नीचे पहली संसद की पहली बैठक के बीच बने या बनाए जा सके किसी भी एलान, डिक्री या घोषणा, और इस तरह के एलान, डिक्री या घोषणा के नीचे बने किसी भी सबोर्डिनेट कानून (इस तरह के कानूनों के किसी प्रावधान सहित) की विधिमान्यता या वैधता को चुनौती देने का या पर सवाल करने का इरादा रखता हो या कोशिश करता हो;
- (b) 5 दिसंबर 2006 और इस संविधान के नीचे पहली संसद की पहली बैठक के बीच बने या बनाए जा सके किसी भी एलान, डिक्री या घोषणा, और इस तरह के एलान, डिक्री या घोषणा के नीचे बने किसी भी सबोर्डिनेट कानून (इस तरह के कानूनों के किसी प्रावधान सहित) की संवैधानिकता को चुनौती देने का या पर सवाल करने का इरादा रखता हो या कोशिश करता हो;
- (c) 5 दिसंबर 2006 और इस संविधान के नीचे पहली संसद की पहली बैठक के बीच बने या बनाए जा सके किसी भी एलान, डिक्री या घोषणा, और इस तरह के एलान, डिक्री या घोषणा के नीचे बने किसी भी सबोर्डिनेट कानून (इस तरह के कानूनों के किसी प्रावधान सहित) को चुनौती देने या पर

सवाल करने का इरादा रखता हो या कोशिश करता हो कि वह इस संविधान के किसी प्रावधान, इस संविधान के चैप्टर 2 के प्रावधान सहित, से असंगत है; या

(d) 5 दिसंबर 2006 और इस संविधान के नीचे पहली संसद की पहली बैठक के बीच बने या बनाए जा सके किसी भी एलान, डिक्री या घोषणा, और इस तरह के एलान, डिक्री या घोषणा के नीचे बने किसी भी सर्वोर्डिनेट कानून (इस तरह के कानूनों के किसी प्रावधान सहित) के तहत कोई भी लिया गया या प्राधिकृत निर्णय, या कोई भी कार्यवाही, या कोई भी लिया जा सका या प्राधिकृत किया जा सका निर्णय, 5 दिसंबर 2006 और इस संविधान के नीचे पहली संसद की पहली बैठक के बीच बने या बनाए जा सके इस तरह के किसी एलान, डिक्री या घोषणा (इस तरह के कानूनों के किसी प्रावधान सहित) द्वारा प्रदत्त या प्राधिकृत को छोड़कर चुनौती देने या पर सवाल करने का इरादा रखता हो या कोशिश करता हो ।

(5) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिक्री 2009 के रिपील होने के बावजूद, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिक्री 2009 के सेक्शन 5 के स्वेक्षण्य (3), (4), (5), (6) और (7) 5 दिसंबर 2006 और इस संविधान के नीचे पहली संसद की पहली बैठक के बीच बने या बनाए जा सके किसी भी एलान, डिक्री या घोषणा (इस तरह के कानूनों के किसी प्रावधान सहित) पर लागू रहेंगे ।

(6) सभी लिखित कानून जो इस संविधान के प्रारंभ के समय असर में नहीं आए थे इस संविधान के तहत अपनी शर्तों के अनुसार असर में आएंगे और लागू होंगे ।

जुडिशल कार्यवाहियाँ

174.- (1) एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिक्री 2009 के तहत स्थापित अदालतें मौजूद रहेंगी ।

(2) एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिक्री 2009 के तहत स्थापित अदालतों की कार्यवाहियाँ जो शुरू हो गई थीं लेकिन इस संविधान के प्रारंभ होने की तिथि पर निर्धारित नहीं की गई थीं यह मानकर जारी रहेंगी कि इस संविधान के प्रावधान शुरू होने पर असर में थे ।

(3) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिक्री 2009 के सेक्शन 23, 23A, 23B, 23C, और 23D जारी रहेंगे और बदले या रद्द नहीं किए जाएंगे, और इस संविधान के तहत स्थापित या जारी अदालतों के पास यह अधिकार नहीं होगा कि -

- (a) ऐसे मामलों को स्वीकार नहीं कर सकता, उनकी सुनवाई नहीं कर सकता या उन पर निर्णय नहीं ले सकता जिनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिक्री 2009 या किसी एलान, डिक्री, घोषणा या किसी अन्य लिखित कानून के तहत जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स शामिल नहीं है; या
- (b) ऐसी कार्यवाहियों को स्वीकार नहीं कर सकता, उनकी सुनवाई नहीं कर सकता या उन पर निर्णय नहीं ले सकता जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिक्री 2009 या किसी एलान, डिक्री, घोषणा या किसी अन्य लिखित कानून के तहत समाप्त कर दिया गया है।

अनुसूची

शपथ और प्रतिज्ञान

पार्ट A - निष्ठा

निष्ठा की शपथ

मैं, कसम खाता/खाती हूँ कि मैं कानून के अनुसार रिपब्लिक ऑफ फीजी के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान का पालन, अनुपालन, अनुसरण और समर्थन करूँगा/करूँगी । तो भगवान मेरी मदद करो !

निष्ठा का प्रतिज्ञान

मैं, विधिवत्, ईमानदारी और विश्वासपूर्णता से घोषित करता/करती हूँ कि मैं कानून के अनुसार रिपब्लिक ऑफ फीजी के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान का पालन, अनुपालन, अनुसरण और समर्थन करूँगा/करूँगी ।

पार्ट B - ऑफिस लेने के लिए

राष्ट्रपति के लिए शपथ

मैं, कसम खाता/खाती हूँ कि मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी, और रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और फीजी के अन्य सभी कानूनों का पालन, अनुपालन, अनुसरण और समर्थन करूँगा/करूँगी; और मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी और सभी फीजियन्स की भलाई के लिए अपने आपको समर्पित करूँगा/करूँगी, उनके अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार करूँगा/करूँगी और राष्ट्रपति ऑफिस में रिपब्लिक ऑफ फीजी को अच्छी तरह से और विश्वासपूर्णता से सेवा प्रदान करूँगा/करूँगी । तो भगवान मेरी मदद करो !

राष्ट्रपति के लिए प्रतिज्ञान

मैं, विधिवत् और ईमानदारी और विश्वासपूर्णता से घोषित और प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी, और रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और फीजी के अन्य सभी कानूनों का पालन, अनुपालन, अनुसरण और समर्थन करूँगा/करूँगी; और मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी और सभी फीजियन्स की भलाई के लिए अपने आपको समर्पित करूँगा/करूँगी, उनके अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार करूँगा/करूँगी और राष्ट्रपति ऑफिस में रिपब्लिक ऑफ फीजी को अच्छी तरह से और विश्वासपूर्णता से सेवा प्रदान करूँगा/करूँगी ।

मंत्रियों के लिए शपथ

मैं, प्रधान मंत्री/मंत्री नियुक्त किए जाने पर, कसम खाता/खाती हूँ कि मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी, और मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और फीजी के अन्य सभी कानूनों का पालन, अनुपालन, अनुसरण और समर्थन करूँगा/करूँगी; और मैं विधिवत् और ईमानदारी से वचन देता/दिती हूँ कि मैं सम्मान, गरिमा और सच्चाई के साथ अपना पद संभालूँगा/संभालूँगी, एक सच्चा और वफादार परामर्शदाता रहूँगा/रहूँगी, मुझे सौंपी गई किसी भी गुप्त बात का खुलासा नहीं करूँगा/करूँगी, और अपने ऑफिस के कार्य अंतर्विवेकशीलता और अपनी पूरी क्षमता से करूँगा/करूँगी। तो भगवान मेरी मदद करो !

मंत्रियों के लिए प्रतिज्ञान

मैं, प्रधान मंत्री/मंत्री नियुक्त किए जाने पर, विधिवत् और ईमानदारी और विश्वासपूर्णता से घोषित और प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी, और रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और फीजी के अन्य सभी कानूनों का पालन, अनुपालन, अनुसरण और समर्थन करूँगा/करूँगी; और मैं विधिवत् और ईमानदारी से वचन देता/दिती हूँ कि मैं सम्मान, गरिमा और सच्चाई के साथ अपना पद संभालूँगा/संभालूँगी, एक सच्चा और वफादार परामर्शदाता रहूँगा/रहूँगी, मुझे सौंपी गई किसी भी गुप्त बात का खुलासा नहीं करूँगा/करूँगी, और अपने ऑफिस के कार्य अंतर्विवेकशीलता और अपनी पूरी क्षमता से करूँगा/करूँगी ।

जुडिशल अफसरों के लिए शपथ

मैं, कसम खाता/खाती हूँ कि फीजी की अदालतों में एक जुडिशल अफसर के रूप में, मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी, और मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और फीजी के अन्य सभी कानूनों का पालन, अनुपालन, अनुसरण और समर्थन करूँगा/करूँगी; और मैं विधिवत् और ईमानदारी से वचन देता/दिती हूँ कि मैं कानून और लोगों के अधिकारों का समर्थन करूँगा/करूँगी, और रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और कानून के अनुसार बिना किसी डर, पक्षपात या पूर्वाग्रह के सभी लोगों के साथ न्याय करूँगा/करूँगी । तो भगवान मेरी मदद करो !

जुडिशल अफसरों के लिए प्रतिज्ञान

मैं, विधिवत् और ईमानदारी और विश्वासपूर्णता से घोषित और प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि फीजी की अदालतों में एक जुडिशल अफसर के रूप में, मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी, और मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और फीजी के अन्य सभी कानूनों का पालन, अनुपालन, अनुसरण और समर्थन करूँगा/करूँगी; और मैं विधिवत् और ईमानदारी से वचन देता/देती हूँ कि मैं कानून और लोगों के अधिकारों का समर्थन करूँगा/करूँगी, और रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और कानून के अनुसार बिना किसी डर, पक्षपात या पूर्वाग्रह के सभी लोगों के साथ न्याय करूँगा/करूँगी ।

संसद सदस्यों के लिए शपथ

मैं, कसम खाता/खाती हूँ कि फीजी की संसद के सदस्य के रूप में, मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी, और मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और फीजी के अन्य सभी कानूनों का पालन, अनुपालन, अनुसरण और समर्थन करूँगा/करूँगी; और मैं विधिवत् और ईमानदारी से वचन देता/देती हूँ कि मैं कानून और लोगों के अधिकारों का समर्थन करूँगा/करूँगी, और रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और कानून के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को सच्चाई से और कर्मठतापूर्वक निभाऊँगा/निभाऊँगी । तो भगवान मेरी मदद करो !

संसद सदस्यों के लिए प्रतिज्ञान

मैं, विधिवत् और ईमानदारी और विश्वासपूर्णता से घोषित और प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि फीजी की संसद के सदस्य के रूप में, मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी, और मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और फीजी के अन्य सभी कानूनों का पालन, अनुपालन, अनुसरण और समर्थन करूँगा/करूँगी; और मैं विधिवत् और ईमानदारी से वचन देता/देती हूँ कि मैं कानून और लोगों के अधिकारों का समर्थन करूँगा/करूँगी, और रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और कानून के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को सच्चाई से और कर्मठतापूर्वक निभाऊँगा/निभाऊँगी ।

संसद के स्पीकर/डिप्टी स्पीकर के लिए शपथ

मैं, कसम खाता/खाती हूँ कि संसद के स्पीकर/डिप्टी स्पीकर के रूप में, मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और फीजी के अन्य सभी कानूनों का पालन, अनुपालन, अनुसरण और समर्थन करूँगा/करूँगी; और मैं विधिवत् और ईमानदारी से वचन देता/देती हूँ कि मैं कानून और लोगों के अधिकारों का समर्थन करूँगा/करूँगी, अपनी पूरी क्षमता से संसद की गरिमा और सम्मान का समर्थन करूँगा/करूँगी, और रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और कानून के अनुसार बिना किसी डर, पक्षपात या पूर्वाग्रह के अपना काम करूँगा/करूँगी। तो भगवान मेरी मदद करो !

संसद के स्पीकर/डिप्टी स्पीकर के लिए प्रतिज्ञान

मैं, विधिवत् और ईमानदारी और विश्वासपूर्णता से घोषित और प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि संसद के स्पीकर/डिप्टी स्पीकर के रूप में, मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और मैं रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और फीजी के अन्य सभी कानूनों का पालन, अनुपालन, अनुसरण और समर्थन करूँगा/करूँगी; और मैं विधिवत् और ईमानदारी से वचन देता/देती हूँ कि मैं कानून और लोगों के अधिकारों का समर्थन करूँगा/करूँगी, अपनी पूरी क्षमता से संसद की गरिमा और सम्मान का समर्थन करूँगा/करूँगी, और रिपब्लिक ऑफ फीजी के संविधान और कानून के अनुसार बिना किसी डर, पक्षपात या पूर्वाग्रह के अपना काम करूँगा/करूँगी।

ग्लोसरी-शब्दावली

अलाउंस	-	भत्ता
अटॉर्नी-जनरल	-	महान्यायवादी
ऑफिस	-	कार्यालय
ऑडिटर-जनरल	-	लेखा परिक्षक जनरल
अथॉरिटी	-	प्राधिकरण
इम्युनिटी	-	उन्मुक्ति
इलेक्टोरल	-	चुनावी
इलेक्शन्स	-	चुनाव
इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेस कमीशन	-	स्वतंत्र कानूनी सेवा अयोग
इंस्ट्रूयूशन्स	-	संस्थाओं
एग्जीक्यूटिव	-	कार्यकारी अधिकारी
एक्सप्रेशन	-	अभिव्यक्ति
एनफोर्समेंट	-	प्रवर्तन
एंटी-डिस्क्रिमिनेशन	-	भेदभाव विरोधी
कंसॉलिडैटड फंड	-	समेकित निधि
कमीशन	-	आयोग
कोर्ट	-	अदालत
चीफ जस्टिस	-	मुख्य न्यायाधीश
चेप्टर	-	अध्याय
जस्टिस	-	न्याय
जुडिशल अथॉरिटी	-	न्यायिक प्राधिकरण
जुडिशल सर्विस कमीशन	-	न्यायिक सेवा अयोग
टेक्स	-	कर
डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्युशन्स	-	अभियोजन निर्देशक
डिप्टी	-	उप
डिस्प्युटेड	-	विवादास्पद
नॉमिनेशन	-	नामांकन
पब्लिक	-	सार्वजनिक
पब्लिक सर्विस कमीशन	-	सार्वजनिक सेवा अयोग
पब्लिक सर्विस डिसिप्लिनरी ट्रायब्यूनल	-	सार्वजनिक सेवा अनुशासन ट्रायब्यूनल
परमानेंट सेक्रेटरीस	-	स्थायी सचिव
पेटिशन्स	-	याचिका
प्राइवेसी	-	गोपनीयता
मिनरल्स	-	खनिज पदार्थ
मेर्सी कमीशन	-	दया आयोग
रिमूनरेशन	-	पारिश्रमिक

रिपब्लिक	-	गणराज्य
रेवेन्यू	-	राजस्व
रेगुलेशन	-	विनियमन
लीगल एड कमीशन	-	कानूनी सहायता आयोग
लेजिस्लेटिव	-	विधायी
स्टैडिंग ऑर्डर्स	-	स्थायी आदेश
स्पीच	-	भाषण
सुपरवाइजर	-	पर्यवेक्षक
सोलिस्टर-जनरल	-	महान्यायभिकर्ता
सेक्युलर	-	धर्मनिरपेक्ष
सेक्रेटरी-जनरल	-	महासचिव
हूयमन राइट्स	-	मानवाधिकार